गरीबों के अधिकार

सरकारी लाभ मिलने के लिए एक पुस्तिका

अखिल भारतीय संस्करण 1

नवंबर 2019

अधिकार सम्बन्धी सफलता की सच्ची घटनाएँ

करीन का विधवा पेंशन मिलना

शादी के बाद करीन अपने गाँव से शहर आई। उसका पूरा परिवार अपने पति और 4 बच्चों के साथ अस्थायी झुग्गी जो अवैध तौर से बनायी गयी झुग्गियों समूह में रहने लगा। 2007 में करीन की 11 महीने की बच्ची की मृत्यु दस्त के कारण से हुयी । कुछ महीनों के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गयी । इस बार शायद टीबी के वजह से हुई। करीन अपने 3 बच्चों के साथ, बिना आमदनी के साथ, एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगी और उनके हालात बहुत बुरे थे।

राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए 1000रु की पेंशन रखी है पर वो करीन को नहीं मिल रही थी। कुछ साधारण जानकारियों से पता चला कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन मिलती है। (कृपया इस पुस्तिका के पृष्ठ 12 को देखें) । प्रशासन ने कहा कि करीन इस पेंशन के योग्य नहीं हैं क्योकि उसके पास खाता नहीं हैं । करीन के पास कभी बैंक खाता नहीं था, तो हम पास के बैंक उसका खाता खुलाने गए। बैंक मैनेजर ने खाता खोलने से मना कर दिया और कहा कि पहचान दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है (कृपया इस पुस्तिका के पृष्ठ 58 को देखें) । करीन के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था तो हमारा अगला पड़ाव चुनाव विभाग था हमने विभाग से करीन के लिए चुनाव वोटर कार्ड पूछा। काफी दिनों के बाद वह उसकी झुग्गी आये। उन्होनें सर हिलाते हुए कहा माफ़ करिए यह झुग्गी में रहती हैं, हम इन्हें वोटर कार्ड नहीं दे सकते। हमने विरोध किया और बताया कि यह कानून है हर भारतीय नागरिक का एक पहचान पत्र होना अधिकार है चाहे वो झुग्गी में रहे या राजमहल में रहे (कृपया इस पुस्तिका के पृष्ठ 54 को देखें) । थोड़ी देर के बाद उन्होंनें सर हिलाया और हाथ खुजलाते हुए मान गए ।

एक हफ्ते के बाद, हम पहचान पत्र के साथ फिर बैंक गए, शुक्र है उन्होंने बैंक खाता खोल दिया। हम फिर दुबारा समाज कल्याण विभाग गए, इस भरोसे कि हमें सफलता मिलेगी, परन्तु हम फिर असफल हुए । बैंक खाता हो या न हो, एक सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिससे यह साबित हो कि वो दिल्ली में 5 साल से रह रही है । हताश होकर हमने प्रार्थना पत्र समाज कल्याण विभाग मुख्य अधिकारी को लिखा (कृपया इस पुस्पिका का पृष्ठ 64 को देखें), जिन्होंने आखिरकार हमारे निवेदन को मान लिया ।6 महीने की सरकारी उथल पुथल के बाद, करीन को आखिर में पेंशन मिलने लगी, और 5 महिने का भुगतान भी मिला, अब उसके पास 5,000 रु बैंक खातें में हैं।

महिलाओं को मग्नरेगा। रोजगार मिलती हैं

जागीर गांव, बिजनौर क्षेत्र, उतर प्रदेश की महिलाओं को पता नहीं था कि वो मग्नरेगा। योजना के लागू रोज़गार के योजना के योग्य है या नहीं (कृपया इस पुस्पिका के पृष्ठ 11 को देखें), उनके पतियों के पास रोज़गार कार्ड होता है पर वो रोज़गार की तलाश में बाहर जातें है। शेयर प्रोजेक्ट के कर्मचारी ने सूचित किया कि वास्तव मे महिलाएँ भी इस योजना की हकदार है। यह जानकर महिलाएँ ग्राम प्रधान के पास काम मांगने गयी। अतः उन्हें मग्नरेगा (MGNREGA) योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण में रोज़गार मिला।

गुड्डन को लिए गैस कनेक्शन मिला

गुड्डन करीब 2 साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश में लगी हुई थी। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार कोई भी बहाना बोल के उससे कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुड्डन ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सिखा कि कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है (कृपया इस पुस्तिका का पृष्ठ 36 को देखें) और यह भी सीखा कि किस तरह से आगे बढ़ाना है सूचना के अधिकार द्वारा। इस सीख के साथ वो दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफिस गयी । उन्होंने फिर उसे मना कर दिया पर इस बार गुड्डन ने उन्हें धमकाया कि वो बड़ें अफसर जो राज्य के राजधानी में है उनसे शिकायत करेगीए बस इतना बोलना उन सब के लिए काफी था। कर्मचारी उसकी हिम्मत को देख कर सक्पक्का गए और वो तुरंत काम पर लग गए। और फिर गुड्डन को कनेक्शन 01 हफ्ते मे मिल गया।

परिचय

1. इस दस्तावेज़ के बारे में

भारत में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं जो आश्चर्यजनक है। उनमें से बहुत सारी सुविधाएं गांवो और शहरों की मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए अधिकार के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन आम निवासियों को अक्सर इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि

- आम लोगें को मालुम नहीं हैं योजना के बारे में, या
- पहचान दस्तावेजों की कमी, या
- विश्वास की कमी के कारण, या
- सरकारी कर्मचारियों में पाऐ जाने वाले भ्रष्टाचार।

अक्सर जब सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो संस्था खुद सुविधाएं जैसे स्कूल, क्लीनिक आदि देते है। उन सुविधाओं के लिए लोग संस्थाओं को पसंद करते हैं लेकिन संस्था सुविधाएं हमेशा तक नहीं चला सकता हैं। कभी न कभी बेहतर हो कि लोगों को सरकारी सुविधाएं मिल सके।

इस दस्तावेज़ की जानकारियाँ एक हिस्सा ही है इस बडे काम में कि महाराष्ट्र के निवासी जागरूक और सशक्ति बने । सशक्तिकरण के लिए गरीबों को ना सिर्फ़ उपलब्ध सुविधाएँ की **जानकारी** होने चाहिए (पृष्ठ 7-59)। उसके अलावा अचछी आवेदन और RTI लिखने की **कुशलता** होने चाहिए (पृष्ठ 64–66) और सब से ज़रूरी है कि उनके **दिल** का बदलाव हो ताकि उनके आत्म विश्वास और हिम्मत हो और कि वे एक दूसरे की मदद करें। अतिरिक्त 1 पृष्ठ 60 में कुल दस कदम दिए गए है जिस से निवासी जानकारी, कुशल और दिल से सशक्त हो सकते हैं।

पृष्ठ 5 पर तालिका में दी गई हर एक सेवाओं की सूची के लिए हमने सामान्य आकार दिया है;

1. सम्बंधित **केन्द्र सरकार के विभाग** जो ये सेवा प्रदान करते हैं (उसके वेबसाइट के साथ);
2. उस़ विभाग की नीति के अनुसार निवासियों के **अधिकार**; अधिकार। हम इसके लिये वेबसाइट भी देते हैं जहां पर ये हक और अधिकार स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुछ केन्द्र सरकार के अधिकार यहाँ देख सकते हैं। कई हकों भी एक नागरिक चार्टर में हैं, जो कई सरकारी विभागों के वेबसाइटों पर हैं यहां। अतिरिक्त 2 पृष्ठ 62 में सब सेवाएँ और उनके सम्बंधित नियम सारांश में दी गई हैं।
3. **ग. आवेदन प्रकिया** योग्यतानुसार आवेदन करने हेतु; आवेदन की बहुत सारी प्रक्रियाएं यहाँ और कुछ आवेदन पत्र यहाँ पर मिलेगा। कुछ आवेदन पत्र पृष्ठ 70 से मिल सकती हैं। अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना अतिरिक्त 3 पृष्ठ 64 में दिया गया है । अवेनद देने का समय सरकारी अधिकारियों से कैसे बात करने का सलाह, अतिरिक्त 4 पृष्ठ 65 में दिया गया है। कई प्रदेशों में, लोक सेवा गारंटी अधिनियम (यहां पर देखें) चालू है जिस के अंदर सरकारी। अधिकारियों को एक निश्चित समय के भीतर कुछ सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इन सेवाओं में अक्सर शामिल हैं: राशन कार्डय पेंशनय विकलांगता। प्रमाण पत्र, स्कूल में प्रवेश, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। यह अधिनियम चालू है आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, ज–क, हिमांचल प्रदेश, ज–क, झारखंड़, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड़, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल।
4. **दबाव बनाएं**

हम सब जानतें हैं कि शुरु में अकसर हमारी आवेदन को सफ़लता नहीं मिलती क्योंकि जिस अफ़सर के पास हम अपना आवेदन पत्र जमा कराते है वो :

- छुट्टी पर हो या चुनाव कार्य में लगा होता है।
- बोले कि आप गलत कार्यालय में आ गए हैं और दूसरी जगह जाने को बोलें।
- बोले कि उसका कोई अधिकार नहीं है आपके दिए गए आवेदन पर और जो अधिकारी कुछ कर सकते है, वो छुटटी पर है या बीमार है।
- बोले कि उसके पास इस साल के लिए बजट नहीं है।

- या दफ़्तर में कर्मचारी नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाएगा।
- कुछ चाय पानी मिल जाता तो (यानी घूस मांगना)। पृष्ठ 66 में विस्तार से सुझाव दिए गए है जिस से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है।

अगर आवेदन में सफ़लता न मिले जव निमलिखित का तरीका की कोशिश कर सकता है कठिनाई के क्रम में .....

- एक बार और मूल अधिकारी को शिकायत करें,
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शिकायत करें,
- सरकारी ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करते हुये यहां को देखें (go to 'Click here to sign up' जो बांई ओर नीचे)। आपको 60 दिनों के अन्दर जवाब मिलना चाहिये ;थ।फ रु13 यहांब्द्ध
- उस विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन दायर करना जहां आपने आवेदन किया है। प्रभावशाली सूचना का अधिकार के प्रयोग पर टिप्पणी और आरटीआई का नमूना अतिरिक्त 6 पृष्ठ 67 में दिया गया है जिसे आपको सहायता मिलेगीः
- दिल्ली न्याय संसाधन केंद्र में वकीलों से संपर्क करना। (फोन 011–4050170 या ईमेल delhi@justiceventures.org);
- एक धरना का आयोजन । या
- मीडिया को संपर्क करना।

5. **सफलता की कहानी** (जब उपलब्ध है) जिस में लिखा हैं कि सचमुच में आम लागों को लाभ मिला है।

यह पुस्तिका इमैनुएल अस्पताल एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है, और जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल द्वारा इसे और अधिक परिष्कृत किया गया है। ये सभी पुस्तिकायें ई एच ए की वैबसाइटस यहां पर या जे वी आई की वैबसाइटस यहां या आर टी एफ़ की वैबसाइटस यहां निशुल्क उपलब्ध हैं। अगर आप इसकी लिखित प्रति पढ़ रहे हैं, तो आप इसकी कम्प्यूटर–कॉपी (अंग्रेज़ी में) EHA के वेबसाइट यहां पर मिल जायेगी; या JVI के वेबसाइट यहां पर, या आर टी एफ़ की वैबसाइटस यहां पर निशुल्क उपलब्ध हैं।

हमने कई उत्तर भारतीय प्रदेशों के लिये ऐसी ही हिमायती नियम–पुस्तिकायें बनाई हैं, इनमें आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड़, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

ईएचए साइट पर यहां आपको एक सरल (16 पृष्ठ) मैनुअल भी मिलेगाः सामान्य लोगों की वकालत पुस्तिका। इसके आलबवा महिलाओं के अधिकारों और विकलांगों के लिये विशेष नियम–पुस्तिकायें भी उपलब्ध हैं।

हम हर दो साल इन्हें संशोधित करने की कोशिश करेगें ताकि ये सामयिक रहें। हम यह भी आशा करते हैं कि इनमें से कई पुस्तिकाओं का हिन्दी संस्करण बन सके।

जानबूझ कर इसे कॉपी राइट के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। हमने इन नियमावली पर क्रिएटिव कॉमन्स जारी किए हैं, जिसका अर्थ है, यदि आप इसे अपने काम में उपयोगी पाते हैं, तो कृपया बेझिझक इसका उपयोग करें, हालांकि आप इसे फिट देखते हैं, इससे कोई अन्य सामग्री बना सकते हैं, या इसे किसी अन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जैसे तुमः

- EHA, JVI, और EFICOR में संलग्न करेंय
- लाभ के लिए, इस पर आधारित या अन्य सामग्री का उपयोग न करेंय तथा
- अन्य लोगों को इस सामग्री से आपके द्वारा बनाई गई किसी भी सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दें।

ध्यान देः यह पुस्तिका एक गाइड ही है। हमने काफ़ी कोशिश किया है कि यह जानकारी सहीं है, लेखिन योग्यता और शिकायत प्रक्रिया में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हम पुस्तिका की जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते । इसलिए अगर आपको किसी भी कठिनाइयां होती है जानकारी सहीं नहीं होने की वजह से, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं।
अगर आप इस पुस्तिका में कोई गलती/भूल पाते हैं तो और अगर इस में शामिल करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें जानकारी दें और हम इसे इसमें शामिल करेंगे।

Emmanuel Hospital Association www.eha-health.org
Justice Ventures International www.justiceventures.org
EFICOR www.eficor.org

2. पहला क़दम – अपनी बस्ती या गॉव के सरकारी दफ्तरों को जानें

आरम्भ में यह जानना आपके लिए लाभदायक होगा कि विभिन्न स्तर के सरकारी के संरचना में आपका गांव कहां आता है। अगर अपने क्षेत्र की सूचनाएं आपको मिल जाती हैं तो नीचे दिए गए टेबल में उसे लिखें।

- भारत 543 लोक सभा क्षेत्र में विभाजित हैं। हर क्षेत्र का एक अपना चुना हुआ लोकसभा सदस्य जो लगभग 24 लाख अपने मतदाताओं के लिए जिम्मेदार है। आपके लोकसभा सदस्य देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और फ़िर आपके प्रदेश पर। फ़िर अपके लोकसभा क्षेत्र और आपके लोकसभा सदस्य दिखेगा। लोकसभा सदस्य के संपार्क के लिए उसके नाम पर क्लिक करें।
- **हर प्रदेश** विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित है। हर एक विधान सभा क्षेत्र से एक विधायक विधान सभा के लिए चुना जाता है जो अपने लगभग 3 लाख मतदाताओं के लिए ज़िम्मेदार होता है। विधान सभा के सदस्य देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, फर नक्शा पर (अगर कोइ हो) क्लिक करें ।
- **स्थानीय सरकार** ग्राम पंचायतों में विभाजित है। एक ग्राम पंचायत में औसतन 2,500 लोगों के घर होते हैं। हर एक ग्राम पंचायत का एक चुना हुआ प्रधान होता है। हर एक पंचायत में औसतन 2 गांव होते हैं।
- **प्रशासकीस उद्देश्य** हर प्रदेश मण्डल में विभाजित है जो एक डिविजनल कमिशनर के तहत है।
- फिर प्रत्येक डिवीजन कई **जिलों** में विभाजित होती है। अपने जिले के विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें फिर अपने राज्य और अपने जिले पर क्लिक करें।
- प्रत्येक जिला कई तालुक/तहसील या **सब–जिले** में विभाजित होता है। हर एक तहसील/तालुक एक सब–डिवीजनल मैजिस्ट्रट के अधीन होता है। प्रत्येक जिला फिर कई प्रखण्ड विकास या शहरी क्षेत्र में विभाजित होता है। तहसील, प्रखण्ड विकास और शहरी क्षेत्र के नाम जानने के लिए यहाँ क्लिक करें फिर अपने राज्य और अपने जिले पर क्लिक करें।
- अन्य अधिकारियों जैसे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आदि की जानकारी हेतु वेबसाइट इस पुस्तिका के उपयुक्त पृष्ठ पर दी गई है। जब आप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वह जानकारी इस टेबल में डालें।

मंडल/सेवा	पृष्ठ	क्षेत्र का नाम	अधिकारी का नाम/पता/फोन न.
राजनीतिक मंडल			
राष्ट्रीय लोकसभा	4		संसद सदस्य (एम पी)
विधानसभा क्षेत्र	4,54		विधान सभा सदस्य (एमएलए)
पंचायत	38		पार्षद
प्रशासनिक विभाग			
मंडल	4		मंडल आयुक्त (डी सी)
ज़िला	4,56		जिला कलक्टर
प्रखण्ड (ब्लॉक)	4,14,18		खंड विकास अधिकारी
इस पुस्तिका में दी गई विशेष सेवायें			
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ)	20		
नज़दीकी सरकारी अस्पताल	20		
नज़दीकी पी एच सी या सी एच सी	20		
बेसिक शिक्षा अधिकारी	31,33		
गैस एजेंसी	36		
स्थानीय पुलिस	47–52		स्टेशन हाउस ऑफिसर (एस एच ओ)
पुलिस मुख्यालय	47–52		पुलिस अधीक्षक (एस पी)

विषय सूची, (सीधे पृष्ठ पर जाने के लिए क्लिक करें)

परिचय 2

1. इस दस्तावेज के बारे में 2
2. पहला कदम – अपनी बस्ती या गॉव के सरकारी दफ्तरों को जानें 4

1. भोजन और जल 7

1. भोजन और जल – पीने का पानी 7
2. भोजन और जल – राशन कार्ड 8
3. भोजन और जल – आंगनवाडी 9
4. भोजन और जल – मध्यान्तर भोजन योजना 10

2. आय (आमदनी) 11

1. आय – मग्नरेगा 11
2. आय – पेंशन 12
3. आय – लडकी के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन 14
4. आय – जीवन बीमा 15
5. आय – व्यावसायिक प्रशिक्षण 16
6. आय – ड्राइवर लाइसैंस 17
7. आय – स्वयं सहायता समूह 18
8. आय – सूक्ष्म उद्योगों के लिये वित्त 19

3. स्वास्थ्य 20

1. स्वास्थ्य – सरकारी अस्पताल 20
2. स्वास्थ्य – गर्भावस्था और प्रसव 21
3. स्वास्थ्य – प्रतिरक्षण (बचाव) (टीकाकरण) 23
4. स्वास्थ्य – टी बी 24
5. स्वास्थ्य – विकलांगों के लिये सेवायें 25
6. स्वास्थ्य – मानसिक स्वास्थ्य 27
7. स्वास्थ्य – बहाली (नशा पुर्नवासन) 29
8. स्वास्थ्य – एच आई वी 30

4. शिक्षा 31

1. शिक्षा – सरकारी स्कूल 31
2. शिक्षा – छात्रवृत्ति (वजीफा) किताबें और वर्दी 33
3. शिक्षा – पत्राचार स्कूली शिक्षा 34

5. बिजली और गैस 35

1. बिजली और गैस – बिजली 35
2. बिजली और गैस – गैस 36

6. गाँव की सुविधायें 38

1. गाँव की सुविधायें – शौचालय 38
2. गाँव की सुविधायें – पक्की गलियां और नालियां 39
3. गाँव की सुविधायें – आवास 40
4. गाँव की सुविधायें – भूमिहीनों के लिये भूमि 41
5. गाँव की सुविधायें – सडकें 42

7. खेती 44
1. खेती – सिंचाई 44
2. खेती – फसलों का बीमा 45
3. खेती – सब्सिडी (आर्थिक सहायता, अनुमोदन) 46
8. मानव अधिकारों का दुरुपयोग 47
1. मानव अधिकारों – घरेलू हिंसा 47
2. मानव अधिकारों – बाल मजदूरी 48
3. मानव अधिकारों – बाल विवाह 49
4. मानव अधिकारों – बच्चों की तस्करी 50
5. मानव अधिकारों – यौन तस्करी 51
6. मानव अधिकारों – बंधुआ मजदूरी 52
9. पहचान के दस्तावेज 53
1. पहचान के दस्तावेज – आधार कार्ड 53
2. पहचान के दस्तावेज – मतदाता पहचान पत्र 54
3. पहचान के दस्तावेज – जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 55
4. पहचान के दस्तावेज – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के प्रमाण पत्र 56
5. पहचान के दस्तावेज – लेबर कार्ड 57
6. पहचान के दस्तावेज – बैंक खाता 58
7. पहचान के दस्तावेज – पैन कार्ड 59
10. अतिरिक्त 60
1. अतिरिक्त – सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस कदम 60
2. अतिरक्ति – सरकार के सुविधाओं की योजनाएं और कानून 62
3. अतिरक्ति – अधिकार मिलने के लिए आवेदन पत्र (नमूना सहित) 64
4. अतिरक्ति – सरकारी कर्मचारी से बात करने का सलाह 65
5. अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते है? 66
6. अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रयोग (नमूना के साथ) 67
7. अतिरिक्त – प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप 69
11. आवेदन पत्र 70
1. आवेदन पत्र – पेंशन (विधवा, वृद्धावस्था व विक्लांगता) (पृष्ठ 12 देखें) 70
2. आवेदन पत्र – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (पृष्ठ 15 देखें) 73
3. आवेदन पत्र – ड्राइवर लाइसैंस (पृष्ठ 17 देखें) 75
4. आवेदन पत्र – सूक्ष्म उद्योगों के लिए सहायता (पृष्ठ 19 देखें) 77
5. आवेदन पत्र – विक्लांग व्यक्ति के लिए रेलवे छूट आवेदन फार्म (पृष्ठ 25 देखें) 78
6. आवेदन पत्र – आधार कार्ड (पृष्ठ 53 देखें) 79
7. आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र (पृष्ठ 54 देखें) 81
8. आवेदन पत्र – पैन कार्ड (पृष्ठ 59 देखें) 83

1. भोजन और जल

1. भोजन और जल – पीने का पानी

पीने का पानी हर व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य का मूल अधिकार हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाएँ निश्चित रूप से हर भारतीय के लिये प्रदान की गयी हैं।

1. संबंधित विभाग

केन्द्र सरकाररू

- पेय जल एंव सफाई का मंत्रालय (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

राज्य सरकार

- सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजरनियरिंग विभग (या इसी तरह का शब्द)

स्थानीय

- कस्बाओं और शहरों में आमतौर पर नगर निगम पानी के लिए ज़िम्मेदार है

2. अधिकार (वेबसाइट ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल पर ई बुक 2014 यहां)

- राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लक्ष्य है कि प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए 43–55 लीटर पीने का पानी
  - (पीने के लिए 3 लीटर,
  - खाना पकाने के लिए 5 लीटर,
  - स्नान के लिए 15 लीटर,
  - बर्तन धोने के लिए 10 लीटर,
  - शौच के लिए 10 लीटर,
  - कपड़े धोने के लिए 12 लीटर) (पृष्ठ 29 ई बुक यहां)
- 1,500 मीटर और 100 मीटर ऊंचाई से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए (यहाँ देखें)
- 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को नल जल का उपयोग और (80% घर के कनेक्शन के साथ) होने चाहिए । (पृष्ठ 27 ई बुक यहां देखें)

3. आवेदन का तरीका (सफलता की संभावना आशा 20 प्रतिशत, समय सीमा 6 माह)

- अगर ऊपर दिए गए मानक के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा सही नहीं है तो नए स्रोतों के लिए आवेदन करें आपके प्रदेश का सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजरनियरिंग विभग को ।

4. दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- **जहाँ आवेदन दी वहाँ पर फ़िर दोबारा शिकायत करें। फिर**
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- **पेय जल एंव सफाई का मंत्रालय को आर टी आई दें (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें या ऑन लाइन यहाँ)**

5. सफलता की कहानी

पारवा गांव हैन्डपम्प खराब हो गया था। गांव में ग्रामीण एवम स्वास्थ्य समिती द्वारा आवेदन लोक स्वास्थ्य और यंत्री विभाग को दिया गया। 3 दिन के बाद हैन्डपम्प चालू हालात में हो गया।

2. भोजन और जल – राशन कार्ड

राशन कार्ड व्यवस्था, का उद्देश्य हर परिवार के लिये बाजार से कम कीमत पर बुनियादी खाने की चीजें उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून में खाद्य सुरक्षा का अधिकार स्थापित किया है, जो 75% ग्रामीण परिवारों और 50% शहरी परिवारों के लिये कम कीमतों पर 5 किलो खाद्यान्न की गारंटी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए 3(1) यहां)
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (वेब साइट के लिये यहां क्लिक करें)

राज्य सरकार

- खाद्य और सप्लाई विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एन एफ एस ए, 3(1), यहां) राइट टू फूड कैम्पैन यहां (और आपका प्रदेश पर क्लिक करें) यहां (और आपका प्रदेश नीचे देखें) या यहां।

- गरीब निवासी – 'प्रधान्य परिवार' के हर व्यक्ति को (जिसका नाम हर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता सूची में है), 5 किलो खाद्यान्न कम कीमतों पर दिया जायेगा। (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खंड़ 3(1)।
- बेसहारा निवासी – (जैसे कि विकलांग या विधवा) जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड दिया जा सकता है, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं, वे 35 किलो खाद्यान्न कम कीमतों पर लेने के हकदार हैं।(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खंड़ 3(1)
- दरें और मासिक मात्रा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 1 यहां देखें।

एन एफ एस ए के तहत	मेटा अनाज	गेंहू	चावल
बी पी एल को प्राथमिकता (5 किलो प्रति व्यक्ति)	1 रुपये	2 रुपये	3 रुपये
अंत्योदय (35 किलो प्रति परिवार)	1 रुपये	2 रुपये	3 रुपये

3. आवेदन करने की विधि

- पात्रता 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) पर आधारित है। बहिष्करण और समावेशन के लिए मानदंड यहां हैं (अपने राज्य में नीचे स्क्रॉल करें)।
- प्रत्येक राज्य सरकार को पात्र परिवारों (NFSA Sct 10) की सूची प्रकाशित करनी चाहिए और उस सूची को प्रमुख रूप से बज 11 प्रदर्शित करना चाहिए)। जांचें कि आपका नाम यहां सूची में है (वर्तमान में यह काम नहीं कर रहा है)।
- जिन परिवारों का नाम प्राथमिकता या अंत्योदय के रूप में सूची में है, वे एनएफएसए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लिकेशन फॉर्म यहां है (अपने राज्य में स्क्रॉल करें)।
- यदि आपको लगता है कि आप मापदंड के अनुसार पात्र हैं, लेकिन सूची में नहीं हैं, तो भी आप कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 दिनों के भीतर संसाधित किए जाने चाहिए।
- एक बार जब आपके पास आपका कार्ड हो, तो निकटतम राशन की दुकान से राशन प्राप्त करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय को आर टी आई ड़ालें (यहॉ या ऑन लाइन यहाँ)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहॉ पर लिखो।

3. भोजन और जल – आंगनवाड़ी

भारत में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आंगनवाड़ी योजना का उद्देश्य 6 महीने से 6 साल (स्कूल जाने से पहले) तक के हर बच्चे को एक पोषक भोजन, विटामिन्स और टीकाकरण प्रदान करने का है। एक बार जब वे स्कूल जाने लगते हैं तो बच्चे मध्यान्तर भोजन योजना के हकदार होते हैं (फूड–मिडडे मील पेज 10 देखें)। केंन्द्र सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिये राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून में राइट टू फूड़ सिक्योरिटी स्थापित किया है, जो आंगनवाड़ी भोजन देने की गारन्टी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए 5(1) यहां)
- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

राज्य सरकार

- महिला और बाल विकास विभाग (यहां पर देखें)
- एकीकृत बाल विकास सेवा (या इसी तरह का शब्द)।

2. अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए 2013 5(1) यहां) राइट टू फूड कैम्पैन यहां ।

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 (एन एफ एस ए 5(1)ए के तहत), 6 महीने से 6 साल तक के हर बच्चे को आंगनवाड़ी में हर दिन पके–पकाये भोजन खाने का अधिकार है।

- 6 साल से कम आयु के हर 40 बच्चों के लिये एक आंगनवाडी केंन्द्र (ए डब्लयु सी) होना चाहिये (सुप्रीम कोर्ट के आदेश यहां पृष्ठ 16 पर दूसरा पाइन्ट)
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोरियाँ और गर्भवती महिलाएँ आंगनवाड़ी में भाग ले सकती हैं (सुप्रीम कोर्ट के आदेश यहां पृष्ठ 16 पर तीसरा बिंदु)
- बच्चों को 500 कैलोरी का पोषक स्नैक (अल्पाहार) जैसे दलिया, चना आदि दिया जाता है (एन एफ एस ए, अनुसूची 2(1)
- कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिये 800 कैलोरी का स्नैक दिया जाता है।(एन एफ एस ए, अनुसूची 2(3)
- गर्भवती और बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली माताओं के लिये 600 कैलोरी का स्नैक दिया जाता है (एन एफ एस ए, अनुसूची 2(6)
- बच्चों को बुनियादी टीकाकरण, दवा (कीड़ों की दवा), विटामिन्स (आयरन) उपलब्ध कराना, और उनके शरीर के वजन/लम्बाई की जाँच करना जो उनके चार्ट में दर्ज है (सुप्रीम कोर्ट के आदेश **यहां** पृष्ठ 16 पर तीसरा बिंदु)

3. आवेदन करने की विधि

- जांचें कि आपके पास कोई आंगनवाड़ी केंद्र है या नहीं। यदि हां, तो वहां जाएं।
- अगर नहीं हो तो अपने इलाके में 3 से 6 साल तक के 40 बच्चों की सूची प्राप्त करें जिसमें उनके नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, और उनके माता–पिता की स्वीकृति शामिल हो।
- महिला और बाल विकास विभाग में इस सूची को जमा करें, यहां।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- महिला और बाल विकास विभाग को शिकायत करें, यहां।; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- महिला और बाल विकास विभाग यहां को आर टी आई ड़ालें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

4. भोजन और जल – मध्यान्तर भोजन योजना

मध्यान्तर भोजन योजना (एम डी एम एस) का उद्देश्य आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को प्रतिदिन एक पोषक आहार देना है। 10 करोड़ बच्चों को सेवा प्रदान करने वाली यह योजना संसार का सबसे बड़ा पोषक कार्यक्रम है।केंन्द्र सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून में राइट टू फूड़ सिक्योरिटी स्थापित किया है, जो मध्यान्तर भोजन देने की गारन्टी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए 5(1)बी यहां)
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वैबसाइट यहां)

राज्य सरकार

- स्कूल शिक्षा विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एन एफ एस ए, 5(1)बी यहां । राइट टू फूड कैम्पैन यहां

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए, 5(1) बी के अनुसार .

- आठवीं कक्षा तक के हर बच्चे को, या 6 से 14 साल की आयु तक के हर बच्चे को एक मध्यान्तर भोजन का अधिकार है।
- हर सरकारी या सरकारी वित्त पोषित स्कूल में
- स्कूल के हर दिन को मिलना चाहिए (स्कूल की छुटिटयां पर नहीं)
- कक्षा 1 से 5 तक के लिये भोजन 450 कैलोरी और कक्षा 6 से 8 तक के लिये भोजन 750 कैलोरी होना चाहिये। (एन एफ एस ए, अनुसूची 2(4,5)

3. आवेदन की विधि

- सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में पहले से ही मध्यान्ह भोजन योजना होनी चाहिये,
- अगर नहीं है तो माता–पिता सीधे संबंधित स्कूलों से आवेदन करना सकते हैं।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

प्रति दिन दो माताओं–पिताओं को भोजन का निरीक्षण करने का अधिकार है। अगर भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में कोई समस्या है तो .

- सीधे स्कूल को शिकायत करें; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- स्कूल शिक्षा विभाग को आर टी आई ड़ालें ।

5. सफलता की कहानी

यह कहानी गुड़पारा गांव की है। स्कूल में मध्यान्तर भोजन के बारे में अध्यापक और बच्चों से पूछा तो पता चला की राशन कम मिलता है जिसके कारण बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस पर जौर्ज वेसली , समूह के अध्यक्ष राजेश राजन व सरपंच रतिराम प्रजापति के साथ बैठक करके इसका समाधान किया गया और समूह को निर्देश दिया गया कि पूरा राशन बच्चो के लिए बनवाया जाये इस प्रकार गुड़पारा गांव की समस्या का समाधान हो गया।

2. आय (आमदनी)

1. आय – मग्नरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शायद संसार के इतिहास में सबसे बड़ी सरकारी रोजगार योजना है। करोड़ों का लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया है। यह योजना एक साल में 100 दिनों के लिये ग्रामीण परिवारों को, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं, सरकारी कार्यक्रमों में काम करने की अनुमति देती है (सड़कें बनाना, सिचाईं आदि)। आशा की जाती है कि इस योजना से मिलने वाली आय, और इसके तहत बनाई बेहतर बुनियादी सुविधायें, परिवारों का शहरों में जाने के बजाय, ग्रामीण इलाकों में रहने में मदद करने के लिये काफी होगी।

1. संबन्धित विभाग

केंद्रीय सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

राज्य सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यहाँ)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मग्नरेगा) –

- हर साल हर ग्रामीण परिवारों के लिये 100 दिनों का रोजगार (18 साल से अधिक आयु के किसी भी युवा के लिये) (सेक्शन 3(1))
- आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर काम मिलना चाहिये। (सेक्शन 3(1) और अनुसूची 2(6))
- लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए (अनुसूची 2, धारा 6)।
- काम करने के स्थान पर बच्चों की देखरेख की सुविधा होना चाहिये। अनुसूची 2(28))।
- तय की हुई न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये। यह रु .171 (बिहार और झारखंड के लिए) से रु .284 (हरियाणा के लिए) प्रतिदिन (धारा 6 देखें और यहाँ – मार्च 2019 तक) भिन्न होता है।
- अगर कोई काम नहीं हैं तो 15 दिनों के अन्दर बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये; 30 दिनों के लिये 33% और उसके बाद 50% (सेक्शन 7(1),7(2))।
- काम उसी जगह में होना चाहिये जहां आवेदक रहता है अनुसूची 2(12)), और अगर काम की जगह घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो यात्रा का भत्ता देना चाहिये (अनुसूची 2(14))।
- काम करने के स्थान पर पीने के साफ पानी की सुविधा, आपात चिकित्सीय देखरेख, बच्चों की देखरेख, और विश्राम करने के लिये शेड़ की सुविधा होना चाहिये। अनुसूची 2(27))।
- किसी भी मनरेगा कार्यकर्ता का परिवार जो मर जाता है, या स्थायी रूप से मग्नरेगा के काम से अक्षम हो जाता है, वह रु .25,000 क्षतिपूर्ति (अनुसूची 2, धारा 26) के लिए पात्र है।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम करने वाले सभी मग्नरेगा श्रमिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पात्र हैं (पृष्ठ 25 देखें)।

3. आवेदन करने की विधि

- अगर जॉब कार्ड नहीं है (5 साल के लिए वैध), तो अपनी पंचायत में नौकरी के कार्ड के लिये आवेदन करें।(अनुसूची 2(3))।
- पंचायत में काम के लिये आवेदन करें। (अनुसूची 2(9))।
- 15 दिनों के अन्दर काम मिल जायेगा। (अनुसूची 2(6))।
- काम करने के 14 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना चाहिये। (सेक्शन 3(3))।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है तो)

- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें) को आर टी आई ड़ालें या ऑन लाइन यहाँ)।

5. सफलता की कहानी

जागीर गांव, बिजनौर क्षेत्र, उतर प्रदेश की महिलाओं को पता नहीं था कि वो मग्नरेगा। योजना के लागू रोज़गार के योजना के योग्य है या नहीं (कृपया इस पुस्पिका के पृष्ठ 11 को देखें), उनके पतियों के पास रोज़गार कार्ड होता है पर वो रोज़गार की तलाश में बाहर जातें है। शेयर प्रोजेक्ट के कर्मचारी ने सूचित किया कि वास्तव मे महिलाएँ भी इस योजना की हकदार है। यह जानकर महिलाएँ ग्राम प्रधान के पास काम मांगने गयी। अतः उन्हें मग्नरेगा (MGNREGA) योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण में रोज़गार मिला।

2. आय – पेंशन

जब बीपीएल परिवार रोजगार से एक नियमित आय प्राप्त नहीं कर सकते, पर अपनी किसी गलती के द्वारा नहीं, तो ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा दिया जाने वाला नकद भुगतान पेंशन कहलाता है ।

1. संबंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वैबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

राज्य सरकार

- समाज कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः एन एस ए पी के निर्देश यहॉ और राइट टू फूड यहां और यहां)

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** – 60 से 79 साल के विधवाओं के लिये 200 हर महीने की पेंशन। 80 साल और उससे अधिक आयु के विधवाओं के लिये 500 हर महीने की पेंशन (एन एस ए पी क पृष्ट 6 अनुच्छेद 2.3)।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना *** – 40 से 79 साल की आयु तक की विधवाओं को 300 स्पये हर महीने की पेंशन। 80 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 500 रूपये हर महीने की पेंशन (एन एस ए पी क पृष्ट 6 अनुच्छेद 2.3)। राज्यों को ऐसी ही धनराशि का योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है (ऊपर दी गई 2014 के निर्देशों का अनुच्छेद 2.4.1)
- **विकलांगता पेंशन *** – 18 साल से 79 साल की आयु तक के उन व्यक्तियों को जिन्हें 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता है, 300 हर महीने की पेंशन। 80 साल और उससे अधिक आयु के विकलांगों के लिये 500 रुपये हर महीने की पेंशन (एन एस ए पी क पृष्ट 6 अनुच्छेद 2.3)। पृष्ठ 25 पर विकलांगता खंड़ भी देखें।
- यहां सूचीबद्ध कई अन्य पेंशन (शीर्ष दाईं ओर अपने राज्य में परिवर्तन, फिर बाईं ओर 'पेंशन' पर क्लिक करें)।

ध्यान दें ..... * से चिन्हित पेंशन योजनाओं का एक निश्चित सलाना बजट है। इसलिये, पात्रता के मानदंड़ को पास करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उस वर्तमान वित्तीय वर्ष में सफलता मिल जायेगी।
न्यूनतम पेंशन की दरें यहां दी गई हैं (अनुच्छेद 2.3), 300 हर महीने या 80 साल से अधिक के लिये 500 हर महीने। राज्यों को ऐसी ही धनराशि का योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है (अनुच्छेद 2.4.1) ताकि कुछ राज्यों में पेंशन को उच्च दरों पर लाया जाये।

3. आवेदन की विधि

सभी पेंशनों के लिये..... आवेदक को कोई अन्य पेंशन नहीं मिलनी चाहिये।
सब योजनाओं के लिये .....

- दस्तावेज (नीचे सूचीबद्ध है) पंचायत या स्थानीया ब्लॉक कार्यालय में जमा करें ।
- पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में उन दस्तावेजों की जॉच करेगी, फिर दस्तावेजों को समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
- समाज कल्याण विभाग आवेदन पत्र को मंजूर कर लेगा (आशा की जाती है)।
- पेंशन पोस्ट आफिस में या बैंक के खाते में जमा होनी चाहिये और स्वीकृत तारीख पर उसका भुगतान होना चाहिये।

प्रत्येक केंद्र सरकार की पेंशन के लिए दस्तावेज (यहां देखें और अपने राज्य पर क्लिक करें)
वृद्धावस्था पेंशन के लिये –

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 70 देखें
- उम्र का सबूत (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो की गवाही),
- बी पी एल प्रमाण पत्र,
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पड़ोसियों ...एम एस ए...स्थानीय दुकानदार की गवाही उनके कार्ड की फोटोकॉपी),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- शपथ–पत्र जिस में लिखा नाम, पता, आयु, बी पी एल, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है

विधवा पेंशन

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 70 देखें
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र,
- बी पी एल प्रमाण पत्र,
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पड़ोसियों ...एम एस ए...स्थानीय दुकानदार की गवाही उनके कार्ड की फोटोकॉपी),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- नाम, पता, आयु, बी पी एल, परिवार के सारे सदस्य, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, पति की मृत्यु के बाद अब तक विवाह नहीं किया है, और अगर करेगीं तो सरकार को सूचित करने का वादा .... इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र

विकलांग पेंशन

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 70 देखें
- 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र,
- बी पी एल प्रमाण पत्र,
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पड़ोसियों की गवाही),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- नाम, पता, आयु, बीपीएल, परिवार के सारे सदस्य, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- पंचायत से जाँच करें; फिर
- यहां अपने आवेदन की स्थिति पर ऑन–लाइन जांचें (आवेदन संख्या की आवश्यकता है) फिर
- ज़िला परिवीक्षा अधिकारी को अपील करें, जिसके पास पेंशन के माामलों के लियु कुछ अधिकार हैं; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- समाज कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें ।

5. सफलता की कहानी

शादी के बाद करीन अपने गाँव से शहर आई। उसका पूरा परिवार अपने पति और 4 बच्चों के साथ अस्थायी झुग्गी जो अवैध तौर से बनायी गयी झुग्गियों समूह में रहने लगा। 2007 में करीन् की 11 महीने की बच्ची की मृत्यु दस्त के कारण से हुयी । कुछ महीनों के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गयी । इस बार शायद टीबी के वजह से हुई। करीन अपने 3 बच्चों के साथ, बिना आमदनी के साथ, एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगी और उनके हालात बहुत बुरे थे।

राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए 1000रु की पेंशन रखी है पर वो करीन् को नहीं मिल रही थी। कुछ साधारण जानकारियों से पता चला कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन मिलती है। (कृपया इस पुस्तिका के पृष्ठ 12 को देखें) । प्रशासन ने कहा कि करीन् इस पेंशन के योग्य नहीं हैं क्योकि उसके पास खाता नहीं हैं । करीन् के पास कभी बैंक खाता नहीं था, तो हम पास के बैंक उसका खाता खुलाने गए। बैंक मैनेजर ने खाता खोलने से मना कर दिया और कहा कि पहचान दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है (कृपया इस पुस्तिका के पृष्ठ 58 को देखें) । करीन् के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था तो हमारा अगला पड़ाव चुनाव विभाग था हमने विभाग से करीन् के लिए चुनाव वोटर कार्ड पूछा। काफी दिनों के बाद वह उसकी झुग्गी आये। उन्होनें सर हिलाते हुए कहा माफ़ करिए यह झुग्गी में रहती हैं, हम इन्हें वोटर कार्ड नहीं दे सकते। हमने विरोध किया और बताया कि यह कानून है हर भारतीय नागरिक का एक पहचान पत्र होना अधिकार है चाहे वो झुग्गी में रहे या राजमहल में रहे (कृपया इस पुस्तिका के पृष्ठ 54 को देखें) । थोड़ी देर के बाद उन्होंनें सर हिलाया और हाथ खुजलाते हुए मान गए ।

एक हफ्ते के बाद, हम पहचान पत्र के साथ फिर बैंक गए, शुक्र है उन्होंने बैंक खाता खोल दिया। हम फिर दुबारा समाज कल्याण विभाग गए, इस भरोसे कि हमें सफलता मिलेगी, परन्तु हम फिर असफल हुए । बैंक खाता हो या न हो, एक सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिससे यह साबित हो कि वो दिल्ली में 5 साल से रह रही है । हताश होकर हमने प्रार्थना पत्र समाज कल्याण विभाग मुख्य अधिकारी को लिखा (कृपया इस पुस्पिका का पृष्ठ 64 को देखें), जिन्होंने आखिरकार हमारे निवेदन को मान लिया ।6 महीने की सरकारी उथल पुथल के बाद, करीन् को आखिर में पेंशन मिलने लगी, और 5 महिने का भुगतान भी मिला, अब उसके पास 5,000 रु बैंक खातें में हैं।

3. आय – लड़की के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन

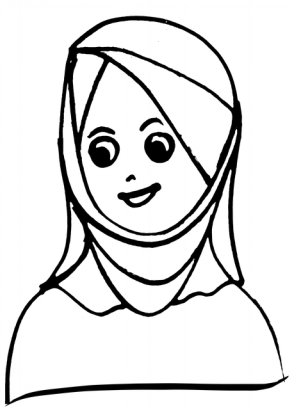

संसार में सबसे खराब लिंग अनुपात भारत में है। हर साल हजारों कन्या–भ्रूण हत्याएं होती है। विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य, लड़कियों के जन्म, उनके प्रतिरक्षण, और स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर को उत्तरोत्तर पूरा करने पर, उनके लिये धन जमा करके भारतीय परिवारों को लड़कियों और उनकी शिक्षा की कीमत को समझने में मदद करना है।

1. संबंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- महिला और बाल मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

राज्य सरकार

- महिला और बाल विकास विभाग (यहां पर देखें)

2. अधिकार (वेबसाइटः महिला और बाल विकास विभाग (यहां और चाइल्डलाइन यहां)

बालिका समृद्धि योजना (विवरण **यहां**)

महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत यह एक केंद्रीय योजना है। यह योजना सभी लड़कियों की माताओं के लिये 500 रुपये नकद देती हैं, और उसके बाद शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये आगे इस प्रकार से भुगतान करती हैं ..... 1 से 3 कक्षाओं के लिये 300 रुपये हर साल; कक्षा 4 के लिये 500 रुपये; कक्षा 5 के लिये 600 रुपये; कक्षा 6 से 7 तक के लिये 700 रुपये; कक्षा 8 के लिये 800 रुपये; कक्षा 9 और 10 के लिये 1000 रुपये। चाइल्ड लाइन का वैबसाइट देखें **यहां**।

3. आवेदन की विधि

बालिका समृद्धि योजना (विवरण यहां)

- फार्म आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिले या यहां पर उपलब्ध फार्म का उपयोग करे
- बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ जाँच करें; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ** क्लिक करें)। **फिर**
- महिला और बाल विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

4. आय – जीवन बीमा

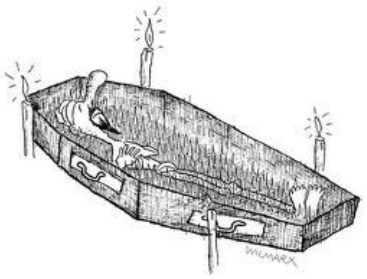

जब किसी परिवार का कमाने वाला मर जाता है, तो वह परिवार गरीबी की चपेट में आ सकता है। जीवन बीमा मृत्यु के तनाव को कुछ हद तक कम कर सकता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- भारतीय जीवन बीमा निगम (वैबसाइट **यहां**)

2. अधिकार (वेबसाइटः भारतीय जीवन बीमा निगम, वैबसाइट यहां 2013)

आम आदमी बीमा योजना (जानकारी के लिये यहां देखें)

- आवेदक की आयु 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिये।
- परिवार कुछ व्यावसायिक समूहों या ग्रामीण भूमिहीन घरेलू में ठच्स् से ऊपर या मामूली रूप से होना चाहिए (देखें FAQ 2 यहाँ)।
- आवेदक परिवार का प्रमुख या परिवार में एक कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।
- हर माह 200 रुपये की प्रीमियम का भुगतान किया जाता है – 50 प्रतिशत राज्य और 50 प्रतिशत केंद्र से। (यहां देखें).
- उस व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को रु30,000 मिलते हैं (लाभ #1 यहाँ देखें)।
- मृत्यु या स्थायी कुल विकलांगता (2 आंखों या 2 अंगों की हानि) के कारण दुर्घटना होने पर परिवार को रु75,000 (देखें लाभ #1 यहाँ)।
- दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में (एक आंख या एक अंग का नुकसान) राशि रु37,500 (यहाँ लाभ #2 देखें)।
- बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के दो बच्चों को 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई के लिये वज़ीफा मिलता है। प्रत्येक बच्चे के लिए हर महीने १०० रु।, (लाभ देखें #3 यहाँ)।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (जानकारी के लिये यहां देखें)

- हर महीने 20,000 (10,000 सैन्ट्रल बैंक से और 10,000 राज्य से) रूपये की सहायता उन परिवारों को देती है जिनका प्रमुख कमानेवाला (18 से 65 साल की आयु तक का) मर जाता है; 20,000 रूपये की सहायता, आकस्मिक या महामारी के कारण होनी वाली मृत्यु के लिये या 5000 रूपये की सहायता प्राकृतिक मृत्यु के लिये है। परिवार की शेष सलाना आय 15,000 स्पये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

3. आवेदन करने की विधि

आम आदमी बीमा योजना

सीधे एल आई सी को आवेदन करें इस फार्म पर। आयु प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैंः – (यहाँ जानकारी देखें)

- राशन पत्रिका या
- जन्म रजिस्टर से निकालें या
- स्कूल प्रमाणपत्र से निकालें या
- मतदाता सूची या
- प्रतिष्ठित नियोक्ता ६ सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र या
- विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड)

कमाने वाले की मृत्यु

फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 73 देखें। दस्तावेज (नीचे सूचीबद्ध है) पंचायत या स्थानीया ब्लॉक कार्यालय में जमा करें ।

- कमाने वाले की मृत्यृ का प्रमाण पत्र, मृत्यु के समय आयु 18 से 64 साल की थी,
- बी पी एल प्रमाण पत्र,
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पडौसियों...एम एल ए...स्थानीय दुकानदार की गवाही),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- नाम, पता, आयु, बी पी एल, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र (एफीडेविट)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- (आम आदमी के लिए) एल आई सी कार्यालय को शिकायत करें; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए पंचायत से जाँच करें; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- समाज कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

5. आय – व्यावसायिक प्रशिक्षण

भारत सरकार उन लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रही है जो स्कूल से बाहर हो गए हैं ताकि वे अभी भी कार्यरत हों। देश भर में जन शिक्षा संस्थान और PMKVY के प्रशिक्षण केंद्र हैं जो पूर्व शिक्षा योग्यता पर जोर दिये बिना बहुत कम कीमतों में उचित गुणवत्ता के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये केंद्र बस्तियों में रहने वाले और दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये बनाये गये हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण यहां।
- कौशल विकास मंत्रालय **यहां**।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (यहां)।

2. अधिकार (वेबसाइटः जन शिक्षा संस्थान संदर्भः यहां PMKVY यहां 2016 और DDUKVY यहां 2014).

जे एस एस

- जे एस एस, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम, (लगभग 371) मोमबत्ती बनाने से लेकर सिलाई और कम्प्यूटर कोर्स तक प्रदान करते हैं।
- हर प्रदेश में जे एस एस के बहूत केंद्र हैं (इनकी स्थिति जानने के लिये **यहां** पर क्लिक करें)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (यहां)

- सरकार द्वारा भुगतान की गई सभी फीस ('चार साल के लिए स्वीकृत' के तहत यहां देखें)
- कॉलेज या स्कूल छोड़ने वालों या बेरोजगारों (लघु अवधि प्रशिक्षण के तहत यहां देखें) के लिए।
- लघु पाठ्यक्रम (150–300 घंटे) में कौशल प्रशिक्षण (लघु अवधि प्रशिक्षण के तहत यहां देखें)।
- सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण शामिल है (ज्मतउ लघु अवधि प्रशिक्षण के तहत यहां देखें)।
- पिछली शिक्षा की मान्यता के लिए प्रावधान (पूर्व शिक्षा की मान्यता के तहत यहां देखें)।
- सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्लेसमेंट स्थापित करने का प्रयास। ('प्लेसमेंट दिशानिर्देश' के तहत यहां देखें)
- कई अलग–अलग पाठ्यक्रम से चुन सकते हें (यहां देखें और चुनिंदा सेक्टर के नाम पर मेनू को छोड़ दें)।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (यहां)

- गरीब ग्रामीण परिवारों से युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (15–35 वर्ष)।
- 21 राज्यों में, 330 धंधा। यहां अपने पास एक केंद्र खोजें।

3. आवेदन करने की विधि

जे एस एस

- 6 महीने के हर कोर्स के लिये अप्रैल और अक्टूबर में दाखिले होते हैं। फीस 100 है।
- सीधे दाखिले के लिये प्रशिक्षण केंद्र को सम्पर्क करें (यहां पर क्लिक करें और फिर अपने इलाके पर क्लिक करें)।
- दाखिले के लिये जरूरी दस्तावेज़ ..... राशन कार्ड, 2 पहचान प्रमाण पत्र, 4 या 5 पासपोर्ट साइज की फोटो।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- सीधे प्रशिक्षण केंद्र में आवेदन करें। यहां निकटतम प्रशिक्षण केंद्र का पता लगाएं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (यहां)

- ग्राम पंचायत या ग्राम रोजगार सेवक पर जाएं, जो पास के प्रशिक्षण केंद्र की सिफारिश करेगाय
- एक केंद्र के पास या एक व्यापार खोजें जिसे आप यहां चाहते हैं और वहां आवेदन करें या
- यहां लाइन पर आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- आपने जहां भी आवेदन किया है वहां फिर से शिकायत करेंय। फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- **आरटीआई जेएसएस (संपर्क विवरण यहां) कौशल विकास मंत्रालय (यहां संपर्क), ग्रामीण विकास मंत्रालय यहां या ऑन लाइन यहां।**

6. आय – ड्राइवर लाइसैंस

किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, ड्राइविंग (गाडी चलाना) एक अच्छी आय हो सकती है। गाड़ी चलाने के लिये केवल एक ड्राइविंग लाइसैन्स की आवश्यकता, लाइसैंस परिवहन विभाग से दिया जाता है। कहा जाता है कि परिवहन विभाग बहुत भ्रष्ट है जो लाइसैन्स देने के लिये अधिकतर लोगों से रिश्वत की मांग करता है।

1. संबंधित विभाग

राज्य सरकार

- परिवहन विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः अभिवक्ता या वकील की खोज यहां करें परिवहन विभाग यहां)

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (यहां "ड्राइवर लाइसेंस क्या है?")

- लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस – केवल छह महीने के लिए वैध।
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस – शिक्षार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस पर कम से कम एक महीने के बाद।

आयु योग्यता (यहां "लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है?")

18 साल का कोई भी व्यक्ति जिसने गाडी चलाना सीखा हो, दो अपवाद:

- 16 साल की आयु में 500 सी सी तक, बिना गियर वाली दो पहिया वाहनों के लिये लाइसैंस मिल सकता है। और
- कर्मिशयल गाडियों का लाइसैंस लेने के लिये 20 साल का होना आवश्यक है।

3. आवेदन करने की विधि

- अनुप्रयोगों के लिए दिशा–निर्देशों के लिए (यहां "लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है?")
- लरनर्स पर्मिट के लिये आवेदन करें (फॉर्म 2 यहां), या पृष्ठ 75 पर अपने निकटतम स्थानीय सड़क परिवहन कार्यालय को खोजें।
- आपको नीचे दी गई चीजों के बारे में एक टैस्ट पास करना पड़ेगा
  - यातायात चिन्ह, यातायात संकेत, और खंड 118 के तहत बनाये गये सड़क अधिनियम के नियम।
  - दुर्घटना में फंसने पर, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये या शारीरिक चोट लगी हो; या तीसरे पक्ष की संपति को नुकसान पहुंचा हो, ड्राइवर के कर्तव्य।
  - मानव रहित रेलवे क्रासिंग को पार करते समय ली लाने वाली सावधानियां।
  - गाडी चलाते समय ड्राइवर के पास होने वाले दस्तावेज।
- गाडी चलाना सीखें।
- पूरे लाइसैंस के लिये आवेदन करें। आर टी ओ को इन चीजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें (फॉर्म 4 यहां)
  - ड्राइविंग टैस्ट पास करने का प्रमाण,
  - लरनर्स लाइसैंस,
  - मैडीकल सर्टीफिकेट, (फॉर्म 1 ए **यहां**)
  - पासपोर्ट साइज की 3 फोटो,
  - फीस
  - आयु का प्रमाण,
  - आवासीय पते का प्रमाण,
  - अगर आयु 18 साल से कम है तो माता–पिता की मंजूरी।

4. हिमायत करना

- आपने जहां भी आवेदन किया है वहां फिर से शिकायत करेंय। फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- परिवहन विभाग को आर टी आई ड़ालें।

7. आय – स्वयं सहायता समूह

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का उद्देश्य लोगों के सेविंग समूह बनाना है, जो छोटे कारोबार शुरू करने के लिये अपने आप फंड तक पहुंच सकते हैं।

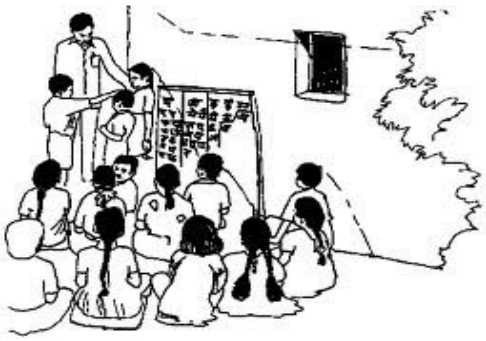

1. सम्बंधित विभाग

केंद्रीय सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

राज्य सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (दीन दयाल अंत्योदय योजना 2014 यहां)।

दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (पूर्व में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में जानी जाती है) की जगह लेती है। घटक हैं:

- कौशल प्रशिक्षण और नौकरी की नियुक्ति – शहर के आजीविका केंद्रों के माध्यम से बाजार उन्मुख कौशल में शहरी गरीबों के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति की अनुमति है (देखें 18 पृष्ठ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण)।
- स्व–सहायता समूह प्रशिक्षण सदस्यों और हाथ पकड़ने के लिए, प्रत्येक समूह के लिए 10,000 का प्रारंभिक समर्थन। पंजीकृत एरिया लेवल फेडरेशन को 50, 000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- शहरी गरीबों के लिए ब्याज सब्सिडी – 2 लाख तक के ऋण के साथ व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 5: – 7: की ब्याज सब्सिडी।
- यहां सूचीबद्ध कई अन्य ऋण (ऊपर दाईं ओर आपके राज्य में परिवर्तन, फिर बाईं ओर 'आजीविका और व्यवसाय' पर क्लिक करें)।

3. आवेदन करने की विधि

- जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी को या
- खंड विकास अधिकारियों को

4. हिमायत करना

- आपने जहां भी आवेदन किया है वहां फिर से शिकायत करेंय। फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- ग्रामीण विकास विभाग को आर टी आई ड़ालें।

5. सफलता की कहानी

जिला छत्तरपुर के खैरों गांव में एक स्वयं सहायता समूह बना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वारोजगार योजना के तहत इस समूह को ग्रामीण बैंक से 1,00,000 का लोन मिला जिससे उन्होंने 48 मादा और 2 नर बकरियां खरीदीं। अब उनके पास 103 बकरियां हैं जिन्हें वह 2,000 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से बेच सकते हैं। अब महिलायें खुश हैं।

8. आय – सूक्ष्म उद्योगों के लिये वित्त

नई भारतीय सरकार लाखों अनौपचारिक उद्योगों की अपने व्यापार को सुधारने के लिये ऋण का उपयोग करने में सक्षम बनाने में मदद करने का प्रयास कर रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- माइक्रो युनिटस डिवेलपमैन्ट एंड रिफाइनैन्स एजेन्सी एम यू डी आर ए www.mudra.org.in

2. अधिकार (वेबसाइटः एम यू डी आर ए यहां)

- छोटे व्यवसाय छोटी यूनिटों (शिशु) के लिये 50,000 तक का ऋण, और मध्यम यूनिटस (किशोर) के लिये 50,000 से 5 लाख तक का ऋण
- मध्यम इकाइयों (किशोर) के लिए रु .50,000 – 5,00,000 के ऋण

आसान नियम और शर्तें

- कोई जमानती (समर्थन) नहीं
- काम की कोई फीस नहीं
- 5 सालों तक ऋण अदायगी

3. आवेदन करने की विधि

किसी भी बैंक में आवेदन करें। नीचे लिखे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है .....

- भरा हुआ फार्म (यहां देखें या हार्ड कॉपी के लिये पृष्ठ 77 देखें)
- पहचान का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- 2 फोटो
- जिन मशीनों को ऋण के साथ खरीदना है उनकी कोटेशन (संविदा दर)
- मशीन देने वाले का नाम
- अपनी पहचान/व्यापार के निवास का प्रमाण
- आवेदक की श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक आदि) का प्रमाण।

या यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें

4. हिमायत करना

- आपने जहां आवेदन किया है वहां के बैंक के मैनेजर को शिकायत करें; फिर
- help@mudra.org.in पर ई मेल करें।; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- आर टी आई डालें यहाँ या व्यक्ति में ऑन लाइनः
  - एम एस एम ई विकास केंद्र
  - सी–11 जी ब्लॉक,
  - बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स,
  - बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई – 400051; फिर

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

3. स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य – सरकारी अस्पताल

सरकारी अस्पतालों को सब के लिये परामर्श, उपचार, जाँच, और दवायें निशुल्क उपलब्ध करानी चाहिये। दुख की बात है कि, सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली की वित्तीय हालत बहुत खराब है, और यह अस्पतालों, डाक्टरों, और दवाओं की कमी का कारण है। इस कारण अस्पतालों में बहुत भीड़ होती है। इसलिये मध्यम वर्ग के अधिकतर लोग निजी अस्पतालों में जाते हैं। सरकार ने हाल ही में बी पी एल परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में निजी अस्पतालों के द्वारा चिकित्सीय देखरेख का उपयोग करने में मदद करने की कोशिश की है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वैबसाइट के लिये **यहां** पर क्लिक करें)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (यहां)।

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः PMJAY यहाँ 2019 और NHM पुस्तिका यहाँ 2013

सभी निवासियों के लिये उच्च गुणवत्ता का सस्ता इलाज सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर उपलब्ध है (यहाँ छग्ड पुस्तिका देखें)

- **जिला अस्पताल** (प्रति जिला–1, आबादी 20 लाख, बहुउद्देश्य डाक्टर एवं जांच) यहाँ क्लिक करें और पृष्ठ 7 पर देखें
- **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र** (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति सब–जिला–1; आबादी 1 लाख, 5 या 6 डाक्टरों का स्टॉफ) यहाँ पर पृष्ठ 7 देखें
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति प्रखण्ड–1; आबादी 30000, 1 डाक्टर का स्ऑफ) यहाँ पर पृष्ठ 6 देखें
- **सब–सेंटर** (1 सब–सेंटर आबादी 5,000 के लिए, 1 ए एन एम का स्ऑफ) यहाँ पर पृष्ठ 6 देखें

प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या यहाँ क्लिक करें। भारत में सभी च्भ् के मानचित्रों के लिए यहां देखें (और 'स्वास्थ्य डेटा पर जाएं' फिर जिलावार स्वास्थ्य सुविधा ')। मानचित्र के लिए अपने राज्य और फिर अपने जिले पर क्लिक करें।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (च्ड्श्र।ल्) (विवरण यहाँ और गाइडबुक यहाँ)।

- सभी गरीब परिवारों को पात्र होना चाहिए (पात्रता की जांच के लिए यहां क्लिक करें) और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- योग्य परिवारों को एक ई–कार्ड मिलता है।
- प्रति परिवार प्रति वर्ष रु।
- परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र पर कोई टोपी नहीं। नामित परिवारों के सभी सदस्यों को कवरेज मिलता है।
- द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती हैं।
- शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, दिन देखभाल उपचार, दवाओं और निदान की लागत को कवर करने वाले 1,350 मेडिकल पैकेज।
- पहले से मौजूद सभी बीमारियाँ।

कैंसर, नसबंदी, गर्भावस्था और यहां सूचीबद्ध अन्य रोगियों के लिए अन्य वित्तीय सहायता (अपना राज्य शीर्ष दाएं बदलें, फिर बाईं ओर जीम हेल्थकेयर 'पर क्लिक)

3. आवेदन करने की विधि

बिना स्मार्ट कार्ड लोगों के लिये–किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर कतार में खड़े होकर इन्तजार करें ।
आपका निकटतम जिला अस्पताल _____ है और CHC _____ के लिए पृष्ठ 4 पर है।
PMJAY ई–कार्ड धारकों के लिए : (पूरी प्रक्रिया के लिए यहां गाइडबुक पर पेज 6 देखें।)

- यहाँ पात्रता की जाँच करें या 1800111565 पर फोन करके।
- यदि पात्र उपचार के लिए पंजीकृत अस्पताल जाते हैं (जाँच करें कि कौन से अस्पताल यहाँ पंजीकृत हैं)।

अन्य वित्तीय सहायताः यहां जाएं और शीर्ष दाईं ओर अपना राज्य बदलें। फिर बाईं ओर बसपबा हेल्थकेयर 'पर क्लिक करें। फिर आवेदन प्रक्रिया खोजने के लिए ब्याज की योजना पर बसपबा और पढ़ें 'पर क्लिक करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- संदिग्ध अस्पताल के चिकित्सीय अधीक्षक को शिकायत करें; फिर
- जिला का मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करें; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आर टी आई डालें ।

2. स्वास्थ्य – गर्भावस्था और प्रसव

भारत में अब भी मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है। जेएसवाई/एएसएचए और दूसरी योजनायें महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बराबर चैकअप (जाँच) करवाने और सी एच सी या किसी अस्पताल में प्रसव करवाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये बनाई गई हैं।

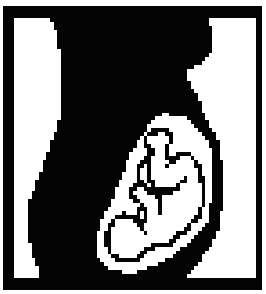

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वेब यहाँ)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यहा)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड़ सिक्योरिटी एक्ट 4(बी) के तहत यहा)

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- महिला और बाल विकास विभाग (यहां पर देखें)

2. अधिकार (वेबसाइटः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यहां 2018)

ए एस एच ए (मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता) (आशा की जानकारी के लिये यहाँ देखें)

- आशा गांव के स्तर पर चुनी हुई स्थानीय महिलायें हैं, जो गर्भवती महिलाओं और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक कड़ी हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत (यहाँ देखें)

- प्रत्येक गर्भवती महिला आंगनवाड़ी भोजन (NFSA 4(a)) की हकदार हैय तथा
- किश्तों में 6,000 रुपये का भुगतान (NFSA 4(b))। (दिसंबर 2018 तक घटकर रु। 5000) हो गया। इस योजना को अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (यहाँ देखें) के रूप में जाना जाता है।

इस योजना के माध्यम से, (यहाँ विवरण) 1,500 रुपये का पहला भुगतान दूसरे प्रसव/गर्भावस्था के तीसरे महीने के अन्त तक किया जाता है, अगर .....

- गर्भ धारण करने के चार महीनों के अन्दर, गर्भावस्था को आंगनवाड़ी में पंजीकृत कराया हो,
- प्रसव से पहले की देखरेख के लिये कम से कम एक सत्र में भाग लिया हो और *आई एफ ए* की गोलियां और *टी टी* का इंजैक्शन लिये हों, और
- आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक बार सलाह सत्र में भाग लिया हो।

1,500 रुपये का दूसरा भुगतान प्रसव के तीन महीने के बाद किया जाता है, अगर .....

- बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया गया हो,
- जन्म के समय *बी सी जी* और *ओ पी वी*, जन्म के 6 सप्ताह के बाद, और 6 सप्ताह के बाद, बच्चे को *डी पी टी* और *ओ पी वी* के टीकें लगें हो, और
- प्रसव के 3 महीने के अन्दर माँ ने बच्चे के विकास की निगरानी करने के कम से कम दो सत्रों में भाग लिया हो।

1,000 रुपये का तीसरा भुगतान प्रसव के 6 महीनों के बाद किया जाता है, अगर .....

- 6 महीनों के लिये केवल स्तनपान करवाया गया हो और माँ द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त भोजन खिलाया गया हो,
- बच्चे को *ओ पी वी* और *डी पी टी* की तीसरी खुराक मिली हो,
- माँ ने विकास की निगरानी करने और नवजात बच्चे और शिशु के पोषण और प्रसव के तीसरे और छठे महीनों के बीच भोजन खिलाने के लिये कम से कम दो सत्रों में भाग लिया हो ।

जननी –शिशु सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव के लिये भुगतान यहां

- 10 एल पी एस राज्यों में, जिनकी सूची यहां दी गई है, सारी महिलाओं के सारे जन्म के लिये भुगतान मिलता है, ।
- भुगतान नीचे दी गई दरों पर हैं, (यहां भी देखें पृष्ठ 1,2 पर) ('नकद सहायता का स्केल' देखें)।–

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	माँ	आशा	माँ	आशा
एल पी एस	1,400	600	1,000	200
एच पी एस	700	-	600	-

जननी –शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नई पहल के तहत (यहां 2011)

जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर गर्भवती महिला के लिये मुफ्त अधिकारों में ये सब शामिल हैं .....

- निःशुल्क और कैशलैस प्रसव और सीज़ैरीयन (ऑप्रेशन द्वारा प्रसव)
- निःशुल्क दवाईयां, उपयोग करके खत्म होने वाली चीज़ें, और परीक्षण (टैस्ट)
- अस्पताल/सी एच सी के रहने के दौरान निशुल्क भोजन – सामान्य प्रसव में 3 दिनों तक और ऑप्रेशन से प्रसव में 7 दिनों तक।
- जरूरत पड़ने पर निशुल्क रक्त
- सरकारी अस्पताल/सी एच सी में आने...जाने....और अस्पताल में घूमने के के लिये निःशुल्क परिवहन

बीमार नवजात शिशुओं के लिये निःशुल्क अधिकार जन्म के 30 दिनों के बाद तक (अब बढ़ा दी गई हैं) .....

- निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाईयां, उपयोग करके खत्म होने वाली चीज़ें, और परीक्षण
- निःशुल्क रक्त की सुविधा
- सरकारी अस्पताल/सी एच सी में आने...जाने.... के लिये निशुल्क परिवहन

3. आवेदन करने की विधि

- एनएफएसए (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के तहत भुगतान के लिए, अपने निकटतम आशा या आंगनवाड़ी से संपर्क करें।
- अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय जे एस वाई का भुगतान ऊपर लिखे तरीके के अनुसार प्राप्त करें।
- निःशुल्क प्रसव के लिये, आशा के साथ पी एच सी/सी एच सी/अस्पताल में जायें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है तो . . .)

- जहां पी एच सी या सी एच सी हैं वहां जिले के सी एम ओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को शिकायत करें, फिर
- जहां पर पी एच सी या सी एच सी हैं वहां के जिले के सी एम ओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को शिकायत करें, फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आर टी आई डालें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

3. स्वास्थ्य – प्रतिरक्षण (बचाव) (टीकाकरण)

भारत में अभी भी शिशु दर अधिक है। प्रतिरक्षण में कवरेज (बीमा से मिलने वाली आर्थिक मदद) की कमी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे हर साल हजारों बच्चे राके जानी वाली बीमारियों से मर जाते हैं। नीचे दी गई योजना का उद्देश्य प्रतिरक्षण कवरेज को बढ़ाना है।

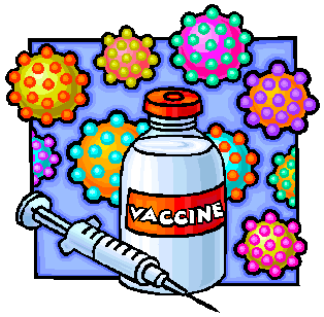

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वैबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (वैब साइट यहां)

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ 2011)

सरकार का उद्देश्य यहां दिये (प्र 5,6 देखें) केंद्र सरकार की अनुसूची के तहत सर्वव्यापी प्रतिरक्षण देने का है।

आयु	प्रतिरक्षण
जन्म के 48 घन्टों के अन्दर	ओ पी वी (पोलियो का पहला टीका), हिपैटाइटिस बी पहला
जन्म (पहले साल तक)	बी सी जी (टी बी)
1.5 महीने (6 सप्ताह)	डी पी टी पहला, ओ पी वी (पोलियो का दूसरा टीका), हिपैटाइटिस बी दूसरा
2.5 महीने (10 सप्ताह)	डी पी टी दूसरा, ओ पी वी (पोलियो का तीसरा टीका), हिपैटाइटिस बी तीसरा
3.5 महीने (14 सप्ताह)	डी पी टी तीसरा, ओ पी वी (पोलियो का चौथा टीका), हिपैटाइटिस बी चौथा
9–12 महीने	मीसल्ज़स (खसरा)
16–24 महीने	डी पी टी पहला बूस्टर, ओ पी वी पोलियो बूस्टर, मीसल्ज़स का दूसरा
5 साल	डी पी टी दूसरा बूस्टर
10 साल	टी टी का पहला
16 साल	टी टी का दूसरा

कुछ राज्यों में (मुख्य रूप से दक्षिण भारत में) जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई = दिमागी बुखार) और हिब (मदज पेंटावैलेंट के रूप में) भी दिया जाता है।

टीकाकरण इन स्थानों पर किया जाता हैः–

- आशा और ए.एन.एम गांव के स्वास्थ्य दिवसों पर; या
- उप केंद्र; या
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

मेरा निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है.....और प्रा0 स्वास्थ्य केंद्र है.....एवं उप केंद्र है.....पृ. 5 के टेबल पर लिखें।

3. आवेदन करने की विधि

अपने बच्चे को लेकर जाएं:

- ग्राम स्वास्थ्य दिवस; या
- उप केन्द्र; या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; या
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रः

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है तो . . .)

- जहां पी एच सी या सी एच सी हैं वहां जिले के सी एम ओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को शिकायत करें, फिर
- जहां पर पी एच सी या सी एच सी हैं वहां के जिले के सी एम ओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को शिकायत करें, फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आर टी आई डालें ।

4. स्वास्थ्य – टी बी

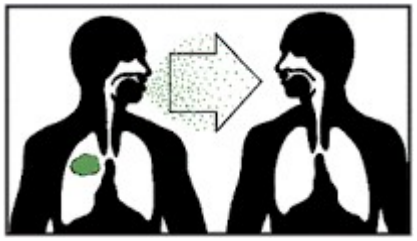

टी बी एक ऐसा रोग है जिसका इलाज हो सकता है और जो ठीक हो सकता है, फिर भी हर साल 300,000 भारतीय इस रोग से मरते हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्रीय तपेदिक प्रभाग (वैबसाइट के लिये **यहां** देखें)

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल यहां 2017)

- सरकारी डॉटस केंद्रों में निःशुल्क निदान और इलाज।
- अवलोकन के लिए यहां देखें और वअमतअपमू डिटेक्ट 'तक स्क्रॉल करें, फिर 'दक फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट'।

3. आवेदन करने की विधि

अगर आपको या आप के किसी जानकार को ये लक्षण हैं,.....(अधिक जानकारी के लिय **यहां** न 3 देखें)

- तीन सप्ताहों या उससे अधिक समय से खांसी हैं,
- बुखार आता है, खासकर रात के समय,
- भूख में कमी,
- शरीर के वजन में कमी,

तो, जांच के लिये अपने निकटतम डॉटस केंद्रों में जायें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूरे मानकों को **यहां** देखें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- अपने जिले के जिला टी बी अधिकारी को शिकायत करें; (सारे जिला टीबी अधिकारियों की डायरेक्टरी यहां देखें) ;फिर
- अपने जिले के राज्य टी बी अधिकारी को शिकायत करें; (सारे राज्य टीबी अधिकारियों की डायरेक्टरी यहां देखें); फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आर टी आई डालें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

5. स्वास्थ्य – विकलांगों के लिये सेवायें

हमारे देश में विकलांगों को अभी भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझा जाता है। नीचे दी गई योजनायें विकलांगता का बोझ कम करने के लिये तैयार की गई हैं। विकलांगों को योजनाओं तक पहुँचने के लिये ई एच ए ने अब एक सम्पूर्ण नियम–पुस्तिका बनाई है। इसके लिये रीसोर्सेज़ फिर एडवोकेसी मैन्यूअल फ़िर ऑल इंड़िया फ़िर डिसएबल्ड में ई एच ए की वैब साइट देखें – www.eha-health.org

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) (वैबसाइट यहां)
- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय PWDs का सशक्तीकरण विभाग (वैबसाइट यहां)
- विकलांगता अधिनियम 2016 (यहां) के साथ व्यक्तियों के अधिकार।

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- समाज कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- विकलांगों के लिये आयुक्त के कार्यालय

2. अधिकार वेबसाइटः विकलांगता अधिनियम 2016 (यहां) के साथ व्यक्तियों के अधिकार।

1 विकलांगता प्रमाण पत्र – RPwD Act Sct 58(1) और निर्देशों के लिये यहां देखें, 3,1,3 पृष्ठ 11 देखें)

- PwD का माने है ''दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को दूसरों के साथ समान रूप से बाधा डालता है''
- विकलांगता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है (RPwD Act Sct 58(1)).
- यात्रा रियायत सहित अधिकांश लाभों के लिए 40ः विकलांगता आवश्यक ह (यहाँ परिशिष्ट 12 पृष्ठ 70 मैं)

2 विकलांगता पेंशन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना... आईजीएनडीपीएस) –
(इसकी अधिक जानकारी के लिये यहां क्लिक करें और फिर पृष्ठ 6 न 2,3 देखें या हिन्दी में यहां देखें)

- 18 से 79 की आयु
- गम्भीर या बहु विकलांगता (विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता के लिये 80% से अधिक विकलांगता होनी जरूरी है।)
- केवल बी पी एल परिवार (रु 1 पर क्लिक करें और फिर पृष्ठ 5 देखें)
- पेंशन 300/– प्रति माह है (80 साल से अधिक आयु वालों के लिये 500/– प्रति माह)

3 सहायक साधनों और यंत्रों के लगाने/खरीदने में विकलांगों की सहायता (ए डी आई पी) –

- व्हील चेयर जैसे साधनों वाले विभिन्न योजनाओं की अधिक जानकारी के लिये यहां और यहां देखें।
- प्रति माह 15,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों के लिए उपकरण की पूरी लागत (रु। 10,000 तक) (2018 दस्तावेज के 13 यहाँ देखें)।

4 छात्रवृत्ति

- 10 महीने के लिए प्रति माह विद्वान रु 350 (हॉस्टलर्स रु। 600) (2018 दस्तावेज यहाँ चह30 देखें)।
- वार्षिक पुस्तक भत्ता रु .1,000

5 ट्रेन में यात्रा करने के लिये छूट – (नियम यहां देखें पृष्ठ 2)

- अस्थि विकलांग, नेत्रहीन, और मानसिक मंदताः सभी वर्गों के लिये 75ः छूट, पर 2 एसी और 1 एसी में 50% ; राजधानी/शताब्दी में 25% को छोडकर
- सुनने और बोलने में अक्षम – केवल विकलांगों और उनकी देखरेख करने वालों के लिये 50ः छूट।

6 **सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत अन्य विभिन्न योजनायें –**

- 2018 में विभिन्न योजनाओं का विवरण यहां देखें 2018 की योजनाओं का संकलन।

7 पीडब्ल्यूडी के लिए अन्य वित्तीय सहायता

- यहाँ सूचीबद्ध मुफ्त कृत्रिम अंग (अपना राज्य शीर्ष दाईं ओर फिर बाईं ओर बसपबा हेल्थकेयर 'पर क्लिक करें)।

3. आवेदन करने की विधि

1 विकलांगता प्रमाण पत्र – पूरी प्रक्रिया **यहां** देखें

- सरकारी अस्पताल में उपलब्ध फॉर्म भरें
- पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो
- आवासीय प्रमाण (राशन कार्ड या आई कार्ड)
- अगर विकलांगता 40% और उससे अधिक है तो सरकारी डाक्टरों द्वारा प्रमाणित होना चाहिये, फिर उसी दिन विकलांगता प्रमाण पत्र मिल जाता है (पृष्ठ 11 न 3,1,3 **यहां**)

2 विकलांगता पेंशन

- फॉर्म (**यहां** डाउनलोड करें या हार्ड कॉपी के लिये पृष्ठ 70 देखें);)
- बी पी एल प्रमाण पत्र;
- 80% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र;
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण पत्र (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पड़ोसियों की गवाही);
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर;
- आयु के प्रमाण की फोटाकॉपी (वोटर आई कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड);
- एक फोटो;
- नाम, पता, आयु, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र (एफीडेविट);

सांसद/पार्षद द्वारा प्रमाणित पूरी तरह से भरे गये फार्म। आगे की कारवाई के लिये प्रमाणित फॉर्म तहसील में जमा करने चाहिये।

3 एड्स और उपकरण

- कार्यान्वयन एजेंसी लागू होती है।
- यहां प्रक्रियाएं और 2018 दस्तावेज के पृष्ठ 13 यहां।

4 शिक्षा छात्रवृत्ति

- आवेदन पत्र सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक और संबंधित जिला या सरकारी विशेष स्कूलों के हेडमास्टर के पास उपलब्ध है।

5 यात्रा में छूट (प्रमाण पत्र की जरूरत होती है)–

फॉर्म (**यहां** देखें या आर्थोपैडिक की हार्ड कॉपी के लिये पृष्ठ 78 देखें);

- पासपोर्ट साइज़ की 1 फोटो और विकलांगता प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र

फॉर्म को संबंधित सरकारी अस्पताल में जमा करें, जो डाक्टर से प्रमाणित होना चाहिये .रेलवे रियायत फॉर्म मिल जाता है।
रेलवे रियायत फॉर्म के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगायें।

6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अन्य योजनाएं

- विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए प्रक्रिया यहाँ साइट और 2018 दस्तावेज यहाँ देखें।

7 पीडब्ल्यूडी के लिए अन्य वित्तीय सहायता

- यहां देखें और अपना राज्य शीर्ष दाएं बदलें फिर बाईं ओर। हेल्थकेयर 'पर क्लिक करें। फिर ब्याज की योजना पर जाएं और 'और पढ़ें' पर क्लिक करें)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- विकलांगता प्रमाण पत्र और सहायक साधनों के लिये समाज कल्याण विभाग को आरटीआई डालें; फिर
- विकलांग पेंशन के लिये समाज कल्याण विभाग को आरटीआई डालें;

6. स्वास्थ्य – मानसिक स्वास्थ्य

कई भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य के बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं। अधिकतर मामलों का निदान और इलाज नहीं हो पाता। इसलिये वे अलग थलग रहते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और वे बहुत कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, हालांकि हर भारतीय के कुछ अधिकार है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य के मामले भी शामिल हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय PWDs के अधिकारिता विभाग (वैबसाइट **यहां**)
- विकलांगों के लिये आयुक्त के कार्यालय (वैबसाइट **यहां**)

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 यहां)

1 स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार

• मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को सरकार (या सरकार द्वारा वित्त पोषित) (मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम धारा 18) द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सस्ती कीमत पर गुणवत्ता उपचार का उपयोग करने का अधिकार है।

2 बुरा व्यवहार नहीं – (मेंटल हेल्थकेयर एक्ट सेक्शन 101 (3))।

- कोई भी पड़ोसी या दोस्त अगर देखता है कि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ उसके परिवार वाले या अभिभावक बुरा व्यवहार कर रहें हैं और ठीक से उसकी देखभाल नहीं कर रहें हैं तो वे मैजिस्ट्रेट (न्यायाधीश) से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- अगर मैजिस्ट्रेट देखता है कि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार हुआ है या उसकी अवहेलना की गई है तो वह उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति या रिश्तेदार को बुला कर उसे बीमार व्यक्ति की उचित देखभाल करने का आदेश दे सकता है।
- यदि परिवार जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे जुर्माने के साथ दंड़ित किया जा सकता है।

3 विकलांगता प्रमाण पत्र –

कुछ मामलों में, मानसिक विकार या मनोसामाजिक अक्षम व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कर सकता है और विकलांगता पेंशन और अन्य उन अधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है, जो विकलांगों के लिये सेवाओं में सूचीबद्ध हैं (पृष्ठ 25)।

विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाता हैं यदि विकार 40% से अधिक ह भारतीय विकलांगता मूल्यांकन और आंकलन के मानक (इंडियन डिसएबिलिटी इवैल्युएशन एंड अस्समैन्ट स्केल –आई डी ई ए एस) की स्कोरिंग के अनुसार **यहां** परिशिष्ट 12 में पृष्ठ 70 पर), जिसमें नीचे दी गई चीजें शामिल हैं .....

- स्वयं की देखभालः इसमें शरीर की सफाई का ध्यान रखना, संवारना, नहाना, शौच, कपडे पहनना, भोजन करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शामिल हैं।
- पारस्परिक गतिविधियां (सामाजिक संबंध): इसमें दूसरों के साथ उचित सामाजिक और प्रासंगिक तरीके से पारस्परिक बातचीत शुरू करना और बनाये रखना शामिल हैं।
- बातचीत करना और समझनाः इसमें दूसरों के साथ लिखित/मौखिक/सांकेतिक संदेशों को बनाने और समझने के द्वारा संचार और बातचीत करना शामिल हैं।
- कार्यः किसी भी पहलू से कार्य के तीन क्षेत्र हैं..... रोजगार/घरेलू काम/शैक्षिक
  - काम/नौकरी प्रदर्शन –पूरी तरह और कुशलता से उचित समय में रोजगार में कार्य करने की क्षमता। इसमें रोजगार की मांग भी शामिल है।
  - घरेलू काम – घर परिवार को बनाये रखना, इसमें भोजन पकाना, घर के लोगों की देखभाल करना, सामान की देखरेख करना शामिल हैं। पूरी तरह और कुशलता से उचित समय में घर के कामों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें करना।
  - स्कूल/कॉलेज में प्रदर्शन

4 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का अस्पताल में दाखिला और छुट्टी –

- 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अगर मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत समझता है तो वह जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (एम ओ आई सी) को आवेदन करके अस्पताल में भर्ती हो सकता है। एम ओ आई सी 24 घंटे के अन्दर ज़रूरी जाँच करेगा, और अगर ज़रूरी है तो रोगी को अस्पताल में भर्ती कर लेगा। (सेक्शन 86)
- 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के लिये, अभिभावक के द्वारा आवेदन किया जाना चाहिये। (सेक्शन 87(2))
- अगर मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने में दिलचस्पी दिखाने में असमर्थ है तो उसका कोई दोस्त, रिश्तेदार उसकी तरफ से अनुरोध कर सकते हैं।
- किसी भी व्यक्ति को, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, 90 दिनों से अधिक के लिये भर्ती नहीं किया जा सकता। (सेक्शन 90(8))
- मानसिक रूप से अस्वस्थ किसी भी व्यक्ति के साथ इलाज के दौरान किसी भी प्रकार का अपमानजनक या क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जा सकता। (सेक्शन 20)
- आवेदक के द्वारा छुट्टी का अनुरोध (बालिग), या अभिभावक द्वारा छुट्टी का अनुरोध (नाबालिग), के बारे में तुरन्त ही कार्रवाई की जानी चाहिये और 24 घन्टों के अन्दर रोगी को छुट्टी दी जानी चाहिये। (सेक्शन 87(8), 87(8),88(3))

5 विशेष अधिकार

- मानसिक रूप से अस्वस्थ हर व्यक्ति को अदालत में कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। 27(1)

3. आवेदन करने की विधि

विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये –

- ज़रूरी दस्तावेज –
  - आवासीय प्रमाण;
  - हाल में उतारी गई पासपोर्ट साइज की 2 फोटो।
- जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ) के पास आवेदन पत्र जमा करें।
- अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ) संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन करने वाला विकलांग हैं, तो वह उसे विकलांगता प्रमाण पत्र दे देता है।
- जहां तक सम्भव हो सके, आवेदन पत्र जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर विकलांगता प्रमाण पत्र देना चाहिये; पर किसी भी हालत में, एक महीने से पहले प्रमाण पत्र देना चाहिये।
- अगर आवेदक विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये अयोग्य समझा जाता है, तो सी एम ओ उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के कारण उसे समझायेगा, और इन कारणों को लिखित में देगा।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- विकलांगता प्रमाण पत्र देना अस्वीकार करने के बारे में फिर से जांच के लिये .....
  - जिस आवेदक को प्रमाण पत्र देना अस्वीकार किया जाता है वह इस फैसले की फिर से जांच करने का अनुरोध कर सकता है।
  - फिर से जांच करने के आवेदन पत्र के साथ अस्वीकृति के पत्र या प्रमाण पत्र की एक कॉपी लगी होनी चाहिये, जिसके खिलाफ आवेदन किया जा रहा है।
  - फिर से जांच करने के आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी, अपील करने वाले को सुनवाई का एक मौका देगी और उसके बाद, जैसा उचित होगा वैसा आदेश दिये जायेंगे।
  - फिर से जांच करने के आवेदन पत्र, पर जहां तक सम्भव हो सके, प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अन्दर फैसला लिया जायेगा; पर किसी भी हालत में एक महीने से पहले।
- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को शिकायत करें; (सम्पर्क के लिये यहां देखें); फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- समाज कल्याण विभाग को आरटीआई डालें;

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

7. स्वास्थ्य – बहाली (नशा पुर्नवासन)

हताशा में या आशाहीनता में अनेक गरीब शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। नशीले पदार्थों की लत न केवल अनेक नशेड़ियों का जीवन नष्ट करती है, परन्तु उनके परिवारों और पड़ोसियों का जीवन भी कठिन बना देती है। शराब या नशीले पदार्थों के आदी लोगों को बहाल करने के लिये सरकार नि :शुल्क सेवायें प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (वैबसाइट के लिये **यहां** पर क्लिक करें)
- सरकार द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी संगठनों की सूची यहाँ।

राज्य सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः 1998 में सामाजिक न्याय मंत्रालय यहाँ)।

- सरकारी अस्पतालों में निशुल्क नशा–मुक्ति इलाज।
- कई एन जी ओस सरकार के साथ मिलकर नशा–मुक्ति कार्यक्रम चलाती हैं। भारत में 318 नशा–मुक्ति केन्द्रों की सूची के लिये इस आलेख के पृष्ठ 8 से 27 देखें यहां।
- निःशुल्क 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हैल्पलाइन – 1800 266 2345

3. आवेदन करने की विधि

- सबसे अधिक मशहूर (अच्छी प्रतिष्ठा वाले) अस्पताल या एन जी ओस में उस दिन जायें जब उनका ओ पी डी होता है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- जिस अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करें,
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- समाज कल्याण विभाग को आरटीआई डालें;

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

8. स्वास्थ्य – एच आई वी

हमारे देश में एच आई वी ग्रसित लोग सबसे अधिक उपेक्षित हैं। पर अब सरकार इन लोगों की देखभाल और सहायता करने के लिये व्यवस्था (प्रणाली) बनाने की कोशिश कर रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय–राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (एन ए सी ओ –वैबसाइट, **यहां**)

राज्य सरकार

- राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण – यहां)

- **एच आई वी परिक्षणः** गोपनीय, इनटिग्रेटेड़ काउन्सिलग केंद्रों और परीक्षण केंद्रों में निःशुल्क परीक्षण किया जाता है – आई सी टी सी (वैबसाइट यहां)।
- **इलाजः** एडस का निदान होने पर, वह व्यक्ति ए आर टी केंद्रों में निःशुल्क इलाज करा सकता है। ए आर टी केंद्रों की सूची के लिये यहां देखें।
- **देखभाल और सहायताः** सामुदायिक देखरेख केंद्रो में एडस और एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों को यह सेवा प्रदान की जाती है। सामुदायिक देखरेख केंद्रों की सूची और वैबसाइट यहां है।
- **अधिकारों का संरक्षणः** सूचित सहमति, गोपनीयता, और कोई भेदभाव नहीं (वैबसाइट यहां)।
  - व्यस्कों और बच्चों को सरकारी संस्थानों में बिना किसी भेद भाव के चिकित्सीय देखरेख और शिक्षा का अधिकार।
  - एक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का मालिक किसी एचआईवी ग्रसित कर्मचारी को केवल यह बीमारी होने के कारण नौकरी से इनकार नहीं कर सकता, या उसे नौकरी से निकाल नहीं सकता। किसी व्यक्ति में एचआईवी की निश्चितता के आधार पर उसके प्रति भेदभाव करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

3. आवेदन करने की विधि

परीक्षण, इलाज, या देखभाल सेवायें नीचे दी गई किसी भी जगह जाने पर उपल्ब्ध हो सकती हैं ...

- आई सी टी सी केंद्र (**यहां** देखें)
- आर टी केंद्र; (**यहां** देखें)

ए आर टी केंद्र में पंजीकरण करवाने से पहले जरूरी दस्तावेज़ .....

- एक आई सी टी सी केंद्र से एचआईवी होने की जांच का परिणाम
- एक फोटो आई डी कार्ड़।

4. हिमायत करने के सुझाव (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एड़स के लिये फोन हैल्पलाइन 1097; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत रजिस्टर करें; वैबसाइट **यहां**; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- लॉयरस कलैकटिव एचआईवी/एड्स युनिट वैबसाइट – www.lawyerscollective.org;
  - 011 24377101/2; ई मेल – aidslaw@lawyerscollective.org; फिर
- राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को आरटीआई डालें

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

4. शिक्षा

1. शिक्षा – सरकारी स्कूल

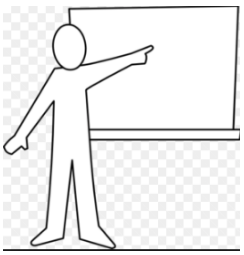

भारत में गरीब और अमीर के बीच के अन्तर को बढ़ाने के कई प्रमुख तरीकों में से स्कूली शिक्षा–प्रणाली एक तरीका है। गरीब वर्ग के लोगों की पहुंच आमतौर पर केवल सरकारी स्कूलों तक ही होती है, जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी होता है, छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती और संसाधन बहुत कम होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज सकते हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है, छात्रों की संख्या कम होती और और पढ़ाई–लिखाई बेहतर होती है। यहां से, छात्र अक्सर कॉलेजों में जाते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों से कॉलेजों में जाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम होती है। नीचे दिये गये उपायों का उद्देश्य गरीबों के लिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वैबसाइट **यहां**)
- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 (**यहां** देखें)
- शगुन (बदला हुआ नाम सर्व शिक्षा अभियान)(यहाँ)

राज्य सरकार

- शिक्षा विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः राइट टू एजूकेशन, वैबसाइट यहां)

राइट टू एजूकेशन एक्ट के तहत

सभी बच्चों (विकलांग भी शामिल हैं) को स्थानीय स्कूल में निशुल्क प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 8 तक) का अधिकार है (खंड़ 3)

आम तोर पर इस के मतलब है कि 6 साल से 14 साल तक पर लेकिन अगर एक बच्चा देर से भर्ती हुआ और अधिक समय लेगा, तो अभी भी कक्षा 8 (धारा 4) खत्म करने का अधिकार है।

सभी माता–पिता/अभिभावक को अपने बच्चों को किसी स्थानीय स्कूल में भर्ती कराना होगा (खंड़ 10)

सभी सरकारी तथा निजी स्कूल नीचे दी गई बातों का पालन करेगें .....

- कोई भी बच्चा एक कक्षा को नहीं दोहरायेगा, निकाला नहीं जायेगा, कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी किये बिना बोर्ड की परीक्षा पास नहीं करेगा (खंड़ 16)।
- बच्चों को कोई शारीरिक दंड़ या मानसिक परेशानी नहीं दी जायेगी (खंड़ 17)।
- न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करायेगें – हर प्रकार के मौसम के योग्य इमारत, हर शिक्षक के लिये अलग अलग कक्षायें, खेल का मैदान, पुस्तकालय, लड़कों और लडकियों के लिये अलग अलग शौचालय, पीने का पानी, मनोरंजन और खेलने के उपकरण (खंड़ 19 देखें और अधिनियम की अनुसूची देखें)।
- सभी शिक्षकों को नियमित रूप से और समय पर स्कूल आने के लिये और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये बाध्य करेंगें (खंड़ 24)
- कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30,और कक्षा 6 से 8 तक 1:35 रखें(खंड़ 25 और अनुसूची देखें)
- ध्यान रखें कि कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं कर सकता है (खंड़ 28) ।

सभी निजी स्कूलों को यह करना हैं .कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें सुविधाहीन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) बच्चों के लिये सुरक्षित रखें (खंड़ 12(1)(बी) और 12(1)(सी) देखें) इस विषय पर विशेष रूप से वेबसाइट यहाँ देखें।

3. प्रवेश के लिये आवेदन प्रक्रिया

सरकारी स्कूल में दाखिला

- बच्चे को नजदीकी स्कूल में ले जाकर दाखिले के लिये कोशिश करें जब नया सत्र शुरू होता है (आमतौर पर अप्रैल)।
- आमतौर पर, आप को केवल बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है; अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एफीडैविट (शपथ पत्र) ले सकते हैं, पर आर टी ई अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से स्कूल में प्रवेश करने से मना नहीं किया जा सकता, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, ट्रांसफर (हस्तान्तरण) प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण का न होना; तथा शैक्षिक साल के दौरान स्कूल में देर से प्रवेश लेना।
- अगर बच्चे की आयु 7 साल से अधिक है तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में दाखिला मिलना चाहिये, और दूसरे छात्रों के स्तर तक पहुंचने के लिये विशेष शिक्षा दी जानी चाहिये। (अधिनियम का खंड 4 देखें)।

निजी स्कूल में दाखिला

- अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (वार्षिक आय 1 लाख से कम), और आपके राज्य में 5 साल के लिए निवासी।
- तो जिस स्कूल में आपको प्रवेश चाहिए, उस स्कूल में सीधे आवेदन करें । आवेदन में खंड़ 12 (1 सी) उल्लेख।
- यदि किसी विशेष स्कूल में सीटों की तुलना में अधिक आवेदक हैं, तो एक 'लॉटरी' आयोजित की जाएगी और जिन्हें सफल अधिसूचित किया जाएगा।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जायें; फिर
- बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत करें (जो जिले के प्राइमरी स्कूलों के जिम्मेदार होते हैं); फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- शिक्षा विभाग को आर टी आई ड़ालें

5. सफलता की कहानी

दिल्ली में, रोशन और गुलहसन का बच्चा कानून 12 (1) सी के तहत एक स्थानीय निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश के लिए 'लॉटरी' में सफल रहा। बच्चा अब स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

2. शिक्षा – छात्रवृत्ति (वज़ीफा) किताबें और वर्दी

गरीब बच्चों को स्कूल में भर्ती होने और स्कूल आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने कई छात्रवृत्ति और लाभ शुरू किये हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वैबसाइट यहां)
- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 (यहां देखें)
- शगुन (बदला हुआ नाम सर्व शिक्षा अभियान)(यहाँ)

राज्य सरकार

- शिक्षा विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- आर टी ई नियम (यहां देखें)

2. अधिकार (वेबसाइटः आर टी ई एक्ट 2009 यहां और आर टी ई नियम यहां)

- कक्षा 8 तक **मध्याह्न भोजन** (ऊपर पृष्ठ 10 पर मध्याह्न भोजन देखें)
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिये **निःशुल्क यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकों** के लिये (आर टी ई नियमों के लिये यहां क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिये मैंट्रिक से पहले और बाद की **छात्रवृत्ति** योजनायें (यहां देखें)
- **छात्रा सहायता कार्यक्रम (एन ए एस पी)** – कक्षा 8 पास करने के बाद और कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर योग्य लड़कियों के नाम पर 3000/– फिक्सड़ ड़िपौसिट में जमा कर दिये जाते हैं। कक्षा 10 पास करने पर और 18 साल की आयु में लड़कियां इस राशि को ब्याज के साथ निकालने की हकदार होती हैं।(अधिक जानकारी के लिये यहां किल्क करें)
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के जी बी वी)** –लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर पर बोर्डिंग (भोजन और रहने की) सुविधाओं के सहित निवासीय स्कूल। 75 प्रतिशत लड़कियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों से या अल्पसंख्यक समुदायों से होनी चाहियें; और केवल इसके बाद 25 प्रतिशत लड़कियां बी पी एल परिवारों से होनी चाहियें। (के जी बी वी की जानकारी यहां देखें)
- यहां सूचीबद्ध कई अन्य छात्रवृत्तियां (ऊपर दाईं ओर अपने राज्य में परिवर्तन करें फिर बाईं ओर 'शिक्षा और प्रशिक्षण' पर क्लिक)

3. लाभ के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के लिये निःशुल्क यूनीफॉर्म के लिये स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आवेदन करें।
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिये मैंट्रिक से पहले और बाद की छात्रवृत्ति योजनायें (यहां)
- छात्रा सहायता कार्यक्रम के लिये प्रधानाचार्य/स्कूल के प्रमुख को आवेदन करें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जन्म के प्रमाण पत्रों के साथ।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निवासीय स्कूलों के लिये सीधे स्कूल का आवेदन करें।
- अन्य छात्रवृत्तियाँः यहाँ की वेबसाइट पर, ऊपर दाईं ओर अपने राज्य में परिवर्तन करें और फिर बाईं ओर 'शिक्षा और प्रशिक्षण' पर क्लिक करें, फिर 'फिल्टर लागू करें' (नीचे बाएँ) पर, फिर विशेष योजना पर 'और पढ़ें' पर क्लिक करें। आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रियाओं के लिए)।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जायें; फिर
- बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत करें (जो जिले के प्राइमरी स्कूलों के जिम्मेदार होते हैं); फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- शिक्षा विभाग को आर टी आई ड़ालें

5. सफलता की कहानी

छतरपुर जिले में केवल लड़कियों को मुफ्त में स्कूल यूनिफॉर्म मिल रही थी। उसी लाभ को प्राप्त करने के लिए एनजीओ स्टाफ ने लड़कों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया। यह सफल रहा इसलिए जुलाई 2011 से लड़कों को भी यही लाभ मिला।

3. शिक्षा – पत्राचार स्कूली शिक्षा

कई लोग पढ़ना चाहते हैं पर कई कारणों से वे विधिवत स्कूल नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बहुत शुरू में ही स्कूल छोड़ना पड़ा हो, पर अब व्यस्क हो जाने पर वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। हो सकता हैं कि वे कहीं काम कर रहें हों या अपने परिवार की देखरेख करतें हों, इसलिये वे स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे लाखों लोगों के लिये भारतीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानों ने उन्हें घरों से पढ़ने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर लगभग 15 लाख छात्रों का नामांकन है, जो इसे संसार में सबसे बड़ा मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का दर्जा देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (यहां)

2. अधिकार (वेबसाइटः एन आई ओ एस 2016 यहां)

- विधिवत स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5, और 8 के बराबर ओपन बेसिक एजुकेशन (ओ बी ई) कार्य{म (विवरण यहाँ)।
- सेकेन्डरी एजूकेशन कोर्स (कक्षा 10) (विवरण यहाँ)।
- सीनियर सेकेन्डरी एजूकेशन कोर्स (कक्षा 12) (विवरण यहाँ)।

3. प्रवेश के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया

कक्षा 3, 5, और 7 के लिये.....

- यहां पर दी गई वैबसाइट पर अपने नजदीकी केन्द्रों को खोजें,
- केन्द्र में जाकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।

सेकेन्डरी (कक्षा 10) सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा 12) के लिये अब सारे आवेदन ऑन–लाइन किये जाते हैं :–

- यहां पर दी गई वैबसाइट पर जाकर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भर कर पूरा करें; या
- मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थान (एक्रेडिटिड इंस्ट्टिट्यूट–ए आई) में जायें जो ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने में आप की मदद करेगी। ए आइस की सूची के लिये यहां क्लिक करें; या
- क्षेत्रीय केंद्र जायें जो ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने में आप की मदद करेगी। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची के लिये यहां क्लिक करें;

फीस यहां नीचे दी गई हैं .....

कक्षा	पुरुष	स्त्री	एस सी/एस टी/अक्षम
(ओ बी ई) (कक्षा 3 5 8)	निः शुल्क	निः शुल्क	निः शुल्क
सेकेन्डरी (कक्षा 10)	1,800	1,450	1,200
सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा 12)	2,000	1,650	1,300

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- कक्षा 3, 5, और 7 के आवेदन पत्रों के लिये, आपने जहां आवेदन किया है वहां के केंद्र में जायें; फिर
- कक्षा 10 और 12 के लिये अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करें यहां; फिर
- क्षेत्रीय केंद्र में शिकायत करें। केंद्रीय केंद्रों की सूची के लिये यहां क्लिक करें; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- शिक्षा विभाग को आर टी आई ड़ालें

5. सफलता की कहानी

दिल्ली में, रुखसाना एक गृहिणी थी, जो कभी औपचारिक स्कूल नहीं गई थी। उसने छप्पै सेकेंडरी (10जी) किया और पास करने के बाद छप्पै के माध्यम से सीनियर सेकेंडरी (12जी) भी पूरा किया। वह अब कॉलेज जाने पर विचार कर रही है!

5. बिजली और गैस

1. बिजली और गैस – बिजली

सरकार का दावा है कि भारत का हर गाँव (हालाँकि हर घर नहीं) अब बिजली ग्रिड पर है।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- पावर (विद्युत) मंत्रालय (वेबसाइट **यहां**)
- सौभाग्य योजना (यहाँ वेबसाइट)।

राज्य सरकार

- राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (या इसी तरह का शब्द)।

2. अधिकार (वेबसाइट: सौभाग्य योजना का FAQs यहाँ 2018)

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब गैर–विद्युतीकृत घर, बिजली के लिए पात्र हैं (FAQ #1, 2 और 14 देखें)।
- भले ही आपके घर में अभी तक कोई बिजली की लाइन नहीं है, फिर भी आवेदन कर सकते हैं (FAQ #12 देखें)।
- एलईडी, पावर सॉकेट मुफ्त में पाएं (FAQ #8 और 9 देखें)।
- भले ही घर बहुत दूर सौर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके तहत 5 एलईडी, 1 पंखा और 1 सॉकेट मिलता है (देखें थ।फ रु 15)।(FAQ #15 देखें)।
- कोई भी आईडी लगाने के लिए पर्याप्त है (आधार की आवश्यकता नहीं है) (FAQ #5 और 6 देखें)।
- आवेदन करते समय बकाया राशि में नहीं हो सकता (FAQ #11 देखें)।
- 10 बिल (10 • 50 = रु। 500) के लिए प्रत्येक बिल का भुगतान केवल रु .50 (FAQ #3 देखें)।
- आपके बिजली के उपयोग के लिए जो भी बिल आता है उसका भुगतान करना होगा (कोई फ्लैट रेट उपलब्ध नहीं है (FAQ #13 देखें)।

3. कनेक्शन लेने के लिये आवेदन की विधि

यहां Saubhagya साइट पर (FAQ # 4देखें)।

- अपने क्षेत्र के DISCOM गांवों ६ गांवों के समूह में शिविरों का आयोजन करते हैं।
- ऐसे शिविरों के बारे में पूर्व जानकारी व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी।
- आपको शिविर में केवल DISCOM अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है और कनेक्शन के लिए आपका आवेदन मौके पर पंजीकृत किया जाएगा।
- वैकल्पिक रूप से राज्य DISCOM पर सीधे आवेदन करें।
- बिजली कनेक्शन को डिस्कॉम द्वारा उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा।
- मामले में, आप शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, आप आवश्यक मार्गदर्शन के लिए निकटतम DISCOM कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

4- हिमायत करना (अगर विद्युतीकरण के लिये आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ** क्लिक करें**)। फिर**
- **अपने राज्य की विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को** RTI

5. सफलता की कहानी

मुख्य सड़क से दूर, झारखंड में एक बहुत ही आंतरिक गाँव है कादगडोनी। समुदाय आधारित संगठन (ब्ठव्) वर्षों से गाँव में बिजली पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुख्यात भ्रष्ट विद्युत बोर्ड से रिश्वत की लगातार माँगों का सामना कर रहा था। थोड़े से प्रशिक्षण के बाद, ब्ठव् ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती योजना (सौभाग्य से पहले एक योजना) के तहत अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की और सामूहिक रूप से रिश्वत का भुगतान करने का निर्णय लिया, जिसकी मांग की जा रही थी – लेकिन सरकार द्वारा बिजली प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए। उन्होंने अपने पंचायत नेता के लिए आवेदन किया और सामग्री को उनके गाँव तक पहुँचाने के लिए सड़क को साफ करने के लिए बहुत सारे मैनुअल काम भी किए। आखिरकार उन्हें अपना कनेक्शन मिल गया।

2. बिजली और गैस – गैस

मिट्टी के तेल, लकड़ी, या गोबर की तुलना में रसोई गैस अधिक सस्ती है और सफाई से जलती है, इसलिये यह सभी परिवारों के लिये बहुत उपयोगी है। अक्सर वितरक नये कनेक्शन जारी करना नहीं चाहते हैं, पर अधिकांश परिवारों को एक गैस कनेक्शन का अधिकार है।

1. संबंधित विभाग

रसोई गैस का अब आधा निजीकरण हो गया है। अधिकतर कनेक्शन मिल रहें हैं .....

- इंड़ियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ (इंड़ेन ... वैबसाइट **यहां**)
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एच पी ....**यहां** किल्क करें)
- भारत गैस (**यहां** किल्क करें)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (यहां)।

2. अधिकार (वेबसाइटः इंड़ियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2010 यहां और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 (यहां)

- हर घर को, जिसमें अलग भोजन पकाने की जगह है, एक गैस कनेक्शन मिलने का अधिकार है (FAQ # 1 **यहां**)।
- 12 गैस प्रत्येक 12 महीने की अवधि में (यहां वेबसाइट देखें) रिफिल लगभग 500 रुपये की रियायती दर पर (यहां सब्सिडी के बाद प्रभावी लागत तक स्क्रॉल करें)।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (यहां वेबसाइट) के तहत – बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों के लिए नया कनेक्शन जो 2011 में कम से कम एक तपअ अभाव (एसईसीसी के अनुसार) जनगणना से ग्रस्त हैं। सिलेंडर सुरक्षा जमा और नियामक को कवर करने के लिए 1600 रुपये की छूट।

3. आवेदन की विधि

इंड़ेन के नये कनेक्शन के लिये (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1 **यहां**)

- फार्म भरें और नजदीकी वितरक को जमा करें। मेरा नजदीकी स्थानीय गैस वितरक ..... है (पृष्ठ ***5*** पर दी गई तालिका में दर्ज करें)।
- पहचान और निवास का प्रमाण दें (आई कार्ड, या राशन कार्ड, या बिजली का बिल आदि)
- पते की जांच करने के लिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको एक पत्र मिलेगा। उसे वितरक के पास ले जायें।
- कीमत (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 2 **यहां**)
  - वापस की जाने वाली सिक्योरिटी फीस 1450 रुपये।
  - गैस रिफिल (1 जून 2019 के रूप में लगभग 500 रुपये – यहां देखें और कीमतों की तालिका तक नीचे स्क्रॉल करें)।
  - रैग्यूलेटर के लिये वापस की जाने वाली जमा राशि 150 रुपये; पाइप रु170, व्यवस्थापक रु89, सीपना रु118, कार्ड रु.59, आपके चूल्हे की जाँच रु177
  - कनेक्शन लगाने के लिये 50 रुपये;
- **कुल 2713 रुपये (चूल्हे के बिना) रसीद लेना याद रखें**

ध्यान दें ..... आप अपना खुद का चूल्हा और पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उन पर आई एस आई का निशान है और आपके पास खरीद की मूल रसीद है, और अगर 250/– के लिये इंडेन के कर्मचारी के द्वारा इसकी जांच हुई हो (अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन 3 **यहां**)

सब्सिडी पाने के लिए

पहले 12 रीफिल स्वचालित रूप से रियायती दर पर होंगे। मध्यम वर्ग के उपयोगकर्ताओं ने दूसरों को यहां कनेक्शन लेने की अनुमति देने के लिए अपनी सब्सिडी को 'देने' के लिए प्रोत्साहित किया। गैर–रियायती मूल्य लगभग रु .750 (यहां स्क्रॉल करें)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- स्थानीय गैस वितरक पर लागू करें जो यह देखने के लिए जाँच करेगा कि क्या आप पात्र हैं (म्ब्ब सूची में आपका नाम)।
- यदि आप स्टोव या रिफिल का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं (यहां उपलब्ध फॉर्म)।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- फोन इंडेन टोल फ्री नंबर 1800 2333 555य या
- यहां इंडेन के लिए आंनलाइन शिकायतों पर, या यहां एचपी।
- उज्ज्वला के लिए, जिला नोडल अधिकारी से संपर्क करें यहां।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ** क्लिक करें**)। फिर**
- **इंडेन यहां, एचपी यहां या भारत गैस यहां को आरटीआई दें।**

5. सफलता की कहानी

गुड्डन करीब 2 साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश में लगी हुई थी। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार कोई भी बहाना बोल के उससे कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुड्डन ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सिखा कि कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है (कृपया इस पुस्तिका का पृष्ठ 36 को देखें) और यह भी सीखा कि किस तरह से आगे बढ़ाना है सूचना के अधिकार द्व ारा। इस सीख के साथ वो दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफिस गयी । उन्होंने फिर उसे मना कर दिया पर इस बार गुड्डन ने उन्हें धमकाया कि वो बड़ें अफसर जो राज्य के राजधानी में है उनसे शिकायत करेगीए बस इतना बोलना उन सब के लिए काफी था। कर्मचारी उसकी हिम्मत को देख कर सक्पक्का गए और वो तुरंत काम पर लग गए। और फिर गुड्डन को कनेक्शन 01 हफ्ते मे मिल गया।

6. गाँव की सुविधायें

1. गाँव की सुविधायें – शौचालय

भारत सरकार चाहती है कि 2019 (वेब यहां)तक हर घर में उनका अपना एक शौचालय हो। कई गाँववासी जो शौच के लिये पीढियों से घर से बाहर जाते रहें हैं, वे इस बात का प्रतिरोध करते हैं; उनका कहना है कि पानी और उचित सफाई ।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- पेयजल (पीने का पानी) और स्वच्छता विभाग (स्वच्छ भारत मिशन) (वेब **यहां**)
- शहरी विकास मंत्रालयः (स्वच्छ भारत शहरी) (यहाँ वेबसाइट)।

राज्य सरकार

- सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजरनियरिंग विभग (या इसी तरह का शब्द)

स्थानीय

- पंचायती ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति (वी एच एस एन सी – यहां)

2. अधिकार (वेबसाइटः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2018 यहां और शहरी यहां 2017)

- प्राथमिकता वाले घर हैंः बीपीएल घराने, एपीएल परिवार जो या तो एससी, एसटी परिवार वाले हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, भूमिहीन मजदूरों के साथ गृहस्थी, छोटे किसान, सीमांत किसान और महिला प्रधान परिवार (पृष्ठ 22 यहाँ देखें 6.4.5)।
- वे पात्र 12,000 रुपये के नकद प्रोत्साहन के साथ शौचालय का निर्माण कर सकते हैं (केंद्रीय से रु। 7,200 और राज्य से रु। 4,200) (पृष्ठ 23 बिंदु 6.4.7 देखें)।
- लाभार्थी ने अपने श्रम का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया (पृष्ठ 23 बिंदु 6.4.8 देखें)
- शहरी परिवार भी स्वच्छ भारत मिशन (पृष्ठ 13 यहाँ 4.4) के तहत 4,000 रुपये की सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
- शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, जहाँ खुले में शौच किया जाता है, और लोगों के पास खुद के शौचालय बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है (पृष्ठ 15, बिंदु 5 यहाँ)।

3. आवेदन की विधि

- मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण प्रक्रिया देखें (पेज 71 यहां देखें)।
- प्रोत्साहन के लिए पात्रता की जाँच करें।
- दिशानिर्देशों के अनुसार शौचालय का निर्माण करें।
- शौचालय की जाँच करवाएं।
- अपने बैंक खाते में प्रोत्साहन प्राप्त करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति में शिकायत करें, फिर
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (यहां), फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजरनियरिंग विभग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

2. गाँव की सुविधायें – पक्की गलियां और नालियां

मानसून (बारिश) के दौरान गांवों के अन्दर और आसपास गंदी और कीचड़ भरी सड़कों पर घूमना मुश्किल हो जाता है, इसलिये नालियां को पक्का करना बहुत उपयोगी होता है। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति इस के लिये जिम्मेदार है। इसलिये यह समिति की ईमानदारी पर निर्भर करता है कि एक गांव में सड़कें और नालियां पक्की हैं या नहीं।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) (वेब यहां)
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (स्वच्छ भारत ग्रामीण) (यहां वेबसाइट)

राज्य सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द)

स्थानीय

- पंचायती ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति (वी एच एस एन सी –**यहां**)
- शहरी इलाकों में गलियों, नालियों को पक्का करने, और सफाई करने वालों का जिम्मेदार नगर निगम है।

2. अधिकार (वेबसाइटः ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति यहां 2013)

- ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को 10,000/– का वार्षिक मुक्त अनुदान मिलता है (**यहां** पृष्ठ 17 बिंदु 3.2 देखें) जिसे पक्की गलियां और नालियां बनाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- समितियों में 50% महिलायें, हर गांव के प्रतिनिधि (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शामिल हों), महिला स्वयं सहायक समूह होने जरूरी हैं।

3. आवेदन की विधि

- सीधे पंचायती ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण समिति (वी एच एस एन सी) को।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- गांवों के लिये, पंचायत को शिकायत करें, या
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजरनियरिंग विभग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

3. गाँव की सुविधायें – आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर) का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को एक बुनियादी घर देना है। गरीबों के लिए बनाई गई सभी योजनाओं की तरह, यह केवल। पात्र 'की"म्ब्ब सूची की तरह ही अच्छी है।

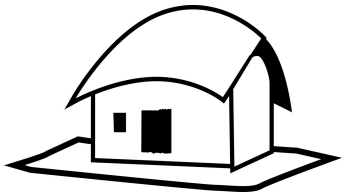

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)
- शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (यहां वेबसाइट)।

राज्य सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण यहां 2016)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- 2011 SECC से कमच आवास अभाव वाले परिवारों के लिए योजना (यहां, पृष्ठ 8 बंदु 5)
- पक्का घर बनाने के लिए रु। 1,20,000 (पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000) (पृष्ठ 27, बिंदु 5.1.1)।
- अलग खाना पकाने के क्षेत्र (पृष्ठ 28, बिंदु 5.1.4) सहित कम से कम 25 मी 2 का घर।
- मनरेगा के 90 मजदूर–दिनों के लिए पात्र (पृष्ठ 7, बिंदु 2.2 च। और पृष्ठ 27, बिंदु 5.1.2)।
- इस योजना के तहत निर्मित मकान भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 या मनरेगा (पृष्ठ 7, बिंदु 2.2 ई। और पृष्ठ 28, बिंदु 5.1.3) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- मौजूदा संरचना को उन्नत करने के लिए रु। 70,000–1,20,000 रु। (पृष्ठ 7, बिंदु 2.2)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- घर पक्का बनाने के लिए, रु 100000 उपलब्ध है (पृष्ठ 2, बिंदु 4 यहाँ)
- ईडब्ल्यूएस परिवार 1.5 गैरक सहायता (जिसे समक लाभार्थी के नेतृत्व वाला निर्माण कहा जाता है) (पृष्ठ 10, बिंदु 7) के साथ मौजूदा गैर–स्लम कचा घर को पक्का में अपग्रेड कर सकते हैं।

ग्रामीण आवास के लिए ऋण योजना (बिहार यहाँ)

- ग्रामीण गरीब गरीबी रेखा से ठीक ऊपर वार्षिक आय वाले रु। 32,000 ६ – हकदार हैं।
- सेनेटरी लैट्रिन और धुआं रहित चूल्हा को अर्हता प्राप्त करने के लिए घर का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
- 40,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

यहां **सूचीबद्ध कई अन्य आवास योजनाएं** (ऊपर दाईं ओर अपने राज्य में परिवर्तन, फिर बाईं ओर वजीमत आवास 'पर क्लिक करें, फिर नीचे जींज फिल्टर लागू)

3. आवेदन की विधि

प्रधानमंत्री आवास योजना

- कच्ची दीवार और छत के साथ 0,1 या 2 कमरे के घर वाले कोई भी पात्र हैं (पृष्ठ 8, यहाँ पुस्तक का बिंदु 5)।
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आधारभूत आंकडों के आधार पर, भागीदारी की प्रक्रिया का उपयोग करके, उन लोगों की 5 सालों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है जिन्हें मकान देने की आवश्यकता होती है (पुस्तक का पृष्ठ 19–24 यहाँ)।
- सालाना सूची को मंजूरी देने के लिये ग्राम सभा बैठक करती है (जिला कलेक्टर बैठक में भाग लेते हैं, उसका वीड़ियो बनता है)
- सूची में नये नामों का समावेशन और किसी नाम का निकालना (अगर कोई है) कारण सहित बताये जाते है।
- ग्राम सभा बैठक 30 नवम्बर तक पूरी हो जानी चाहिये।
- पूरी तरह से तैयार सूची 31 दिसम्बर तक जिला परिषद के पास पहुंच जानी चाहिये।
- यदि सूची में है, या आपको लगता है कि होना चाहिए, तो पंचायत, बीडीओ या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पर आवेदन करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- सर्वेक्षण करने के बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाई गई सूची (पृष्ठ 12, यहां पुस्तक का बिंदु 8.3)।

ग्रामीण आवास के लिए ऋण योजना (वेब यहां)

- जिला ग्रामीण विकास अधिकारी (DRDO) या जिला परिषद के लिए आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, या जिला परिषद को शिकायत करें । **फिर**
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- प्रधानमंत्री आवास योजना को आर टी आई ड़ालें (वेब यहां)।

4. गाँव की सुविधायें – भूमिहीनों के लिये भूमि

पीढ़ियों से चले आ रहे जाति आधारित भेदभाव, भ्रष्टाचार, छल और कर्जे ने अनेक परिवारों को भूमिहीन कर दिया है। इस कारण वे किराये के मकानों में रहते हैं और दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तहत नीचे दी गई एक अभिलाषी होमस्टेड़ साइट (वास भूमि) योजना का लक्ष्य बेसहारा लोगों को कुछ भूमि देना है, चाहे वह केवल एक मकान बनाने के लिये ही काफी हो। अन्य बी पी एल आधारित योजनाओं की तरह, यह भी उतनी ही अच्छी है जितनी बी पी एल की सूची।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)
- शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (यहां वेबसाइट)

राज्य सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण यहां 2018)।

- कुछ राज्यों में, भूमिहीन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपये के पात्र हो सकते हैं (बिहार के बारे में लेख यहां देखें)

3. आवेदन की विधि

- प्रधानमंत्री आवास योजना
- सहभागी प्रक्रिया का उपयोग करके उन लोगों की 5 वर्ष की प्राथमिकता सूची तैयार की जानी चाहिए, जिन्हें सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना आधारभूत डेटा (यहाँ पुस्तक का पृष्ठ 19–24) का उपयोग करके आवास तैयार करने की आवश्यकता है।
- पंचायत, खंड विकास अधिकारी या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पर आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत या जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, या जिला परिषद को शिकायत करें।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- प्रधानमंत्री आवास योजना को आर टी आई ड़ालें (वेब यहां)।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

5. गाँव की सुविधायें – सड़कें

भारत के कई गांवों में सड़कें नहीं हैं। इससे समस्याएँ पैदा होती हैं, खासकर बारिश के मौसम में। भारत सरकार 100 तलक स्कोर के आधार पर अपने सड़क निर्माण को प्राथमिकता देती है (नीचे दी गई तालिका देखें)।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- ग्रामीण विकास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना मंत्रालय (यहां)

राज्य सरकार

- लोक निर्माण कार्य विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- ग्रामीण विकास विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइट: ग्रामीण विकास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना मंत्रालय यहां 2013)

सरकार नीचे मानदंडों के आधार पर सड़कों की एक प्राथमिकता सूची बनाती है (देखें पृष्ठ 48–50 यहाँ)।

	Parameter	Category/Weight	Sub-cat weight/s
A.	नियुक्ति (2011 की जनगणना के अनुसार)	50	
	प्रत्येक 150 की आबादी के लिए 1 का स्कोर अधिकतम 50 के अधीन है		50
B.	शैक्षिक सुविधाएं (उच्चतम श्रेणी का स्कोर)	10	
	प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय प्री–यूनिवर्सिटी कोर्स, 10. 2 संस्थान आईटीआई डिग्री कॉलेज		2 3 5 7 8 10
C.	चिकित्सा सुविधाएं (उच्चतम श्रेणी का स्कोर)	7	
	सहायक केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र		2 4 7
D.	पशु चिकित्सा सुविधाएं	3	
E.	परिवहन और संचार सूचना	15	
	रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर्यटन केंद्रों को सूचित किया पद– ऑफिस, बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक डीजल या पेट्रोल अधिकृत आउटलेट 1 अतिरिक्त अधिकृत डीजल आउटलेट 1 विद्युत सहायक स्टेशन		4 3 2 2 1 1 1 1
F.	बाजार सुविधाएं (संचयी स्कोर)	12	
	मंडी (बिक्री पर आधारित) वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज कृषि आदानों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री करने वाली खुदरा दुकानें		7 3 2
G.	सहायक केन्द्र (उच्चतम स्कोर)	3	
	पंचायत मुख्यालय सहायक तहसील तहसील या ब्लॉक मुख्यालय		1 2 3
		100	**100**

प्राथमिकता 1 '80 से अधिक' हैय 2 '70 से 80 'हैय 3 '60 से 70 'है और 4' 60 से नीचे 'है

3. आवेदन की विधि

यदि आपका गाँव प्राथमिकता 1, 2 या 3 है, तो अपने राज्य में लोक निर्माण विभाग में आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत या जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, या जिला परिषद को शिकायत करें।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- लोक निर्माण कार्य विभाग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

7. खेती

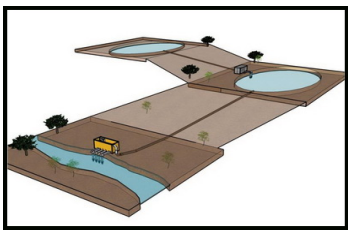

1. खेती – सिंचाई

भारत की अधिकतर जनसंख्या अभी भी जीने के लिये खेती पर निर्भर करती है, जिसके लिये सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से पानी एक है। मौसम के बदलाव के साथ बारिश का अनुमान लगाना कम हो रहा है, इससे खेती करना और अधिक कठिन हो गया है। नीचे दी गई योजनाओं का लक्ष्य मौसम की अनिश्चितताओं को कुछ हद तक दूर करने के लिये किसानों को उनकी भूमि सींचने की अनुमति देना है।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। (वेब यहां)
  - केंद्रीय जल आयोग। (वेब यहां)
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (वेब यहां)
  - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (वेब यहां)
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (वेब यहां)
  - राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान (वेब यहां)

राज्य सरकार

- जल संसाधन विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान वेब यहां 2010)

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान (यहां वेबसाइट देखें और पेज 8, बिंदु 6.1 देखें)

5 हैक्टेअर तक के लिये ड्रिप/स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली की लागत के लिये आर्थिक सहायता ...

- छोटे और गैर मामूली किसानों के लिये 60% सहायता (इसमें से 50% केन्द्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी) और बाकी का 40% किसान को वहन करना होगा।
- सामान्य श्रेणी के किसानों के लिये आर्थिक सहायता प्रणाली की लागत का 50% होगी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी के द्वारा 40:10:50 के अनुपात में होगी।

जिला ग्रामीण विकास संस्थायें (डी आर डी ए) और पंचायत लाभार्थियों के चयन में शामिल होगीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान –यहां–पृष्ठ 38

- पम्प सेटस के लिये प्रोत्साहन (गेहूं, चावल या दालों के लिये): लागत का 50% या हर मशीन के लिये 10,000–तक सीमित, जो भी कम हो।
- छिड़काव करने के सैट का वितरण (केवल गेहूं या चावल के लिये) लागत का 50% या 7,500 प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो।
- छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए प्राथमिकता (वेबसाइट यहां पेज 7, बिंदु 11.2)।

3. आवेदन की विधि

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान के लिये आवेदन करें .....

- ग्राम पंचायत कार्यालय को या ि
- जला ग्रामीण विकास संस्था को।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के लिये आवेदन करें .....

- ग्राम पंचायत कार्यालय को या
- जिला कलेक्टर को।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, या जिला परिषद को शिकायत करें।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- जल संसाधन विभाग (या इसी तरह का शब्द) को आर टी आई ड़ालें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

2. खेती – फ़सलों का बीमा

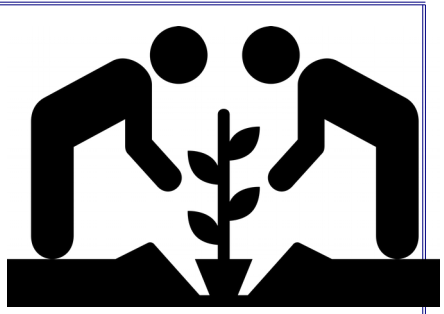

बाढ़, सूखा, चक्रवात तूफान, जैसी प्राकृतिक आपदाओं का तेज़ी से बार बार होना मौसम के बदलाव का एक पहलू है, ये सब खेती को अधिक जोखिम भरा बनाते हैं। नीचे दी गई बीमा योजनाओं का लक्ष्य किसानों को इन सब के विरूद्ध अपनी फसलों का बीमा करवाने की अनुमति देना है ताकि खेती कुछ कम जोखिम भरी हो।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (वेब **यहां**)
  - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (वेब **यहां**)
- भारत की कृषि बीमा कंपनी (वेब **यहां**)

राज्य सरकार

- कृषि विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – यहां)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (विस्तृत जानकारी के लिये **यहां** देखें)

- प्राकृतिक आपदाओं, कीड़ों, और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के न होने पर किसानों को बीमा और आर्थिक सहायता देती है।
- कर्जा लेने वाले (वित्तीय संस्थाओं से सीज़नल एग्रीकलचर आपरेशनस ...एस ए ओ सामयिक कर्जा) किसानों के लिये अनिवार्य है; कर्जा न लेने वाले किसानों के लिये वैकल्पिक है।
- सभी खाद्य फसलों (बाजरा, दालें, अनाज), तिलहन की कवरेज। गन्ना, कपास, और आलू समेत कुछ बागवानी फसलों के लिये भी कवरेज है (प्र 4 यहां)।
- बीमा की प्रीमियम दरें हैंः – (पृष्ठ 13 यहां देखें)।
  - खरीफ (मानसूनः जुलाई–अक्टूबर): सभी खाद्यान्नों और तिलहनों के लिए 2%
  - रबी (शीतकालीन अक्टूबर– मार्च): गेहूं के लिए 1.5%, और अन्य रबी फसलों के लिए 2%।
  - बागवानी फसल 5%
- ऊपर की दरें अधिकतम हैं। यदि बीमांकिक दर ऊपर की दर से कम है, तो केवल इसे चार्ज किया जाएगा। बाकी सब सरकार द्व ारा सब्सिडी के रूप में कवर किया जाएगा।

3. आवेदन की विधि

- पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के लिए यहां देखें।
- हर फसल के मौसम के आरम्भ में राज्य सरकार फसलों को दर्ज करती है और उन क्षेत्रों को निर्धारित करती है जिन्हें इस योजना के तहत मौसम के दौरान कवरेज मिलेगा।
- किसान ऑन–लाइन (ऑनलाइन के लिए आवेदन कैसे करें 'के तहत प्रक्रिया यहां लागू कर सकता है)। यहां जाएं और 'किसान कॉर्नर' पर क्लिक करें, फिर 'गेस्ट किसान' पर क्लिक करें, फिर फॉर्म भरें।
- वैकल्पिक रूप से फॉर्म की हार्ड कॉपी यहां भरें और प्रीमियम के साथ वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या PACS सहकारी बैंक में जमा करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- 011–23381092 पर फोन करें (यहां देखें और 'हेल्पलाइन' पर क्लिक करें) फिर
- यहां वेबसाइट पर और 'तकनीकी शिकायत' पर क्लिक करेंय फिर
- ई–मेल help.agri-insurance@gov-in; फिर
- यहां अपने राज्य के लिए भारत के शिकायत निवारण व्यक्ति से कृषि बीमा कंपनी से संपर्क करें:
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को आर टी आई ड़ालें (वेब यहां)।

3. खेती – सब्सिडी (आर्थिक सहायता, अनुमोदन)

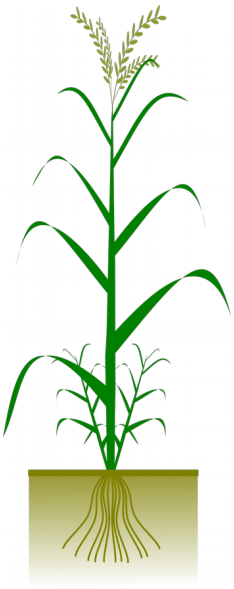

एक अरब से अधिक की आबादी वाले भारत देश को आवश्यकता है कि उसके किसान भोजन की एक नियमित आपूर्ति पैदा करते रहें। परन्तु , संसार भर में उन्नति के साथ साथ खेती करने की बुनियादी चीजें जैसे बीज और उपकरणों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। नीचे दी गई योजनाओं का उद्देश्य इन बुनियादी चीजों के लिये आर्थिक सहायता देकर खेती को कुछ अधिक लाभकारी बनाना और किसानों को खेती करते रहने के लिये प्रोत्साहित करना है।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (वेब **यहां**)
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2009 (वेब **यहां**)

राज्य सरकार

- कृषि विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. अधिकार (वेबसाइटः यहां पृष्ठ 37,38)

आर्थिक सहायता (वेबसाइटः यहां पृष्ठ 37,38)

- **बीज** – बहुत अधिक (उत्तम) उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज के लिये 500 रुपये प्रति 100 किलो; और दालों के लिये 1,200 रुपये प्रति 100 किलो के हिसाब से सहायता दी जायेगी। **बीज के मिनीकिट** – 19 किलो गेहूं की पूरी कीमत (50 हैक्टेयर के लिये); 5 किलो बहुत अधिक (उत्तम) उपज देने वाले चावल के बीज (50 हैक्टेयर के लिये) और 6 किलो हाइब्रिड़ चावल के लिये (50 हैक्टेयर के लिये)
- **उपकरण** – वीड़र के लिये 3,000/–; नैपसैक स्प्रेयर के लिये 3,000/; सीड ड्रिल के लिये 15,000/–; रोटर वैटर के लिये 30,000।
- **अन्य चीजों** की सूचि यहां देखें पृष्ठ 37,38)

ऋण

- कई अन्य ऋण, विशेष रूप से मछली पकड़ने और यहां सूचीबद्ध पशुधन के लिए (ऊपर दाईं ओर अपने राज्य में परिवर्तन करें फिर बाईं ओर 'लाइवलीहुड एंड बिजनेस' पर क्लिक करें, फिर नीचे 'फिल्टर लागू करें')।

3. आवेदन की विधि

आर्थिक सहायता (एन एफ एस एम के निर्देशों का पृष्ठ 3 आइटम 4 जिला स्तर) यहाँ देखें:

- जिला खाद्य सुरक्षा अभियोग को आवेदन करें, या
- जिला कलेक्टर अथवा मुख्य को, या
- जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को।

ऋण

- यहां वेबसाइट पर जाएं। अपने राज्य को ऊपर दाईं ओर बदलें और फिर बाईं ओर 'लाइवलीहुड एंड बिजनेस' पर क्लिक करें, फिर नीचे 'फिल्टर लागू करें' पर)। फिर आवेदन प्रक्रियाओं को देखने के लिए ब्याज की योजना के लिए बसपबा और पढ़ें 'पर क्लिक करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- किसान कॉल सैन्टर को टोल फ्री फोन करें 1800–180–1551। फिर
- NFSM CELL से संपर्क करें,
  - विवेक अग्रवाल, (I.A.S.),
  - संयुक्त सचिव (फसल), NFSM,
  - कृषि और सहकारिता विभाग,
  - फोन नंबरः 011 2338 1176 (ओ), यहां फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को आर टी आई ड़ालें (वेब यहां)।

8. मानव अधिकारों का दुरुपयोग

1. मानव अधिकारों – घरेलू हिंसा

सुधार करने पर भी, भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब है .... यहां तक कि उनके अपने घरों में भी कई महिलाओं को उनके पतियों द्वारा मारा पीटा जाता है। इस प्रकार का व्यवहार समाज और सरकार द्वारा अस्वीकार्य है। 2005 के नये घरेलू हिंसा अधिनियम में दर्शाया गया है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला राष्ट्रीय आयोग (वेब साइट **यहां**)
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 (**यहां**)

राज्य सरकार

- राज्य महिला आयोग (वेब साइट यहां और अपने राज्य में स्क्रॉल करें।)
- राज्य महिला और बाल विकास विभाग (वेब साइट यहां)
- राज्य पुलिस। मेरा स्थानीय पुलिस स्टेशन है ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार (संबंधित कानून के लिये : घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 देखें यहां)

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यहां, घरेलू हिंसा पर रोक लगाता है, जिनमें ये शामिल हैं.....

- शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, या आर्थिक दुर्व्यवहार (धारा 3 ए)
- दहेज़ सहित का दुर्व्यवहार (धारा 3 बी)
- ऊपर दिये गये दुर्व्यवहारों की धमकी (धारा 3 सी)
- किसी एन जी ओ या विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल सर्विसस ऑथारिटी) के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सलाह का अधिकार है (धारा 5 ड़ी)

भारतीय दण्ड़ संहिता (इंडियन पीनल कोड़)

- धारा 498 ए, स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा स्त्री पर क्रूरता पर निषेध।

निवारण (सहायता)

- डी वी एक्ट के तहत, प्रताडित स्त्री संरक्षित जगह में रहने (धारा 6), सुरक्षा के लिये इंतजाम (धारा 18), अपने बच्चों को अपने साथ रखने (धारा 21), और /या आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये (धारा 22) आवेदन कर सकती है।

ध्यान दें —ई एच ए ने अब महिलाओं के लिये योजनायें तक पहुंचने के लिये एक सम्पूर्ण मैनुएल बनाया है। इसके लिये ई एच की वैबसाइट www.eha-health.org 'Resources/Advocacy manuals/All India/ Women's Rights Manual' देखें

3. आवेदन करने की प्रक्रिया (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 2 महीने)

आवेदन पत्र देने के समय यह जरूरी है कि प्रताडित स्त्री के साथ काई अन्य स्त्री हो (रिश्तेदार सा समुदाय से कोई या किसी एन जी ओ से)।आवेदक

- ग्राम पंचायत से बात कर सकती हैं (अच्छा हो कि महिला सदस्यों से) जिससे स्थानीय स्तर पर समस्या का हल हो सकता है, या
- जिला प्रोबेशन अधिकारी (डी पी ओ) को सूचित करें जिसके घरेलू हिंसा में कुछ अधिकार हैं; या
- स्थानीय प्रोटेक्शन अधिकारी को सतर्क करें (डी वी ए धारा 8); या
- अपना राज्य में किसी गैर सरकारी महिला समर्थन संगठन से सम्पर्क करें (यहां संपर्क करें); या
- राज्य महिला आयोग (वेब साइट यहां और अपने राज्य में स्क्रॉल करें।) से बात करें । महिला अपना बयान देती। प्रताडित करने वाले को आयोग बुलाता है, अगर वह आयोग के सामने नहीं आता है तो आयोग अदालत में शिकायत दर्ज करता है।

फिर प्रताड़ित स्त्री या प्रोटैक्शन अधिकारी या महिला आयोग .....

- स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कर सकते हैं (जिसके बाद पुलिस, मैडीकल जांच/ प्रमाण पत्र के लिये व्यवस्था करेगी और दुरुपयोगों की जांच करेगी); या
- अदालत से सुरक्षित आश्रय के लिये, सुरक्षा के लिये इंतजाम, अपने बच्चों को अपने साथ रखने, और/या आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन कर सकती

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- अपना राज्य में किसी गैर सरकारी महिला समर्थन संगठन से सम्पर्क करें (यहां संपर्क करें); या फिर
- अपने जिले के पुलिस के एस पी या एस एस पी को शिकायत करें।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- राज्य महिला आयोग (वेब साइट यहां और अपने राज्य में स्क्रॉल करें।) को आर टी आई ड़ालें ।

2. मानव अधिकारों – बाल मजदूरी

कई लोग बच्चों के साथ, खासकर लड़कियों के साथ वस्तुओं (चीजों) के रूप में व्यवहार करते हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। हर दिन हम बच्चों को चाय की दुकानों में, ढ़ाबों में यहां तक कि अपने घरों में नौकरानियों की तरह काम करते देखते हैं। इस तरह की मजदूरी बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। यह अब गैर कानूनी है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- श्रम और रोजगार मंत्रालय (वेब साइट **यहां**)

राज्य सरकार

- अपना राज्य का श्रम विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- अपना राज्य का मानवाधिकार आयोग (या इसी तरह का शब्द)
- राज्य पुलिस। मेरा स्थानीय पुलिस स्टेशन है ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार (संबंधित कानून के लियेः चाइल्ड लाइन पेज देखें यहां)

भारत का संविधान यहां

- अनुच्छेद 24: 14 साल से कम आयु के बच्चों का कारखानों, खानों, और दूसरे जोखिम भरे काम करने पर निषेध लगाती है।
- अनुच्छेद 39 ईःआर्थिक जरूरत के लिये किसी को भी अपनी आयु के अनुपयुक्त काम करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) यहां

- धारा 374: किसी को श्रम करने के लिये मजबूर करने के विरुद्ध निषेध।

बाल मजदूरी (निषेध एंव नियमन अधिनियम 1986 यहां और 2016 यहां

- 14 वर्ष (पूर्ण) से कम आयु के किसी भी बच्चे को 'खतरनाक व्यवसाय' (धारा 3) में नियोजित नहीं किया जा सकता है।
- 2016 के बाद से अब किशोरों (15–18 वर्ष) को 'खतरनाक व्यवसाय' (धारा 3 ए) में नियोजित किया जा रहा है।
- खतरनाक व्यवसायों में रेलवे, प्लास्टिक कारखाने, ऑटो–मोबाइल गैरेज, विनिर्माण पटाखे, हाथ करघा उद्योग, खदानें, घरेलू नौकर, ढाबे, रेस्तरां, होटल, चाय की दुकानें, बीड़ी बनाना, कालीन बनाना, टेनिंग, साबुन निर्माण, ईंट भट्टे और छत शामिल हैं। टाइल इकाइयाँ, भवन और निर्माण (यहाँ अद्यतन अनुसूची)।
- अनुमत उद्योग में भी, कोई भी बच्चा 1 घंटे (धारा 7 (2)) के विराम से 3 घंटे पहले काम नहीं कर सकता है, एक दिन में 6 घंटे से अधिक नहीं (धारा 7 (1)), 7चउ और 8उ के बीच नहीं (धारा 7 (4), और प्रत्येक सप्ताह एक पूरे दिन (धारा 8) बंद है।
- स्कूल के बाद गैर–खतरनाक पारिवारिक व्यवसाय में बाल ६ किशोर श्रम की छूट। 2016 यहां धारा 3 (2 ए) में संशोधन।

किशोर न्याय अधिनियम 2000 (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा)

- धारा 26: बन्धक मजदूरी या खतरनाक कामों के लिये किसी किशोर बच्चे को हासिल करना अपराध है।

कारखाना अधिनियम 1948

- सभी कारखानों में 14 साल से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर मनाही है।
- 14 से 18 साल की आयु के बच्चों को फैक्टरी में काम करने के लिये अधिकृत डाक्टर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- अगर किशोर बच्चा कानूनी तौर पर कार्यरत है, फिर भी वह रात में काम नहीं कर सकता, और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे ही काम कर सकता है।

निवारण (सहायता) उपलब्ध

- बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को भारतीय दण्ड़ संहिता या बाल श्रम अधिनियम के तहत 2 साल की सजा हो सकती है; और
- बाल मजदूरी करने वाला बच्चे को अपराधी द्वारा 20,000 रुपये तक मुआवज़ा मिल सकता है।

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 1 महीना)

- स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस दुरुपयोगों की जांच करेगी।
- चाइल्ड लाइन 1098 को फोन करें (वैबसाइट **यहां**) टोल फ्री हैल्पलाइन। यह संख्या संस्थान द्वारा 24 घंटे चालू है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 1098 बहुत शेहरों में चालू है यहां लिखा है 'Childline Locations' पर क्लिक करें)।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें यहां; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- अपना राज्य का श्रम विभाग को आर टी आई ड़ालें ।

3. मानव अधिकारों – बाल विवाह

यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) के अनुसार, 47% लड़कियों का विवाह 18 साल तक की आयु, और 18% लड़कियों का विवाह 15 साल तक की आयु में हो जाता है। 18 साल से पहले विवाह होने वाली कई लड़कियों का जीवन बॉलीवुड़ में दिखाये गये प्रेम और विवाह की उत्तेजना से बहुत दूर होता है, उनका जीवन एक घरेलु गुलाम से कुछ ही बेहतर होता है; और उन्हें असुरक्षित होते हुये भी सन्तान पैदा करने के दवाब का सामना करना पड़ता है। 20 साल की आयु की लड़कियों के मुकाबले में, 15 से 19 साल तक की लड़कियों की गर्भावस्था और प्रसव के समय मृत्यु की सम्भावना दोगुनी अधिक होती है। वास्तव में, बाल–वधु का बचपन विवाह द्वारा बहुत निर्दयता से कम कर दिया जाता है। पर अब कानून लड़कियों की 18 साल की आयु और लड़कों की 21 साल की आयु से पहले विवाह करने पर प्रतिबंध लगाता है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- बाल विवाह निषेध अधिनियम (यहां)

राज्य सरकार

- अपना राज्य का मानवाधिकार आयोग (या इसी तरह का शब्द)
- राज्य पुलिस। मेरा स्थानीय पुलिस स्टेशन है ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार (संबंधित कानून के लिये : चाइल्ड लाइन पेज देखें यहां; और विवरण पुस्तिका देखें यहां)

बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत .....

- 18 साल की आयु से कम कोई भी लड़की और 21 साल से कम कोई भी लड़का बच्चा (अव्यस्क) है ..... धारा 2 ए
- विवाह के समय अगर कोई भी पक्ष बच्चा था, तो उस विवाह को बाल विवाह माना जाता है .... धारा 2 बी
- कोई भी पक्ष जो विवाह के समय बच्चा था, अपने विवाह को रद्द करने के लिये आवेदन कर सकता है .... धारा 3 (1)
- कोई भी दहेज लौटाया जायेगा ....धारा 3 (4)

निवारण (सहायता) उपलब्ध

- अगर विवाह हो गया है और उसे रद्द करने की इच्छा है तो लड़का या लड़की जो विवाह के समय बच्चा था, 18 साल की आयु के होने के बाद भी, जिला अदालत में आवेदन कर सकते हैं ..... धारा 3 (1)
- बाल विवाह में सहायता करने वाले के लिये दण्ड़ है, दूल्हे (अगर 21 साल से अधिक था), माता–पिता, पंड़ित, खान–पान का प्रबंध करने वाले, रिश्तेदार या दोस्त ..... धारा 11

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 2 महीने)

बाल विवाह की शिकायत दर्ज करना:

अगर आप कहीं भी 18 साल से कम आयु की लड़की का विवाह होते देखते हैं या आप को शक है, तो .....

- चाइल्ड लाइन 1098 को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन। यह संख्या संस्थान द्वारा 24 घंटे चालू है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 1098 बहुत शेहरों में चालू है यहां लिखा है 'Childline Locations' पर क्लिक।
- पुलिस को शिकायत करें जो दैनिक डायरी में लिखेगी और शिकायत के आधार पर एफ आई आर दर्ज करेगी।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें यहां; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- अपने जिले के पुलिस के एस पी या एस एस पी का आर टी आई ड़ालें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

4. मानव अधिकारों – बच्चों की तस्करी

बहुत से लोगों, अधिकतर बच्चों को शहर में नौकरी करने, पढ़ने या विवाह करवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बेच दिया जाता है, या उनके साथ भेज दिया जाता है।फिर अक्सर इन लोगों को वहां से लौटने नहीं दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और 70 प्रतिशत लोग बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं (पृष्ठ 52 पर अधिक जानकारी है), और 20 प्रतिशत लोग व्यवसायिक यौन कर्मी बन जाते हैं या देह व्यापार करते हैं (पृष्ठ 51)। अनुमान है कि भारत में 14 लाख लोग तस्करी का शिकार हैं। तस्करी को रोकने का एकमात्र तरीका है .... मेरे और आप जैसे आम लोग कुछ करें। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं जिससे आपको तस्करी का शक होता है या अगर कोई बच्चा लापता है तो तुरन्त पुलिस या चाइल्ड लाइन को शिकायत करें।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- श्रम और रोजगार मंत्रालय (वेब साइट यहां)

राज्य सरकार

- अपना राज्य का श्रम विभाग (या इसी तरह का शब्द)
- अपना राज्य का मानवाधिकार आयोग (या इसी तरह का शब्द)
- राज्य पुलिस। मेरा स्थानीय पुलिस स्टेशन है ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार (संबंधित कानून के लिये : चाइल्ड लाइन पेज देखें यहां)

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) के तहत (यहां)

भारतीय दण्ड संहिता तस्करी को इस प्रकार परिभाषित करता है .....

- किसी व्यक्ति को भर्ती करना, पहुंचाना, पनाह देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तस्करी है।
- धमकी, बल, बलात्कार, अपहरण, धोखा, छल, ताकत का गलत इस्तेमाल करना या काबू में किये गये व्यक्ति का गलत फायदा उठाना तस्करी है।
- शोषण के उद्देश्य के लिये जिसमें वेश्यावृति, यौन शोषण, जबरन मजदूरी करवाना, गुलामी या गुलामी के समान व्यवहार शामिल है, तस्करी है।

- धारा 366ए – नाबालिग लड़कियों की खरीद पर प्रतिबन्ध है; धारा
- धारा 367–अगुवा करने/अपहरण करने पर प्रतिबन्ध है।

अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के तहत (यहां) .....

- धारा 5 – सहमति से या सहमित के बिना किसी को वेश्यावृत्ति के लिये खरीदना, कहीं लेकर जाना, या उकसाने पर प्रतिबन्ध है।

निवारण के उपाय .....

- आई पी सी धारा 370 (4) – नाबालिग की तस्करी पर कम से कम 10 साल की कैद।
- ITPA (Sct 5) बच्चे की तस्करी करने वाला कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास (आजीवन कारावास) के अधीन है।

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 3 महीने)

अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आप को तस्करी का शक होता है, या कोई बच्चा/लड़की लापता है तो .....

- स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करें। शिकायत करते समय बच्चे का हाल में लिया गया फोटो और अपना मोबाईल नम्बर जमा करें, इससे पुलिस जाँच करने के लिये बाध्य होती है। या
- चाइल्ड लाइन 1098 को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन। यह संख्या संस्थान द्वारा 24 घंटे चालू है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 1098 बहुत शेहरों में चालू है यहां लिखा है 'Childline Locations' पर क्लिक करें)।
- लापता बच्चे की रिपोर्ट अपने इलाके के बाल संरक्षण समिति से करें; या
- लापता बच्चे का नाम उसकी फोटो के साथ www.trackthemissingchild.gov.in या www.khoyapaya.gov.in/mpp/home पर रैजिस्टर करें। इन वैबसाइटों के पास लापता और बरामद बच्चों के बारे में जानकारी होती है।
- संपर्क ऑपरेशन मस्कान यहां, जिसे विशेष रूप से लापता बच्चों को खोजने के लिए बनाया गया है या गाजीबाद पुलिस स्टेशन से संपर्क करें (जिसने कार्यक्रम शुरू किया विवरण यहां देखें)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें यहां; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- अपने जिले के पुलिस के एस पी या एस एस पी का आर टी आई ड़ालें ।

5. मानव अधिकारों – यौन तस्करी

कई जवान लड़कियों और स्त्रियों को शहर में नौकरी करने, पढ़ने या विवाह करवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बेच दिया जाता है, या उनके साथ भेज दिया जाता है। अक्सर इन लड़कियों को कलकता, मुम्बई, दिल्ली, और गुजरात में वेश्यावृति करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अपने परिवार से अलग, वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर, एक दिन में और फिर कई सालों तक कई बार बलात्कार होना, एक जवान लड़की का जीवन बहुत भयंकर होता है, फिर भी हमारे देश में हर साल ऐसा हज़ारों लड़कियों के साथ होता है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वैबसाइट यहां)

राज्य सरकार

- अपना राज्य का मानवाधिकार आयोग (या इसी तरह का शब्द)
- राज्य पुलिस। मेरा स्थानीय पुलिस स्टेशन है ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार (वेबसाइटः इममोरल ट्रैफिक प्रीवैन्शन एक्ट के तहत, यहां क्लिक करें)

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) के तहत (यहां)

- धारा 366 बीः 21 साल से कम आयु की लड़की के यौन शोषण के लिये आयात पर प्रतिबन्ध
- धारा 372, 373ः देह व्यापार के लिये नाबालिगों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबन्ध

इममोरल ट्रैफिक प्रीवैन्शन एक्ट के तहत, (यहां क्लिक करें)

- धारा 3ः वेश्यालयों का चलाना अवैध है (वेश्यावृति का कानूनी रूप केवल एक ही है ...अपने घर से एक व्यस्क के द्वारा)
- धारा 5:लोगों को उनकी सहमति से या सहमति के बिना वेश्यावृति के लिये हासिल करना, प्रेरित करना, या लेकर जाना, निषेध है।

यौन अपराध से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम 2012 (यहां)

- धारा 4–12ः बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को गैर कानूनी मानता है।
- धारा 20ः मीड़िया, होटलों, फोटो स्टूड़ियों, अस्पतालों, के लिये बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (यहां)

- धारा 3 (1)(xii)ः अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री की इच्छा पर हावी होकर, उस स्त्री की सहमति न होने पर भी उसके यौन शोषण के लिये अपनी पदवी का इस्तेमाल करता है, तो उसे दंड़ित किया जायेगा।

उपलब्ध निवारण

- आई पी सी और ऊपर दिये गये अन्य अधिनियमों के तहत तस्करों को दंडित किया जा सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है।
- अवैध रूप से तस्कर की गई नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा जा सकता है, जो बच्चे को सरकारी या एक पंजीकृत एजेंसी द्वारा संचालित एक सुरक्षित आश्रय में रख सकती है।
- तस्कर की गई स्त्री को अपने देश लौटने और फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद दी जा सकती है।

3. आवेदन प्रक्रिया (सहायता प्राप्त करने में सफलता के लिये अनुमानित समयः 6 महीने)

अगर आप को कुछ भी देख कर यौन तस्करी का संदेह होता है, तो .....

- स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करें। शिकायत करते समय बच्चे का हाल में लिया गया फोटो और अपना मोबाईल नम्बर जमा करें, इससे पुलिस जाँच करने के लिये बाध्य होती है। या
- चाइल्ड लाइन 1098 को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन। यह संख्या संस्थान द्वारा 24 घंटे चालू है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 1098 बहुत शेहरों में चालू है यहां लिखा है 'Childline Locations' पर क्लिक)।
- जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल को सम्पर्क करें, यह एक एन जी ओ है जो बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने के लिये सरकार के साथ मिलकर काम करने में माहिर है। info@justiceventures.org

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें यहां; फिर
- अपने जिले के पुलिस के एस पी या एस एस पी का आर टी आई ड़ालें ।

6. मानव अधिकारों – बंधुआ मज़दूरी

बंधुआ मज़दूर अधिनियम, बंधुआ मज़दूरी को इस प्रकार से परिभाषित करता है – बंधुआ मज़दूरी प्रदान करने के लिये यह एक समझौता है। समझौते का मतलब, वेतन पाने के लिये, अग्रिम पेशगी के लिये एक समझौता हो सकता है; एक सामाजिक या प्रचलित दायित्व को पूरा करना; रिश्तेदार का कर्ज चुकाना; या बस ऐसे ही एक समुदाय में जन्म से होना। अगर ..... रोज़गार में, आने जाने में, बाजार में सुविधाओं और माल बेचने में, न्यूनतम मज़दूरी से कम वेतन में आजादी प्रतिबन्धित हो तो मज़दूरी को जबरन माना जाता है। 90 प्रतिशत बंधुआ मज़दूर अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं। इस प्रकार, बच्चों या परिवार के सदस्यों को कर्ज चुकाने के लिये एक शक्तिशाली जमींदार को दे दिया जाता है। उनके काम का कभी भी उचित हिसाब नहीं रखा जाता, अत्याधिक ब्याज लिया जाता है, और मज़दूर कभी मुक्त नहीं होता है। यह आधुनिक गुलामी है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वैबसाइट यहां)

राज्य सरकार

- अपना राज्य का मानवाधिकार आयोग (या इसी तरह का शब्द)
- राज्य पुलिस। मेरा स्थानीय पुलिस स्टेशन है ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार (संबंधित कानून के लियेः चाइल्ड लाइन पेज देखें यहां)

भारत का संविधान यहां

- अनुच्छेद 23 (1) बंधुआ मज़दूरी पर प्रतिबन्ध लगाता है

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) के तहत (यहां)

- धारा 374: किसी व्यक्ति को मज़दूरी करने के लिये मजबूर करने पर प्रतिबन्ध लगाता है।

बंधुआ मज़दूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 (यहां)

- धारा 4: किसी को भी मज़दूरी करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। हर बंधुआ मज़दूर अब मुक्त माना जाता है।
- धारा 5: कोई भी प्रथा, रीति, या समझौता जिसके द्वारा किसी को जबरन काम करने के लिये मज़बूर किया जाता है, निरस्त (शून्य) होगा।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सरंक्षण) अधिनियम, 2000 (यहां)

- धारा 26: 18 साल से कम आयु के किशोर को बंधुआ मज़दूरी के लिये प्राप्त करना अपराध है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यहां)

- उपखंड़ 3(1)(अप) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बंधुआ मज़दूरी करने के लिये मजबूर करना अत्याचार है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

- कई प्रकार के रोज़गारों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी (अपना राज्य यहां देखें)

उपलब्ध निवारण

- बंधुआ मज़दूर किसी भी कर्ज/दायित्व से मुक्त हो सकता है, और उसे मुआवज़ा दिया जा सकता है (बी एल एस ए 6);
- मजदूर को बन्धक बनाने वाले पर आई पी सी और ऊपर दिये गये अन्य अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है; और
- बंधुआ मज़दूर को अपने देश लौटने और फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद दी जा सकती है।

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समयः 6 महीने)

अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको बंधुआ मज़दूरी जैसा लगता है, तो .....

- चाइल्ड लाइन 1098 को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन। यह संख्या संस्थान द्वारा 24 घंटे चालू है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 1098 बहुत शेहरों में चालू है यहां लिखा है 'Childline Locations' पर क्लिक)।
- जिला सतर्कता समिति को शिकायत करें (जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं)। इस समिति का कार्य दोषी व्यक्तियों को ढूंढ़ना और उस पर मुकदमे की कार्रवाही की निगरानी करना, बंधुआ मज़दूरों का अदालत में बचाव करना और उन्हें बहाली देना है।
- जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल को सम्पर्क करें, यह एक एन जी ओ है जो बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने के लिये सरकार के साथ मिलकर काम करने में माहिर है। info@justiceventures.org

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें यहां; फिर
- अपने जिले के पुलिस के एस पी या एस एस पी का आर टी आई ड़ालें ।

9. पहचान के दस्तावेज़

1. पहचान के दस्तावेज़ – आधार कार्ड

ऊपर सूचीबद्ध योजनाओं में से कई योजनाओं तक केवल तब ही पंहुचा जा सकता है अगर आवेदक के पास अपनी पहचान के पर्याप्त प्रमाण हैं।
आधार 12 अंकों वाला एक विशिष्ट संख्या है, जो अन्ततः भारत के सारे निवासियों को दी जायेगी। इसमें हर व्यक्ति की मूल जनसांख्यिकी (डैमोग्राफिक्स) नाम, पता जन्म तिथि आदि; और जीवमितीय (बायोमीट्रिक) जानकारी केंद्रीय डेटाबेस (आंकड़ों का कोष) में होगी (फोटो, उंगलियों के निशान, और आंखों की पुतली की फोटो)। आधार निःशुल्क दिया जाता है। हालांकि इस समय आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप के पास आधार कार्ड होना अच्छा है, क्योंकि बैंक खाता खोलने के लिये यह आपको अनुमति देता है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई – वेबसाइट देखें यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः आधार साइट – यहां)*

- एक व्यक्ति को, जो भारत का निवासी है, पहचान के दस्तावेजों का विचार किये बिना आधार कार्ड मिल सकता है।
- 3 साल से कम आयु के बच्चों के लिये जीवमितीय (बायोमीट्रिक) विवरण नहीं लिया जायेगा और उनका आधार अभिभावकों/माता–पिता के साथ जोड़ा जायेगा।
- जब बच्चे 5 साल के हो जायेगें, तब उन्हें अपनी जीवमितीय (बायोमीट्रिक) जानकारी देनी होगी। 15 साल के होने पर फिर से उनका पंजीकरण होगा, क्योंकि आयु के साथ जीवमितीय (बायोमीट्रिक) बदल जाते हैं। यहां

3. आवेदन प्रक्रिया

- नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यहां है।
- आवेदन पत्र भरें (यहां, या पृष्ठ 79 देखें)
- निकटतम नामांकन शिविर में आवेदन पत्र जमा करें। (निकटतम नामांकन शिविर जानने के लिये क्लिक करें यहां)
- नामांकन के लिये आवश्यक दस्तावेज ..... पहचान प्रमाण (पी ओ आई), पते का प्रमाण (पी ओ ए) (स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची यहां या यहां)
- जिन लोगों के पास प्रमाण के लिये दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके लिये एक परिचयकर्ता प्रणाली है। नामांकन के लिये रजिस्ट्रार कुछ लोगों को नामित कर सकता है जो एक व्यक्ति के बारे में जानकारी की वैधता का जिम्मा ले सकते हैं। जिम्मा लेने वाले लोग सरकारी एजेंसी, बैंक, शिक्षक, गांव का डाकिया, एन जी ओ के चुने हुये प्रतिनिधि हो सकते हैं। इनका नामांकन पहले किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी यूआई डी नामांकन किये जाने वाले व्यक्ति के विवरण के साथ उल्लिखित की जायेगी।(विवरण यहां)
- 60 से 90 दिनों के अन्दर आधार कार्ड मिल जाता है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- टोल फ्री फोन नम्बर 1800 180 1947; फिर
- ई मेल help@uidai.gov.in ; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- **आरटीआई यहां उदय के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के लिए (पृष्ठ के तल पर क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नीचे स्क्रॉल और क्षेत्रीय कार्यालय का पता लगाने के लिए अपने राज्य पर क्लिक करें)।**

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

2. पहचान के दस्तावेज़ – मतदाता पहचान पत्र

आधार कार्ड होने तक पहचान का सबसे बुनियादी सबूत मतदाता पहचान पत्र है। 18 साल से अधिक आयु के हर भारतीय को इस पत्र का अधिकार है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- भारत निर्वाचन आयोग (अधिक जानकारी के लिये देखें **यहां**)

राज्य सरकार

- राज्य मुख्य निर्वाचक अधिकारी

2. अधिकार (वेबसाइटः यहां व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी)

- मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करें (अगर आवेदन करने के साल की 1 जनवरी को 18 साल पूरे हो गये हों) (यहां फॉर्म 6 के पेज 3 पर गाइडलाइन 6 देखें)।
- मतदाता फ़ोटा पहचान पत्र –ई पी आई सी (अगर नाम मतदाता सूची में है)। (यहां फॉर्म 6 के पेज 4 पर गाइडलाइन 10.1 देखें)।

3. आवेदन प्रक्रिया

मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिये (प्रक्रिया के लिए **यहां** देखों)
जांच करें कि आप का नाम पहले से ही सूची में है **यहां**; अगर नहीं है तो .....

- समय समय पर जब हर घर में नवीनीकरण होता है तो उस समय अपना नाम रजिस्टर करें; या
- यहां फॉर्म 6 ऑन–लाइन भरें या
- किसी भी समय अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ फार्म 6 डाउनलोड़ करें **यहां** या पृष्ठ 81 पर हार्ड कॉपी लें। अपने निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय मतदान केंद्रों, और मतदाता सूची के लिये देखें यहां ।

आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–

- आयु प्रमाणः यदि 21 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है। यदि 18–21 को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र या अभिभावक घोषणा की जरूरत है (देखें दिशानिर्देश 6 फॉर्म 6 यहां के पेज 3 पर)।
- आवासीय प्रमाण : अपने रहने के स्थान का प्रमाण, निवास का कोई कम से कम समय आवश्यक नहीं है, पर आप को यह प्रमाणित करने के लिये कि आप वहां रहते हैं, किसी दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे .....(देखें दिशानिर्देश 8 फॉर्म 6 यहां के पेज 3 पर)।
  - बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस की वर्तमान पास बुक; या
  - आवेदक का राशन कार्ड/पास पोर्ट/ड्राइविंग लाइसैन्स/इन्मक टैक्स असैसमैन्ट ऑर्डर; या
  - पते के लिये हाल का पानी/टैलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, आवेदक के नाम पर हो या उसके किसी निकटतम रिश्तेदार को हो जैसे माता पिता आदि; या
  - दिये गये पते पर आवेदक के नाम में ड़ाक विभाग से मिली या भेजी गई ड़ाक।

मतदाता फोटा पहचान पत्र –ई पी आई सी
जब नाम को चुनावी भूमिका में जोड़ा जाता है, तब म्च्ब् कार्ड को स्वचालित रूप से जारी किया जाना चाहिए (फॉर्म 6 यहां के पृष्ठ 4 पर दिशानिर्देश 10.1 देखें)।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- टोल फ्री फोन नम्बर 1950; फिर
- निर्वाचन आयोग को शिकायत करें **यहां**; फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- राज्य मुख्य निर्वाचक अधिकारी को आर टी आई डालें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

3. पहचान के दस्तावेज़ – जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

बच्चों की योजनाओं, जैसे बालिका समृद्धि योजना (पृष्ठ 14) और स्कूल में दाखिले (पृष्ठ 31) के लिये जन्म प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधवा पेंशन (पृष्ठ 12) और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन एफ बी एस पृष्ठ 12) के लिये , मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी हैं

1. संबंधित विभाग

राज्य सरकार

- जिला प्रशासनः अपने जिला प्रशासन का विवरण देखने के लिए यहां और फिर अपने राज्य और जिले पर क्लिक करें।

2. अधिकार *(वेबसाइटः बर्थ एंड डेथ्स का पंजीकरण एक्ट 1969 यहां)*

- जन्म प्रमाण पत्रः किसी भी व्यक्ति के लिये जिसके जन्मे अपने राज्य में हुआ।
- मृत्यु प्रमाण पत्रः किसी भी व्यक्ति के लिये जिसके परिवार का सदस्य अपने राज्य में मरता है।

3. आवेदन प्रक्रिया

जन्म प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण के लिये **यहां** देखे। ऑन लाइन प्रक्रिया YouTube वीडियो पर **यहां**।

अगर यह बच्चे के जन्म होने के 21 दिनों के अन्दर होता है, और अगर जन्म इम में से किसी एक जगह होता है ....

- अस्पताल में – पर्ची (स्लिप) नगरपालिका अधिकारियों को और बच्चे के माता पिता को दी जायेगी।
- घर में – दाई ने बच्चे के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत में कराया हो; तो, (Sct 8 of Act).

प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अपनी पर्ची (अधिनियम की धारा 12) के साथ नगरपालिका प्राधिकरण में पंजीकरण करें।

कुछ शहरों में ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं (जन्म के 21 दिनों के अन्दर करना होगा)। **यहां** साइन इन की कोशिश करें और उस जगह पर जायें जहां बच्चे का जन्म हुआ था। अगर रजिस्ट्रेशन युनिट दिखाई पड़ती है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद, आप को एक ईमेल मिलेगा जिसमें सारी जानकारी होगी और फिर आप **यहां** लॉग इन करेगें, अब आप बच्चे का नाम आदि भर सकते हैं। फिर 24 घन्टों के अन्दर आप अपनी परची का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के लिये नगरपालिका अधिकारियों के पास ले जायें। अगर ऑन लाइन आवेदन सम्भव नहीं है तो नगरपालिका अधिकारी के पास जायें।

अगर समय से बच्चे के जन्म का पंजीकरण नहीं होता और बच्चे की आयु 1 साल से अधिक हो जाती है तो आप को जिला कलैक्टर के पास जाने की जरूरत है। (अधिनियम की धारा 13 (3))। अपने DM को देखने के लिए यहां और फिर अपने राज्य और जिले पर क्लिक करें।

- अपने स्थानीय DM/SDM के पास जाएंय (मेरे गाँव के DM / SDM _____ पृष्ठ 4 पर सम्मिलित हैं)।
- आपको एक हलफनामा (शपथपत्र) की भी आवश्यकता होगी जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पता लिखा हो;
- बच्चे के जीवित होने का कोई अन्य दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे कि स्कूल के रिकॉर्डस आदि;
- फिर, बच्चे के जीवित/मौजूद होने के लिये पुलिस जांच करेगी।

मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण के लिये **यहां** देखे।

मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिये व्यक्ति की मृत्यु होने के 21 दिनों के अन्दर मृत्यु का पंजीकरण करना चाहिये .....

- अस्पताल में मृत्यु – पर्ची (स्लिप) नगरपालिका अधिकारियों को दी जायेगी।
- घर में मृत्यु – घर के मुखिया को नगरपालिका अधिकारियों को मृत्यु का पंजीकरण करवाना चाहिये (अधिनियम की धारा 8)।

मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिये इन सब चीजों के साथ नगरपालिका अधिकारियों के पास जायें .....

- शमशान/दहन संस्कार की पर्ची,
- आई कार्ड या राशन कार्ड और
- अगर मृत्यु को 1 साल से अधिक का समय हो चुका है तो डी एम या उस डी एम का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। (धारा 12 और 13)

कुछ शहरों में घर पर होने वाली मृत्यु को ऑन–लाइन दर्ज कर सकते हैं, यदि यह मृत्यु के 21 दिनों के भीतर हो। यहां साइन इन करने का प्रयास करें और उस राज्य, जिले, उप जिले और गांव में प्रवेश करें जहां जन्म हुआ है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सेवा अध्यादेशों के अधिकार के तहत आवेदन करें, जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी देता है, जैसे नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जाति और जन्म प्रमाण देना। यह चालू है इन प्रदेशों में, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड़, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, (वैबसाइट देखें यहां)।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- DM/SDM को आर टी आई डालें। अपने DM को देखने के लिए यहां और फिर अपने राज्य और जिले पर क्लिक करें।

4. पहचान के दस्तावेज़ – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र, धारक को कुछ खास पदों के लिये आरक्षण प्रवेश के लिये आवेदन करने का अधिकार देते हैं, जैसे विश्विद्यालयों में प्रवेश और कुछ सरकारी नौकरियों के लिये।

1. संबंधित विभाग

राज्य सरकार

- जिला प्रशासनः अपने जिला प्रशासन का विवरण देखने के लिए यहां और फिर अपने राज्य और जिले पर क्लिक करें।

2. अधिकार (वेबसाइटः एडवोकेट खोज यहां)

अनुसूचित जाति (सूची के लिये देखें **यहा**), जनजाति, (सूची के लिये देखें **यहां**), या अन्य पिछड़े वर्ग (सूची के लिये देखें **यहां**) प्रमाण पत्र के अधिकार है, जो उस धारक को कुछ खास पदों के लिये आरक्षण प्रवेश के लिये आवेदन करने का हक देता है, जैसे

- विश्विद्यालयों में प्रवेश
- कुछ सरकारी नौकरियां

फिर भी, व्यवसाय/आय के नवोन्नत वर्ग के किसी भी व्यक्ति को इसें शामिल नहीं किया गया है। (सूची के लिये देखें **यहां**)

3. आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिये ST's यहाँ क्लिक करें और SC's यहां क्लिक करें।

- आवेदन पत्र ऑनलाइन, एस डी एम, तहसील, या राजस्व विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अगर आपके परिवार में किसी को पहले कभी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो आप को प्रमाण पत्र देने से पहले एक स्थानीय जांच की जाती है।
- अपने राज्य में न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिये आवासीय प्रमाण।
- आपको अनुसूचित जाति का प्रमाणित करने के लिये एक हलफनामा।
- आवेदन के समय अदालत की निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क आवश्यक है।
- फिर, निवास, आय, जाति, और नवोन्नत वर्ग की जांच की तहकीकात होगी।
- 21 दिनों के अन्दर तहकीकात होनी चाहिये।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- जहां आवेदन पत्र दिया है वहां के डी एम/ एस डी एम से पूछताछ करें
- सेवा अध्यादेशों के अधिकार के तहत आवेदन करें, जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी देता है, जैसे नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जाति और जन्म प्रमाण देना। यह चालू है इन प्रदेशों में, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड़, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, (वैबसाइट देखें यहां)।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें (पंजीकरण के लिए **यहाँ** क्लिक करें)। फिर
- DM/SDM को आर टी आई डालें। अपने DM को देखने के लिए यहां और फिर अपने राज्य और जिले पर क्लिक करें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

5. पहचान के दस्तावेज़ – लेबर कार्ड

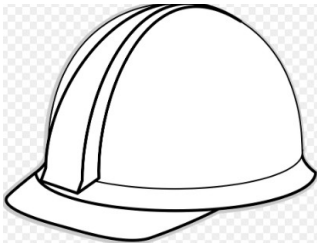

निर्माण उध्योग में काम करने वाले किसी व्यक्ति को लेबर कार्ड उपलब्ध है ।
इस कार्ड से चिकित्सा लाभ और दूसरा लाभ भी मिलने में फायदामंद हैं।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- श्रम और रोजगार मंत्रालय (वेब साइट **यहां**)
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम (यहां वेबसाइट)।

राज्य सरकार

- अपना राज्य का श्रम विभाग (या इसी तरह का शब्द)

2. प्रवेश (सर्वोत्तम संदर्भः भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम यहां)।

- निर्माण उद्योग में कोई भी, 18–60 वर्ष का है और वास्तव में पिछले 12 महीनों (अधिनियम की धारा 12 (1)) में 90 से अधिक दिनों तक काम करना पंजीकरण का हकदार है।
- पंजीकृत सभी को पहचान पत्र (अधिनियम की धारा 13 (1)) मिलता है।
- कार्ड धारक विभिन्न लाभों (चिकित्सा लाभों सहित) (अधिनियम के एससीटी 11) का लाभ उठा सकते हैं।

3. आवेदन प्रक्रिया

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (अधिनियम की धारा 12 (2) और 18 (1)) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के लिए आवेदन करें

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ** क्लिक करें**)। फिर**
- अपना राज्य का श्रम विभाग को आर टी आई डालें।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें।

6. पहचान के दस्तावेज़ – बैंक खाता

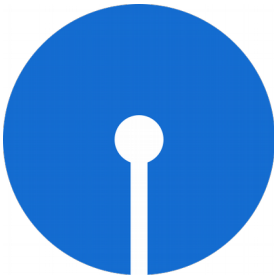

विधवा पैंशन (पृष्ठ 12 देखें) और दूसरे सरकारी भुगतानों जैसी अन्य योजनाओं तक पहुंचने के लिये बैंक खाता होना महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री जन धन योजना, 2014 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी को बैंक खाते के साथ रखना है। अप्रैल 2019 तक, 21.1 करोड़ खाते PMJDY के तहत खोले गए थे।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- वित्त मंत्रालय – वित्तीय सेवा विभाग (यहां वेबसाइट)।
- इंड़िया पोस्ट (वैबसाइट यहां)

सरकारी बैंक

- ग्रामीण बैंक (वैबसाइट **यहां**),
- स्टेट बैंक ऑफ इंड़िया **यहां**, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंड़िया, सेंट्रल बैंक आदि

2. अधिकार (वेबसाइटः प्रधानमंत्री जन ान योजना यहां और भारत डाक यहाँ)

प्रधानमंत्री जन धन योजना यहाँ और भारत डाक (यहाँ वेबसाइट)

- सामान्य केवाईसी मानदंडों में छूट, इसलिए बहुत कम प्रलेखन की आवश्यकता होती है।
- कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। जमा पर ब्याज।
- पैसे निकालने के लिए या खुदरा दुकानों पर लेनदेन करने के लिए त्नच्ंल डेबिट कार्ड का उपयोग।
- लाभार्थी की मृत्यु पर देय 1 लाख रु का दुर्घटना बीमा भुगतान और 30,000 रु का जीवन बीमा भुगतान –(पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिलेगा।
- छह महीने के लिए खाते के संतोषजनक संचालन के बाद, एक ओवरड्राफ्ट (क्रेडिट) सुविधा उपलब्ध है।

डाकघर खाता (यहां विवरण)

- 10 साल से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिये बैंक खाता खोलने के लिये पर्याप्त दस्तावेज़ और एक परिचयकर्ता

3. आवेदन प्रक्रिया

प्रधान मंत्री जन–धन योजना (यहाँ आवश्यकताओं को देखें)।

- आधार कार्ड का उपयोग करके किसी भी बैंक शाखा में 10 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा खाता खोला जा सकता है।
- यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक की आवश्यकता हैः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आवेदक का पता भी है, तो यह पहचान और पते के प्रमाण के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है।

पोस्टल सेविंग खाते के लिये आपको नीचे लिखी चीजें चाहियें .....

- एस बी 3 फॉर्म, जमा पर्ची एस बी 103, नमूना हस्ताक्षर, परिचयकर्ता, और खाता खोलने के लिये कम से कम 20 रुपये जमा

आधार कार्ड के लिये आवेदन करें (पृष्ठ 60) जो आपको बैंक में खाता खोलने में समर्थ करेगा।

अन्य बैंकों के लिये

- भरा हुआ फॉर्म (परिचयकर्ता के हस्ताक्षर सहित,जिसका उस बैंक में 6 महीनों से अधिक समय से खाता हो),
- आवासीय प्रमाण पत्र (राशन कार्ड़ और आई कार्ड़ जिन पर एक ही पता हो), और
- खाता खोलने के लिये कम से कम 500 रुपये जमा

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे बैंक मैनेजर/पोस्ट ऑफिस मैंनेजर को आवेदन करें;
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ** क्लिक करें)। **फिर**
- **आरटीआई वित्त मंत्रालय (पीआईओ के लिए यहां देखें)**

5. सफलता की कहानी

करीन (पृष्ठ 13 कि कहानी से) केवल अपने पति का वोटर आई–कार्ड (पेज 66) और मृत्यु प्रमाण पत्र (पेज 67) था। एसबीआई बैंक उसी पते से राशन कार्ड मांग रहा था। खाद्य और आपूर्ति अधिकारी राशन कार्ड जारी नहीं कर रहे थे, इसलिए एक स्थानीय समुदाय के कार्यकर्ता ने एसबीआई बैंक प्रबंधक से एक विशेष अपील की, जो करीन के लिए एक खाता खोलने के लिए सहमत हुए।

7. पहचान के दस्तावेज़ – पैन कार्ड

हर उस व्यक्ति के लिये पैन कार्ड अनिवार्य है जो आयकर देता है। कोई और भारतीय व्यस्क भी पैन कार्ड़ के लिये आवेदन कर सकता है, और उसे पैन कार्ड़ दिया जा सकता है, भले ही वह आयकर देता हो या नहीं। अन्य सेवायें जैसे बैंक खाता के लिये पैन कार्ड बहुत उपयोगी है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- आयकर विभाग (वैबसाइट के लिये यहां क्लिक करें);

2. अधिकार (वेबसाइटः आयकर विभाग यहाँ)

- हर आयकर देने वाले के लिये पैन कार्ड़ आवश्यक है
- कोई अन्य भारतीय व्यस्क भी पैन कार्ड़ के लिये आवेदन कर सकता है, और उसे पैन कार्ड़ दिया जा सकता है, भले ही वह आयकर देता हो या नहीं। अन्य सेवायें जैसे बैंक खाता के लिये पैन कार्ड बहुत उपयोगी है।

3. आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन प्रक्रिया यहां पृष्ठ 5 पर देखें
- फॉर्म 49 ए ऑनलाइन भरें, यहां (हार्ड कॉपी यहां या पृष्ठ 83 पर)
- प्राप्ति रसीद का प्रिन्ट लें, उस पर हस्ताक्षर करें; फॉर्म के साथ लगायें .....
  - दो फोटो,
  - पहचान पत्र – स्कूल का प्रमाण पत्र, पानी का बिल, राशन कार्ड, आई कार्ड, लाइसैन्स में से कोई एक (अधिक जानकारी दस्तावेज के आइटम 15 यहाँ या आवेदन फार्म के पृष्ठ 7 पर यहाँ)
  - आवासीय प्रमाण पत्र – बिजली का बिल (हाल का), किराये की रसीद, राशन कार्ड, आई कार्ड, लाइसैन्स में से कोई एक (अध्कि जानकारी दस्तावेज के आइटम 7 यहाँ या आवेदन फार्म के पृष्ठ 7 पर यहाँ)
  - 110 रुपये ऑनलाइन भरें या ड्राफ्ट द्वारा भेजें

एन एस डी एल को इस पते पर 15 दिनों के अन्दर भेजें (यहां आवेदन पत्र के पेज 8 पर विवरण)

इंकम टैक्स पैन सर्विस युनिट,
एन एस डी एल ई–गर्वनैस इंनफरा स्ट्रक्चर लिमिटेड़,
पांचवी मंजिल, मंत्री स्टरलिंग,
प्लाट नम्बर 341, सर्वे नम्बर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगलो चौक के पास
पुने –411016

आवेदन पत्र का ऑनलाइन पता करें, यहां (12 अंकों की लेनदेन संख्या की आवश्यकता है)।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

यहां आवेदन पत्र के पेज 8 पर विवरण

- एस एम एस करें .***NSDLPAN <space> रसीद का नम्बर***..57575 पर भेज दें, आवेदन की स्थिति जानने के लिये; फिर
- फ़ोन करें 020 27218080 ; फिर
- ई मेल करें .... tininfo@nsdl.co.in ;फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)। फिर**
- आयकर विभाग को आर टी आई डालें (विवरण के लिये यहां क्लिक करें);।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

10. अतिरिक्त

1. अतिरिक्त – सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस क़दम

1. गहरा सम्बंध बनाएं – समुदाय में निवासियों के साथ

किसी भी निर्धन समुदाय में परिवर्तन के स्थायित्व की कुंजी स्वयं वहां के निवासी होते हैं। लेकिन अक्सर, पीढ़ियों की निर्धनता और सशक्त लोगों द्वारा तिरस्कृत, निवासी इतने अधिक शक्तिहीन हो जाते हैं कि वे अपनी परिस्थिति को अपनी नियति मान लेते हैं। समुदाय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी समस्याओं को पहचानने और उसका निराकरण करने के योग्य बन सके और उसके बाद निवासियों के छोटे समूह के लिए है कि वह अपने समुदाय में परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए ज्ञान, कुशलता और 'हृदय' (हिम्मत, आत्म विश्वास और आत्म त्याग) को विकसित करे। हम विश्वास करते हैं कि मुख्य निवासियों में ज्ञान, कुशलता और हृदय को विकसित करने में सहायता देने के लिए सब से बेहतर रास्ता ये है कि हमारे अपने कार्यकर्ता समुदाय के मुख्य व्यक्तियों के साथ समानान्तर, स्नेहपूर्ण सम्बंध स्थापित करें। हालांकि हमारे कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के आरम्भ से समुदाय के मुख्य लोगों से साथ घनिष्ट सम्बंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। किस के साथ सम्बंध स्थापित किया जाए, इसका चुनाव करने के लिए हम जानबूझ कर नेक हृदय रखने वाले ऐसे मुख्य निवासी को ढूंढ़ते हैं जो समुदाय के विकास के सफर को संस्था के द्वारा छोड़े जाने पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हों।

निवासियों के साथ बेहतर सम्बंध स्थापित करने का एक अतिरिक्त लाभ यह होता है कि जब हम अगले क़दम को रिसर्च करेंगे तो हम समुदाय की सच्ची कहानी को प्राप्त कर सकेंगे।

2. सीखो समुदाय के बारे में – देखना एवं पूछताछ

यह महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को स्वंय को विशेषज्ञ की हैसियत से न जा कर सीखने वाले की तरह जाकर आरम्भ करें। समुदाय के बारे में जानने के सबसे उत्तम तरीकों में से एक है कि साधारण रूप से आप स्वयं घूम घूम कर आवास, बिजली, सफाई, जल, सामुदायिक सम्बंध, किनारे पड़े समूह आदि की परिस्थिति का अवलोकन करें। लेकिन समुदाय कुछ चीजों जैसे कॉलोनी का इतिहास, अपनी कॉलोनी के बारे में निवासी किस बात को शाबाशी देते हैं और अपनी किस समस्या को वे वरीयता देते हैं आदि के बारे में हम अवलोकन नहीं कर सकते। इन गुप्त तथ्यों को जानने के लिए हमें प्रश्न करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से उनके साथ जिनके साथ हम निकट का आपसी सम्बंध बना रहे हैं (कदम 1 से आगे)।

3 सोचो – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सम्बंध में यह आवश्यक है कि ज्वलंत समस्याओं के बारे में उनमें स्वयं एक एहसास होना चाहिए, एक टीम की हैसियत से हमने जो कदम 2 से सीखा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ये मूल्यांकन उन समस्याओं को प्रकाश में लाएगा जो निवासियों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जो समस्या विपक्ष उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन समसयाओं को प्रकाश में लाने से उनका निराकरण सफलता के साथ किया जा सकेगा। ये मुल्यांकन इसलिए नहीं हैं कि उन्हें समुदाय पर थोपा जाए, बल्कि इसका लाभ ये है कि समुदाय की बैठक बुलाने से पहले यह निर्णय लिया जा सके कि किस समस्या पर पहले कार्य आरम्भ किया जाए (कदम 4)। इस विश्लेषण का एक भाग एक 'शक्ति विश्लेषण' हो सकता है, जिसमें यह पाया जा सके कि किन हितधारकों के पास किसी संभावित समस्या का समाधान लाने के लिए सबसे अधिक शक्ति है और क्या उन हितधारकों को वह समाधान चाहिए या नहीं।

4. मीटिंग चलाओ – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

जबकि हमारी संस्था की टीम सितम्बर 3 को अपना मूल्यांकन करती है, अन्तिम निर्णय लेने में ये महत्वपूर्ण है कि पहले किस समस्या का निराकरण किया जाए जिसे हकीकत में निवासियों को स्वयं करना है। इसे एक सामुदायिक बैठक में जिसमें बहुत सारे निवासियों के समूह जैसे महिलाएं, बच्चे, मुसलमान, हिन्दू, वंचित आदि शामिल होंगे किया जाना है। बहुत सारे विभिन्न समूह और भिन्न विचारधारा रखने वाले समूहों के साथ एक सफल बैठक का आयोजन करना इस पूरी प्रक्रिया में सब से अधिक कठिन कार्य है। संचालक को प्रत्येक पार्टी को सुनना, ऊंची आवाज उठाने वालों को शान्त करना और प्रथम समस्या के निराकरण के लिए निवासियों को एक मत करना होगा।

5. सीखो – संसाधनों के बारे में जिस से समस्याओं का समाधान किया जा सके

समूदाय के द्वारा निर्णय ले लिए जाने के पश्चात कि पहले किस समस्या का समाधान किया जाए, हमारी संस्था इस मैनुअल का प्रयोग कर सकती है, इसका बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट रिसर्च, आर.टी.आई. का प्रयोग और समुदाय से सम्बंधित उपलब्ध संसाधनों के सम्बंध में सूचनाओं को इक्टठा करना आदि समस्या के समाधान में प्रयोग हो सकेगा। हो सकता है कि ये संसाधन सरकार के पास (**इस पुस्तिका में**), स्वयं सेवी संस्थाओं के पास, और स्वयं समुदाय में पाए जाएं। फिर से यह स्पष्ट करते हैं कि इस रिसर्च का उद्देश्य उन संसाधनों को समुदाय पर थोपना नहीं है बल्कि इसे होने वाली अगली सामुदायिक बैठक (6 सितम्बर) को समुदाय के सम्मुख रखना है।

6. योजना बनाओ – समस्याओं के समाधान के लिए

सितम्बर 4 को आयोजित होने वाली अन्य सामुदायिक बैठक में प्रथम समस्या के समाधन हेतु प्लान एक्शन बनाया जाना है। योजना में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कौन क्या करेगा, कब ये किया जाएगा और कौन होने वाले किस खर्च के लिए भुगतान करेगा। जबकि संभव है कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता एक्शन प्लान के सदस्य होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता अधिक जिम्मेदारियों को न लें। अगर निवासी सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं हैं तो यह प्रक्रिया के प्रति रूचि की कमी का संदेश देता है और तब हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि आगे बढ़ने से पहले उनमें तसल्लीबख़्श हद तक रूचि उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करें। योजना का यह चरण इस बात का भी द्योतक होगा जिसमें परमेश्वर इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में एक सहायक के रूप में परिचित होगा। भारत के बहु–विश्वासीय परिक्षेप में सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए लोग अपनी परम्परा के अनुसार परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए उसे बुलाने हेतु राजी होंगे।

7. काम करो – योजना के अनुसार

निवासी जो एक्शन प्लान (कदम 6 से) के अनुसार कदम बढ़ाने को तैयार हो गए हैं, उसके बाद आगे का कार्य आरंभ करें। अक्सरहां इस कदम में वर्तमान सरकारी सेवाओं को लागू करने के लिए सरकारी अफसरों से बातचीत करना भी शामिल होता है जो निवासियों को उपलब्ध होना चाहिए। प्रयोगिक रूप से इसमें सम्मिलित होगा, उन आवेदन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, जो **इस पुस्तिका में** दिये गये हैं।

8. सोचो – काम कैसा था ?

अगर प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार चलने के बाद, निवासियों को समस्या में समाधान के सफलता मिलती है तो इस सफलता के आनन्द को मनाना महत्वपूर्ण है। अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें आवश्यकता है कि हम नया एक्शन प्लान बनाएं और **इस पुस्तिका में** दिए गये मध्यस्थता के कदम का और अपने सीखे गए कदम 7 का प्रयोग करें।

क़दम 6–8 दोहराते रहना जब तक सफलता न मिले या लगता है कि सफलता नहीं मिल सकती

9. अगला समस्याओं को योजना बनाना – संस्थाओं के निम्न सहयोग के कम और निवासियों के अधिक सहयोग से

प्रथम समस्या पर निर्णय के बाद हम कदम 4 पर आते हैं और दूसरी सामुदायिक समस्या को हल करने के लिए चुनते हैं। ऐसा करने से हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता कम जिम्मेदारी लेते हैं जबकि निवासियों को अधिक जिम्मेदारी लेने का प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह, निवासी, मुख्य रूप से 'नेक हृदय लोग' समस्या समाधान की समस्त प्रक्रिया को अच्छी तरह सीखते हैं और बाद में वे बिना संस्था के कार्यकर्ताओं के सहयोग के उसे कर सकते हैं।

10. सी.बी.ओ (समुदाय आधारित संस्था) बनाना

कदम–1 में पहचान किए गए 'नेक हृदय लोग' और समस्या समाधान की प्रक्रिया में सिखाए गए लोग अन्त में एक स्वतंत्र समुदाय आधारित संस्था का निर्माण करेंगे और वे स्वंय सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा उस क्षेत्र से बाहर चले जाने के बाद सामुदायिक विकास के कार्य को दिशा देंगे। कुछ समय बाद वह समूह एक औपचारिक सामुदायिक कल्याणकारी संस्था को पंजीकृत कराएगी ताकि उसे सरकार के साथ मामले को हल करने और अधिक जिम्मेदारी लेने को अधिकार प्राप्त हो सके।

2. अतिरिक्ति – सरकार के सुविधाओं की योजनाएं और कानून

सेवा	पृष्ठ	ए पी एल के लिए उपलब्ध	बीपीएल के लिए उपलब्ध	योजना का नाम	कानून का नाम
पीने का पानी	7	*	*	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	
राशन कार्ड	8	*	*		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
आंगनवाडी	9	*	*	आई सी डी एस	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
मध्यान्तर भोजन	10	*	*	मध्यान्तर भोजन योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
रोजगार	11	*	*		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी 2005
विधवा वृध्दा पेंशन	12		*	एन एस ए पी	
बालिका	14		*	बालिका समृद्धि योजना	
जीवन बीमा	15	*	*		
प्रशिक्षण	16	*	*	जन शिक्षा संस्थान	
ड्राइविंग लाइसेंस	17	*	*		
स्वयं सहायता समूह	18		*		
सूक्ष्म उद्योग	19	*	*	माइक्रो युनिटस डिवेलपमैन्ट एंड रिफाइनैन्स एजेन्सी	
स्मार्ट कार्ड	20		*	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	
गर्भावस्था और प्रसव	21	*	*	जननी –शिशु सुरक्षा योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
टीकाकरण	23	*	*	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	
टी बी	24	*	*	डॉटस	
विकलांगता सेवाएं	25		*	एन एस ए पी	विकलांगता अधिनियम 2016
मानसिक स्वास्थ्य	27	*	*		मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017
नशा पुनर्वास	29	*	*		
एच आई वी	30	*	*	राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन	
सरकारी विद्यालय	31	*	*	सर्व शिक्षा अभियान	राइट टू एजूकेशन एक्ट 2009
छात्रवृत्ति और लाभ	33		*	सर्व शिक्षा अभियान	राइट टू एजूकेशन एक्ट 2009
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	34	*	*		
बिजली	35	*	*	सौभाग्य योजना	
गैस कनेक्शन	36	*	*	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	
शौचालय	38		*	स्वच्छ भारत मिशन	
पक्की गलियां और नालियां	39	*	*		
आवास	40		*	प्रधानमंत्री आवास योजना	
भूमिहीनों के लिये भूमि	41		*		
सड़कें	42	*	*	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	

सेवा	पृष्ठ	ए पी एल के लिए उपलब्ध	बीपीएल के लिए उपलब्ध	योजना का नाम	कानून का नाम
खेती – सिंचाई	44	*	*		
फसलों का बीमा	45	*	*		
सब्सिडी	46	*	*		
घरेलू हिंसा	47	*	*		घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
बाल मजदूरी	48	*	*	चाइल्ड लाइन	बाल मजदूरी अधिनियम 1986
बाल विवाह	49	*	*	चाइल्ड लाइन	बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
बाल तस्करी	50	*	*	चाइल्ड लाइन	इंडियन पीनल कोड़
यौन तस्करी	51	*	*		इममोरल ट्रैफिक प्रीवैन्शन एक्ट
बंधुआ मज़दूरी	52	*	*		बंधुआ मज़दूर प्रणाली 1976
आधार कार्ड	53	*	*	आधार	
पहचान पत्र	54	*	*		
जन्म प्रमाण पत्र	55	*	*		बर्थ एंड डेथ्स का पंजीकरण 1969
अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण	56	*	*		
लेबर कार्ड	57	*	*		अन्य निर्माण श्रमिक एक्ट 1996

3. अतिरिक्ति – अधिकार मिलने के लिए आवेदन पत्र (नमूना सहित)

कुछ आवेदन विशेष फ़ार्म की आवश्यकता होती है जो कि दफ़्तरों में उपलब्ध होते हैं।
अगर फ़ॉर्म न मिले तो, खाली कागज़ पर अपना आवेदन लिखे और सही दफ़्तर को दे।
उसके अलावा निमलिखित 4 बातों ज़रुर लिखें :

1 अपनी समस्या को साफ़ बताइए। जैसेः आपके गाँव में बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक आंगनवाड़ी कभी नहीं रही है। अगर समस्या का फोटो भी हो (जैसे बहुत बच्चे) तो चिपका दीजिए, इससे आवेदन और भी अच्छा बनेगा ।

2 अपने अधिकार, और किस कानून या योजना से यह अधिकार मिलता है। जैसेः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, 5 (1) (ए) 6 महीने से 6 साल तक के प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी में प्रत्येक दिन एक पकाया भोजन का अधिकार है।

3 आवेदन साफ़ बताइए। आपको क्या चाहिए और कब तक ? जैसेः आप 30 जून 2019 तक कई आंगनवाड़ियों की शुरुआत करना चाहते हैं।

4 दबाव। साफ़ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या दबाव डालेंगे । जैसेः अगर 30 जून 2017 तक सड़क बनने की शुरुआत न हो, तो हम आर टी आई डालेंगे ।
अपने आवेदन की एक कॉपी मुख्य कार्यालय (बड़े अफ़सर)को भी भेज देना । फ़िर शायद छोटा अफ़सर बात मान कर जल्दी काम कर लेगा

<u>आवेदन का नमूना</u>

सेवा में
समेकित बाल विकास सेवाएं
बांकुरा जिला
पश्चिम बंगाल

16 मई, 2019।

पुनः शिवरामपुर गाँव में आंगनवाड़ी ऑन डिमांड

श्रीमान,
मैं जिला बांकुड़ा के शिवरामपुर गाँव में रहता हूँ। मैं सम्मानपूर्वक निम्नलिखित बताता हूं: –

1. हमारे गाँव की आबादी 2,350 है, जिनमें से 272 6 महीने – 6 साल के बच्चे हैं। मैंने इस उम्र के बच्चों की एक सूची हमारे गाँव में, उनकी एक फोटो के साथ संलग्न की है।
2. मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 5 (1) (एं) से ध्यान देता हूं कि 6 महीने से 6 साल तक के प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन एक आंगनवाड़ी में पका भोजन का अधिकार है।
3. इसलिए मैं अपने गाँव के लिए कई आंगनवाड़ियों के लिए आवेदन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इन आंगनवाड़ियों को 30 जून, 2019 तक शुरू कर दिया जाए।
4. यदि आंगनवाड़ी 30 जून 2019 तक शुरू नहीं होती है, तो मैं इस आवेदन के साथ क्या हुआ है, यह जानने के लिए मैं आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करूंगा।

धन्यवाद,
रमेश कुमार
रमेश कुमार
एच। नंबर 6, गली नंबर 7
शिवरामपुर गाँव
बांकुरा जिला
पश्चिम बंगाल
दूरभाष 9750 478598

cc ICDS
राज्य कार्यालय,
कोलकाता

4. अतिरिक्ति – सरकारी कर्मचारी से बात करने का सलाह

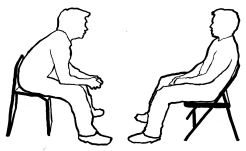

आवेदन लिख कर आप सही सरकारी दफ़्तर को डाक से भेज सकते हैं। अगर आप यह करें तो, रेजिस्टरड पोस्ट के द्वारा ही अपना आवेदन भेजें, और रीसीट सुरक्षित रख ले, ताकि आप दिखा सकते हैं कि किस दिन यह भेजा गया था। मगर कुछ आवेदन के लिए बेहतर होता है कि आप खुद दफ़्तर जा कर कर्मचारी को जमा करे। यदि आप खुद आवेदन पत्र जमा करने जा रहे है तो नीचे लिखी गई निम्नलिखित बातें का अवश्य ध्यान रखे :

मीटिंग से पहले तैयारी करना

- अपने साथ किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को साथ ले कर जाएं। यदि वह अफ़सर घूस मांगता हैं तो वह साथी चश्मदीद गवाह बन सकता है।
- मन में साफ़ होना चाहिए कि मीटिंग का उद्देश्य क्या है।
- मिलने का समय तय करने के लिए, जाने से पहले फोन करे ताकि आपका समय बर्बाद न हो।
- अच्छे कपड़े भी पहनना ताकि दिखा सकते है कि आप कोई है ।
- अगर हो, तो अपना आई कार्ड साथ ले जाए।
- डायरी या कॉपी और पेन साथ ले जाएं, ताकि आप काम के तारीख लिख सकते हैं ।
- हर कागज़ की 2 फोटोकॉपी ले जाए, एक अफ़सर को देने के लिए व एक साइन करके वापस अपने पास रखने के लिए।
- जो भी कागज़ात, दस्तावेज़ या चिट्ठी हो, उसकी असली वाला और उसके 2 फ़ोटोकापी ले जाएं ताकि आप असली वाली अफ़सर को दिखा सके लेकिन उसे असली कॉपी मत दें।
- दफ़्तर का नाम और पता जान लीजिए, ताकि समय पर पहुंचें ।
- ऑटो के लिए पैसे ले लो ताकि अगर देर हो रहा है,
- समय पर पहुँचें।
- अपने अधिकार को जान लें। अगर अधिकार मिलने के लिए कोई फीस, लगती है, तो उस के लिए पैसे ले कर जाएं।
- पहले से ही सोच कर जाइए कि अगर हमारी बात नहीं मुनी जाए तो हम और किस किस तरह दबाव दाल सकते है। इसलिए बड़ा अफ़सर का नाम जान ले ।
- पहले से सोच ले कि कौन क्या बात करेगा, ताकि सब लोग एक साथ न बोलने लगे ।

मीटिंग के दौरान

- अपना परिचय देना। अगर हो सके, उनका नाम, पद और फोन नम्बर भी पूछ कर लिख लेना।
- अपना आने का कारण साफ़ शब्दों में बताए और उन्हें पहले ही बोल दे कि आप उनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
- यदि अफ़सर बहाने बनाए तो खामोश रहे, ऊँची आवाज़ में न बोले। अगर झगड़ा होता है तो इसमें आपका ही नुक्सान होगा।
- जो कुछ भी अफ़सर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना। उम्मीद हैं कि फिर वो अपनी अकारण प्रतिक्रियाएं खुद महसूस करेगा।
- जो भी कागज़ात या आवेदन देना है तो अपनी एक कॉपी पर "रीसीव्ड" मोहर ज़रुर लगवाए।
- अगर कर्मचारी कहते है कि बाद में देखेंगे तो तारीख ज़रुर तय कीजिए, और वह तारीख अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
- साफ़ साफ बताए कि अगर आपका काम नहीं हाता है तो आप और क्या दबाव डालेंगे (6वी कदम देखो) और कब तक, मगर गुस्सा न हो।
- जाते समय शुक्रिया ज़रूर कहिये। ऐसे कहने से, उम्मीद है कि अगला बार वह अफ़सर अपकी मदद करेंगे।

मीटिंग की पूछताछ

अगर कोई आप के साथ गया था, उससे पूछना *मीटिंग आप के लिए कैसी थी*।
जो अच्छा हुआ उस पर चिंतन करें, और अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं।

मीटिंग के बाद, लिख लेना ताकि याद रहे

- मीटिंग की तारीख और समय, किससे मिले,
- क्या नतीजा हुआ।
- जो भी कोई कागजात दिए या लिए है उसकी एक अलग फ़ाइल बना ले ।
- जो भी काम सरकारी कर्मचारी करेगा और कब तक। अगर वह न करे तो आप क्या करेंगे, और कब तक।

अगले कदम

- अगर आप ने कुछ करने को कहा, तो उसे करना।
- अगर अफसर ने कुछ करने का वादा किया, तो फोन करके मालूम करना कि होने वाला, हुआ या क्या हुआ।
- अगर सफलता हो तो जरूर अफ़सर को शुक्रिया कहना।

5. अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते है?

कई बार सरकारी कर्मचारी आपके आवेदन पत्र को नहीं लेते या उन्हें नियत तरीके से आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें घूस नहीं मिल जाती। वो कभी सीधे तरीके से नहीं बोलते, चाय पानी या कुछ दे दो बोल के मांगते हैं। कभी कभी सीधे बोलने के बजाय वो दलाल द्वारा सेवा वेतन बोल के सरकारी काम कराते हैं, जिसमें से कुछ पैसा कर्मचारी को सरकारी काम करने के लिए दिया जाता है। जहाँ ज्यादा ज़रुरत है वहाँ ज्यादा की घूस होती है,। ऐसे भुगतान या घूस की कोई रसीद भी नहीं होती हैं, जिससे यह साबित करना मुश्किल हो जाता है की किसी ने घूस ली हैं। कर्मचारी कहेगा कि उसने घूस नहीं ली है। ऐसी घूस काफी ज्यादा रूपयों में भी दी जाती है, कई बार इन स्थान पर आने के लिए (सरकारी नौकरियों) भी बहुत घूस दी जाती है इसलिए इन जगहों में घूस लेने की संभावना बहुत होती है। बहुत लोग राशन कार्ड या दूसरे दस्तावेज़ लेने में इतना बेताब हैं कि उन्हें घूस देने में मज़बूर है ।

इस संगठन में क्या समस्याएँ है ?

- जितना ज्यादा घूस दी जाएगी उतना ही ये संस्थान में उलझती चली जाएगी ।
- भ्रष्टाचार से गरीब बिलकुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो घूस देने में सक्षम नहीं होते, वो उन्हीं सेवाओं से वंचित रह जाते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए कई विधवाओं को उनकी पेंशन नहीं मिलती, गरीबों को बी पी एल कार्ड नहीं मिलता क्योंकि वो घूस नहीं दे पाते।
- या तो फिर सच्चे कर्मचारी को यह कार्यालय भ्रष्ट बना देते हैं।
- यही घूस इन कार्यालयों को धीमें कर देती हैं जिन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

हम क्या कर सकते है अगर हमसे घूस मांगी जाये तो ?

क) बात करने से पहले

- अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, कितना लागू भुगतान हैं, इस पुस्तिका को इस्तेमाल करके ताकि आपको बेवकूफ ना बनाया जाये।
- जहाँ भी मुमकिन हो, अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें या चिठ्ठी लिखकर जिससे आप घूस देने से दूर रहें ।
- लिखित आवेदन के लिए अतिरिक्त 3 (64) को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कर्मचारी को लगे की आप कितने गंभीर हैं अपने पत्र में ।
- अपने साथ किसी को साथ लेके जाएँ ताकि आपके पास गवाह हो अगर कोई आपसे घूस मांगे।

ख) बातचीत के दौरान अगर कोई कर्मचारी चाय पानी या कुछ देने को कहे तो

- उसे पूछें कि उस भुगतान के बारे में कहाँ लिखा है (जिसके उसकी गलती पर रोशनी पड़े)
- उससे कहें कि आप भुगतान देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्च्ची दे (इससे उसके गलत कामों को दिखा सकते है)
- उसकी मांग को ज़ोर से दोहराएँ ताकि आस पास के लोग सुन सकें और वो कर्मचारी शर्मिंदा हो जाए।
- अगर वो फिर भी ज़िद करे तो उसे दिखा के उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें और उसे पता चले कि आप सब लिख कर ले जा रहें । दिन, समय, जगह और मांग को लिख लें। उस कर्मचारी का नाम और पद बताने में आना कानी करे तो उसके पहचान की जानकारी प्राप्त करें तो उसके बिल्ले या मेंज़ पर रखी कोई चीज़ से।

ग) बातचीत के बाद आप निर्णय ले सकते हैं आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते है या नहीं अगर उसके नियत कार्य करना चाहते हैं तो

- संचिप्त में सारा निवेदन लिखें कि क्या हुआ था, दिन, समय, कर्मचारी और उसकी मांग के बारें में।
- उस कर्मचारी के मालिक का नाम पता लगवाएं (दूसरों से या वेबसाइट से या इस पुस्तिका से) ।
- अपनी लिखित शिकायत उस बड़े अफसर को दे (या फिर किसी सहायता संगठन जो सहायता के भाग में दी है इस पुस्तिका से)
- लिखित शिकायत देने के बाद, प्राप्त स्टाम्प ज़रूर से ले, उस अनुरोध में यह भी बताएं की वो कार्यालय क्या कदम उठाएगी उस कर्मचारी के विरोध और इस आशंका में की अगर दृढ कदम नहीं उठाए गए तो सूचना के अधिकार से शिकायत भी भेज सकते हैं
- अगर फिर भी कुछ न हो तो सी बी आई के भ्रष्टाचार के विरोधी का नंबर 9968 081216ए7ए8 को शिकायत दीजिए ।
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें **(पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें)।**
- फिर भी कार्य न हो तो किसी संस्था जो वहां कार्य कर रहा हो मिले ।
- मीडिया के पास जाएं।

6. अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रयोग (नमूना के साथ)

1. सूचना का अधिकार कब लाभदायक है ?

जब व्यक्तिगत समस्याएं (जैसे पेंशन के आवेदन का आगे न बढ़ पाना) या **सामुदायिक समस्याएं** (जैसे कूड़ा न उठाया जा रहा हो)

- जबकि आपने किसी सरकारी लाभ के लिए आवेदन किया हो (इस पुस्तिक में दिए गए आवेदन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए)
- सामान्य अवधि समाप्त हो गई हो; और
- वांछित पूछताछ (इस पुस्तिका में दिए गए प्रथम मध्यस्थता का प्रयोग) से काम न बना हो।

2. सूचना के अधिकार का आवेदन किस तरह लिखा जाए?

आवश्यक जानकारी

- जन सूचना अधिकारी के विभाग और पता;
- तिथि;
- "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" लिखें;
- क्या जानकारी चाहिए (देखें नमूना नीचे)
- शुल्क रू.10/– (रसीद लेना स्मरण रखें) (बीपीएल कार्डधारी को कोई शुल्क नहीं, कार्ड की प्रति संलग्न करें)
- आपका हस्ताक्षर (आवेदक का);
- आपका नाम; आपका पता; और आपका फोन नम्बर।

किस प्रकार प्रश्न पूछें (नमूना नीचे देखिए)

1. **पहले बताइए कि आपने अवेदन कब की और उसकी प्रति लगाओ ।**
2. **पूछो कि उनके नियम या नागरिक चार्टर के अनुसार कितना समय लगना चाहिए ।**
3. **पूछो कि किस अफ़सर ने क्या क्या काम किया है किस तारीख को।**
4. **पूछो कि क्या सज़ा हुई अफ़सर को जिसने ज्यादा समय लिया ।**
5. **पूछो कि आपका काम कब पूरा हो जाएगा ।**

3. किसको/कहां अपना आरटीआई दें

- आर. टी. आई. सम्बंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पी आइ ओ) को सम्बोधित किया जाना चाहिए। इस मैनुअल में प्रासंगिक पेज प्रासंगिक पीआईओ के लिए लिंक देता है।
- अगर आरटीआई सम्बंधित सरकारी विभाग तक नहीं पहुंचा है तो ये पीआइओ की जिम्मेदारी है कि सही विभाग को भेजे 5 दिनों के भीतर (आरटीआई अधिनियम 2005 6(3) यहां)।

4 कहां देना है ?

- केंन्द्र सरकार विभाग या मंत्रालयों के लिए, फ़ाइल ऑन लाइन https://rtionline.gov.in/
- अगर आप डरते है कि सरकारी अफ़सर आपको परेशान करेंगे, तो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भजें। उसकी पर्ची ध्यान से रखें। आरटीआई शुल्क के लिए पोस्टल आर्डर का उपयोग करें और पेयी लाइन खाली छोडेः या
- सीधा पी. आई. ओ. कोः या
- कैसे भी आप आरटीआई फ़ाइल करते है, उत्तर 30 दिनों के अन्दर आ जाना चाहिए।

5. क्या नतीजा हो सकते है

नतीजा	आपका काम
1. आरटीआई डालने की इजाज़त नहीं मिली	केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) को शिकायत करें यहां 90 दिन के अंदर
2. जवाब नहीं मिला, पर अधिकार मिला	कुछ नहीं
3. सहीं जानकारी मिली	कुछ नहीं
4. सहीं जानकारी नहीं मिली	केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) को शिकायत करें **यहां**
5. कुछ जानकारी मिली, पर पूरी नहीं	या प्रथम अपील या केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) को शिकायत करें **यहां**

अगर आप अपील जीतते हैं तो पी आई ओ को प्रतिदिन रु 250/– और अधिक से अधिक रु 20,000/– का जुर्माना लगाया किया जा सकता हैं जो फिर आरटीआई दर्ज करने के पार्टी को सम्मानित किया हैं।

(आर टी आई का नमूना – केवल मोटे अक्षरों को बदलना है)

सेवा में
जन सूचना अधिकारी
उप प्रभागीय न्यायाधीश
बांकुरा जिला
पश्चिम बंगाल
1 मई, 2019

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन
नजमा खातूम के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन संबंधी जानकारी के लिए

महोदय,

1 मैंने 1 अक्टूबर 2018 को बांकुरा एसडीएम कार्यालय में अपनी **बेटी नाजमा खतौम (क्व्ठ 2दक व्बज 2011) के लिए जन्म प्रमाण पत्र** के लिए एक आवेदन किया। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: –

2 आपके विभाग के नियमों या विनियमों, या सेवा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, निर्धारित समय क्या है जिसके भीतर **जन्म प्रमाण पत्र** जारी किया जाना चाहिए?

3 कृपया मेरे आवेदन पर की गई दैनिक प्रगति प्रदान करें। कृपया उन अधिकारियों के नाम और पदनाम दें जिनके साथ मेरा आवेदन इस दौरान पड़ा था। कृपया उस अवधि को बताएं जब वह किस अधिकारी के साथ झूठ बोल रहा था, और उस अवधि के दौरान उस अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी।

4 ऐसे अधिकारी ध कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने समय पर अपना कर्तव्य नहीं निभाया और इस देरी का कारण बना? यह कार्रवाई कब होगी?

5 मुझे अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र कब मिलेगा?

मैं इस आरटीआई के लिए अलग से आवेदन शुल्क (10 रुपये) जमा कर रहा हूं।

यदि आपको लगता है कि उपरोक्त मांगी गई जानकारी आपके विभाग से संबंधित नहीं है, तो कृपया आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के प्रावधानों का पालन करें। इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, कृपया नाम प्रदान करें और आपके विभाग में अधिकारी का पदनाम, जहां मैं अपनी पहली अपील दायर कर सकता हूं, अगर मैं दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूं।

धन्यवाद।
शाजिया खातूम
शाजिया खातूम

125 गली नं 12
बुनकर कॉलोनी
बांकुरा जिला
पश्चिम बंगाल
दूरभाष 9856 478345

7. अतिरिक्त – प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप

संक्षेप	पूरा नाम	अर्थ/मतलब	पृष्ठ
ए.ए.वाई	अंत्योदय अन्न योजना	असहायों के लिए राशन कार्ड	8
ए.एन.एम	असिस्टैंट नर्स मिडवाइफ़	प्रसव हेतु प्रशिक्षित नर्स	20,23
ए.पी.एल	गरीबी रेखा से ऊपर	स्थायी निवासियों के लिए राशन कार्ड	8
ए.आर.टी	एन्टी रेट्रो वाइरल थेरापी	एच आई वी – एडज़ के मरीज़ का इलाज	30
आशा	एक्रिडेटेड सोशल हेल्थ एडवोकेट	प्रसव मामले में प्रशिक्षित स्थानीय महिला	23,
बी.डी.ओ	ब्लोक डिवेलपमेंट ओफिसर	जनपद अधिकारी	4
बी ओव सी	**बिल्डिंग अन्य निर्माण श्रमिक एक्ट**	**श्रमिकों का वर्ग जिनके लिए लाभ उपलब्ध हैं**	57
बी.पी.एल	गरीबी रेखा से नीचे	भारत सरकार द्वारा गरीबी का निर्धारण	8,12,20
बी.एस.ए.	बेसिक शक्षा अधिकारी	ज़िला का प्राथमिक शिक्षा का ज़िम्मेदार अधिकारी	31
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में अधिक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र	20
सी.एम.ओ.	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	जिला स्तर पर स्वास्थ्य	20
डी.एम	डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट	जिला का मुखिया	4,55
डी.पी.ओ.	डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन आफ़िसर	घरेलू हिंसा की स्थितियों में कुछ शक्ति है	47
डी.आर.डी.ए.	डिसट्रिक्ट रुरल डिवेलोपमेंट औथोरिटी	ज़िला का ग्रामीण विकास का ज़िमेदार आधिकारी	11
डी.आर.डी.ओव	**जिला ग्रामीण विकास अधिकारी**	**आवास योजनाओं के लिए मुख्य अधिकारी**	40
ई.आर.ओ	मतदाता पंजीकरण अधिकारी	मतदाता सूची में नाम हेतु आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी	4,54
ई. डबलयू. एस	आर्थिक रूप से कमजोर	योजनाओं का उपयोग करने के लिए गरीबी का मानदंड	40
एफ.आई.आर	फ़र्स्ट इंफ़र्मेशन रिपोर्ट	पुलिस को पहले रिपोर्ट जब अपराध होता है	47
एफ.एस.ओ	फूड एंड सप्लाई ओफ़िसर	राशन काड का आधिकारी	8
आई.सी.डी.एस	सम्पूर्ण बाल विकास योजना	योजना जिसके अन्दर आंगनवाडी आता है	9,23
एल. पी. एस	कम प्रदर्शन करने वाले राज्य	राजस्थान, यू.के., यू.पी., एम.पी, बिहार, झारखंड, छत्तीस, उड़ीसा, असम, जे के	21
एम.एल.ए	विधान सभा का सदस्य विधायक	राज्य विधान सभा का सदस्य	4,8,12
एम.ओ.आइ.सी.	मेडिकल आफ़सर इन चार्ज	पी.एच.सी या सी.एच.सी. का ज़िमेदार आधिकारी	20,23
एम.पी	लोक सभा सदस्य	राष्ट्रीय पार्लियामेंट लोकसभा का सदस्य	4
एन.एच.एम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	निकाय जिसमें एन.आर.एच.एम और एन.यू.एच.एम शामिल हैं	20
ओ.बी.सी	अन्य पिछड़ी जाति	कुछ लाभ प्राप्त करने योग्य पिछड़ी जातियां	56
पी.एच.सी	पब्लिक हेल्थ सेंटर	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में कम सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र	20
पी.आई.ओ	लोक सूचना अधिकारी	वह अधिकारी जिसके पास आर.टी.आई दिया जाता है	66
आर.टी.आई	सूचना का अधिकार	सूचना पाने के अधिकार का कानून	66
एस.सी/एस.टी	अनुसूचित जाति/जनजाति	कुछ लाभों को पाने योग्य अत्यन्त पिछड़ी जाति	56
एस.डी.एम/ओ	सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सब डिवीजन का मुखिया	55,56
एस.ई.**सी**.सी.	स**माजिक आर्थिक जनगणना**	**योजनाओं के लिए पात्रता के रूप में बीपीएल की जगह लेती**	40
एस.पी	सूपर इंटेंडंट आफ़ पुलीस	पुलिस जिला का मुखिया	47,48

11. आवेदन पत्र

1. आवेदन पत्र – पेंशन (विधवा, वृद्धावस्था व विक्लांगता) (पृष्ठ 12 देखें)

APPLICATION FORM FOR IGNOAPS / IGNWPS / IGNDPS

(To be filled in BLOCK Letters)

Application Form No.

Date of Application [DD/MM/YYYY]

Photo of Applicant

1. Scheme Name (Please √) : **IGNOAPS** ☐ **IGNWPS** ☐ **IGNDPS** ☐
2. State :
3. District :
4. Area : **Rural** ☐ **Urban** ☐
5. Block/Sub District/Municipal:
6. Gram Panchayat / Ward :
7. Village :
8. Habitation Name :
9. **Name of Applicant**
   - First Name :
   - Middle Name :
   - Last Name :
10. Father / Husband Name :
11. Nominee Name :
12. **Address of Applicant**
    - House No :
    - Street :
    - Locality :
    - Pin Code :
13. **BPL Details**
    - Year :
    - Location :
    - Family ID No. :
    - Member ID No.

14. Sex : Male ☐ Female ☐

15. Date of Birth : ☐☐☐☐☐☐☐☐ [DD / MM / YYYY]

16. Age : ☐☐☐☐☐☐ [Year/Months/Days]

17. Applicant Annual Income : ☐☐☐☐☐☐

18. Category : SC ☐ ST ☐ OBC ☐ Others ☐

Minority : Yes ☐ No ☐

19. Widow : Yes ☐ No ☐

20. Disabled : Yes ☐ No ☐

21. Type of Disability - I : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

22. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

23. Type of Disability - II : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

24. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

25. EPIC No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

26. Ration Card No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

27. Mode of Payment : Bank ☐ Post Office ☐ Cash ☐ Money Order ☐

Bank / P.O. Name : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Name of the Branch : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Account No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

28. Attested by : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

29. Required Documents :

Sl. No.	Documents	Date of Issue	Issuing Authority Name
1.	AGE CERTIFICATE		
2.	INCOME CERTIFICATE		
3.	RESIDENCE CERTIFICATE		
4.	DISABILITY CERTIFICATE		
5.	DEATH CERTIFICATE (For Widow only)		

(Signature / Left Thumb Impression of the applicant)

30. Approve Application : Accept ☐ Reject ☐

Reasons with Remarks : _____

_____

Verification Remark by Verifying Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Verifying Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Scrutinizing Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Scrutinizing Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Approving Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Approving Authority)

Name :
Designation :

2. आवेदन पत्र – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (पृष्ठ 15 देखें)

FORM

APPLICATION FORM FOR FAMILY BENEFIT SCHEME

I (To be filled up by the Applicant)

District : ……..…… Block/Municipality/Panchayat Samiti.

Village/Panchayat/Mohilla/Ward/House No.

1. Name of the Applicant : ……
2. Father's/Husband's name : ……
3. Full Address : ……
4. Category : SC/ST/women/Landless/Handicapped/General ……..
5. Age on the date of application : ……
6. Identification mark of the applicant : ……
7. Name of deceased bread winner : ……..
8. Age of the deceased : ……
9. Date of death : ……...
10. Cause of death : ……...
11. I solemnly affirm that :-
    (1) The total income of my family does not exceed Rs. 5,000/- per annum or more.
    (2) I have not applied previously for grant of Family Benefit.
    (3) I declare that the information furnished in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place : ……..

Date : …….. Signature or Thump impression of the Applicant.

II (To be filled up by the Enquiry Team)

Result of Preliminary Enquiry by the Village Panchayat Level team.

1. Age : ……..
2. Income : ……
3. Category, domicile : ……...
4. Whether applying for the first time? If not, the decision on the last application : ……...

Contd. 2

……..

5. Recommendation :

Date : ……..

Signature of verifying persons at the Village Level Panchayat/Urban Local Body.

Full Address : ……

……..

Note : This application should be sent with full particulars to the B.D.O./Municipal Commissioner concerned.

RECOMMENDATION OF THE B.D.O./MUNICIPAL COMMISSIONER

Date : ……..

Signature of B.D.O./Municipal Commissioner.

FORM MB - II

Municipality/Gram Panchayat-wise list of application for Family Benefit.

1. Sl. No. : ……..
2. Date of receipt from Gram Panchayat : ……..
3. Name of the applicant with father's/husband's name : ……

……

4. Full Address : Town/Village/Post Office/Taluk ……
5. Recommendation to the Pension Sanctioning Authority : ……..
6. Date of sending of application form : ……..
7. Orders of the Sanctioning Authority : ……..

3. आवेदन पत्र – ड्राइवर लाइसैंस (पृष्ठ 17 देखें)

FORM2
(See Rule 10)

FORM FOR APPLICATION FOR THE GRANT OR RENEWAL OF LEARNER LICENSE

To

The Licensing Authority

……..

……..

I hereby apply for a license authorized me to drive as a learner, the following motor vehicle(s):

(a) Motor Cycle without gear.
(b) Motor Cycle with gear.
(c) Invalid Carriage.
(d) Light Motor Vehicle
(e) Medium Goods Vehicle.
(f) Medium Passenger Motor Vehicle.
(g) Heavy Goods Vehicle.
(h) Heavy Passenger Motor Vehicle.
(i) Road Roller.
(j) Motor Vehicles of the following description.

……

……

PARTICULARS TO BE FURNISHED BY APPLICANT

(1) Full Name …..……..……

(2) Son/Wife/Daughter of ……...

(3) Permanent Address ……

Proof to be enclosed ……

(4) Temporary Address (if any) ……..

(5) Date of Birth (proof age to be enclosed) ……..

(6) Educational Qualification: ……..

(6) Identification Marks : ……..

(7) Blood Group :……...

RH factor : ……...

(8) I hold an effective driving license to drive (a) Motor Cycle / Light Motor Vehicle / Medium Passenger Motor Vehicle / Heavy Passenger Goods Vehicle.

(9) Particulars of any driving license previously held by applicant. Whether it was cancelled and if so for what reason. : ……..

(10) Particulars of any Learner's License previously held up by applicant in respect of Vehicle to which the applicant has applied. ……

(11) Have you been disqualified for holding or obtaining driving License or Learner's License? ……..

(12) Recent photograph (photograph) to be the size of five centimeters by six centimeters……………………………………………………………………………

(13) Enclosed medical Certificate dated ……………...……………… issued by Doctor ……………………………………..……………………………………...

(15) I have submitted alongwith my earlier application for Learner's License/ enclose the written consent of parent/Guardian in the case of application being a minor.

(16) I enclose Driving Certificate dated ……………………………….. issued by ……………………………………………. (Name & Address of the Driving School)

(17) I have paid the fee of Rupees ……………………………………………………….

(18) I am exempted from the Medical Test under the Rule 6 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

(19) I am exempted from the preliminary test under Rule 11(2) of central Motor Vehicle Act 1989 ……………………………………………………………………………….

Strike out whichever is inapplicable.

Dated :

Signature of applicant
Duplicate signature of applicant

DECLARATION UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7 OF MOTOR VEHICLES ACT, 1988.

Shri/Kumari ……………………………… Son/Daughter of ……………………………….. who is a minor is under my care and I accept responsibility his/her driving. If at a later date intimate the Licensing Authority in writing for cancellation of the License. I give my consent for his/her obtaining Learner's License.

Signature
Name & Full Address of the Parent/Guardian

***(To be signed in the present of the Licensing Authority or person authorised in this behalf by the Licensing Authority).**

FOR OFFICE USE

*The applicant is exempted from the medical test under rule 6 and the preliminary test under rule 11(2) of Central Motor Vehicle Rules 1989.

Learner's License may be issued.

*The applicant was tested with reference to rule 11(1) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. He has passed the test Learner's License may be issued.

*He has failed in the test (Reason should be specified)

Learner's License may be refused.

Signature of
Licensing Authority or other
person Authorised in this behalf.

Strike out whichever is inapplicable.

4. आवेदन पत्र – सूक्ष्म उद्योगों के लिए सहायता (पृष्ठ 19 देखें)

Application No. :	Date :

Photo
(Signature across photo)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पूँजी. सफलता की कुंजी

Name of Bank

Application Form for Loan under Pradhan Mantri MudraYojana (PMMY)
(For Loan upto Rs.50000/- underShishu)

Name of Bank & Branch from where Loan is required_____

I hereby apply for Cash Credit / Over Draft / Term Loan of Rs._____ for _____

Name of Applicant(s)	1. 2.			Father's/ Husband's Name	1.Sh. 2.Sh.	
Constitution (√)	Individual	Joint	Proprietor	Partnership	Other	
Residential Address						
					Rented/Owned	
Business Address						
					Rented/Owned	
Date of Birth		Age		Sex : Male / Female		
Education Qualification(√)	Illiterate	Upto 10th	12th	Graduate	Professional	others
KYC Document(s)	Voter ID No.	Aadhaar No.	Driving License No.		Any Others	
ID proof(pl. specify)						
Address Proof(pl. specify)						
Telephone No. :		Mobile No. :		E-mail :		
Line of Business Activity (Purpose)	Existing			Period		
	Proposed					
Annual Sales (Rs. in lakh)	Existing :		Proposed :			
Experience, if any						
Social Category (Pls. tick √)	General	SC	ST	OBC	Minority Community	
If Minority(√)	Buddhists	Muslims	Christians	Sikhs	Jains	Zoroastrians	Others
Loan Amount Required	CC / OD–Rs_____			Term Loan – Rs._____		
Detail of Existing Account(s), if any	Type (Pls. tick √) (Deposit/Loan)		Name of Bank & Branch			
A/c. No.		If Loan A/c, amount of loan taken		Rs.		

Declaration:
I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and complete. I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application form. I/We have not applied to any Bank. There is/are no overdue / statutory dueowed by me/us. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or Reserve Bank of India or MUDRA Ltd., or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/ verify my/our assets, books of accounts etc. in our factory/business premises as given above. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

Date : _____
Place : _____

Thumb impression/Signature of Applicant(s)

(For Office use only)
Acknowledgement Slip No……..... loan Application No. _____dated _____
Received by_____

Place and Date **Authorized Signatory (Branch Seal and sign)**

----------Cut here ----------

Acknowledgment slip no. _____ for loan application under PMMY (Applicants copy)
Received with thanks from Sh./Smt._____ loan application dated _____for Rs_____

Place and Date **Authorized Signatory (Branch Seal and sign)**

5. आवेदन पत्र – विक्लांग व्यक्ति के लिए रेलवे छूट आवेदन फार्म (पृष्ठ 25 देखें)

Paste Passport size Photograph duly signed & stamped by the issuing Doctor.

Appendix 1/36

CONCESSION CERTIFICATE

Form for the purpose of grant of rail concession to orthopaedically Handicapped / Paraplegic persons / patients to be used by the Government Doctor

This is to certify that Km./Shri/Smt....., Whose Particulars are furnished below, is a bonafide "Orthopaedically /Handicapped / Paraplegic person / patient and CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT.

Particulars of the Orthopaedically Handicapped / paraplegic person / patient:

(a) Address : .....
(b) Father's / Husband's Name :.....
(c) Age:..... (d) Sex:.....
(e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is Temporary or Permanent)
(f) Causes of loss of Functional capacity : .....
(g) Signature or Thumb impression of Orthopaedically handicapped / paraplegic person / patient : (not necessary for those whose both hands are missing..... or non-funtional).

.....
(Signature of Government Doctor)

Place .....
Date .....

....
Clear seal of Government Hospital/Clinic Seal containing full name and Regd.No. Of the Doctor

* Strike out where not applicable.

Note : -

(1)This certificate should be issued only to those Orthopaedically Handicapped / paraplegic persons / patients WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT. The photo must be signed and stamped in such a way that Doctor's signature and stamp appears partly on the certificate.

(2)In the case of temporary disability, the certificate will be valid for five years from the date of issue. In the case of permanent disability, the certificate will remain valid for (1) five years, in case of persons upto the age of 25 years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in the case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned person. After expiry of the period of the validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate is accepted for the purpose of grant on concession. The original certificate will have to be produced for instruction at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded

(3)No alteration in the form is permitted.

6. आवेदन पत्र – आधार कार्ड (पृष्ठ 53 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

Under Section 3 of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 (Aadhaar Act)

AADHAAR ENROLMENT / CORRECTION FORM

Aadhaar Enrolment is free and voluntary. Correction within 96 hours of enrolment is also free. **No charges are applicable for Form and Aadhaar Enrolment. In case of Correction provide your EID, Name and only that field which needs Correction.**

In case of Correction provide your EID No here: | | | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|

Please follow the instructions overleaf while filling up the form. Use capital letters only.

1	Pre-Enrolment ID :	**2**	NPR Receipt/TIN Number :
3	Full Name:		
4	Gender: Male ( ) Female ( ) Transgender ( )	**5**	Age: Yrs OR Date of Birth: | DD | MM | YYYY | Declared☐ Verified☐
6	Address: C/o ( ) D/o ( ) S/o ( ) W/o ( ) H/o ( ) NAME		
	House No/ Bldg./Apt.	Street/Road/Lane	
	Landmark	Area/locality/sector	
	Village/Town/City	Post Office	
	District	Sub-District	State
	E Mail	Mobile No |	PIN CODE |
7	Details of : Father ( ) Mother ( ) Guardian ( ) Husband ( ) Wife ( ) *For children below 5 years Father/Mother/Guardian's details are mandatory. Adults can opt to not specify this information, if they cannot/do not want to disclose.*		
	Name		
	EID/ Aadhaar No.: | | | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|		

Verification Type : Document Based ( ) Introducer Based ( ) Head of Family ( )
Select only one of the above. Select Introducer or Head of Family only if you do not possess any documentary proof of identity and/or address. Introducer and Head of Family details are not required in case of Document based Verification.

8	**For Document Based** (Write Names of the documents produced. Refer overleaf of this form for list of valid documents)	
a. POI		b. POA
c. DOB (Mandatory in case of Verified Date of Birth)		d. POR
9	**For Introducer Based –** Introducer's Aadhaar No. | | | | | | | | | | | |	**For HoF Based -** Details of : Father ( ) Mother ( ) Guardian ( ) Husband ( ) Wife ( ) HoF's EId/Aadhaar No.: | | | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|

I hereby confirm the identity and address of _____ as being true, correct and accurate.

Introducer/HoF's Name: **Signature of Introducer/HOF**

Disclosure under section 3(2) of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016

I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months & information (including biometrics) provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar and authentication. I understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.

Verifier's Stamp and Signature:
(Verifier must put his/her Name, if stamp is not available)

Applicant's signature/Thumbprint

To be filled by the Enrolment Agency only : Date & time of Enrolment: ----------

"(Note: Incase of minor, the signature will be done by parent/guardian. Incase of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person)"

Instructions to follow while filling up the enrolment form

Field 2 **NPR NUMBER**	Resident may bring his/her National Population Register Survey slip (if available) and fill up the column.
Field 3 **NAME**	Write full name without salutations/titles. Please bring the original* Proof of Identity (POI) document. (See list A below). Variation in Resident's Name in contrast to PoI is permissible as long as the change is minor spelling only, without altering the Name in PoI document. For Example: If Resident's PoI reads "Preeti", then "Priti" can be recorded if Resident wants so.
Field 5 **DOB / AGE**	Fill in Date of Birth in DDMMYYYY format. If exact Date of Birth is not known, approximate age in Years may be filled in the space provided. Please bring the original Proof of Date of Birth (DoB), if available.(See list D below). Declared checkbox may be selected if Resident does not have a valid proof of Date of Birth document. Verified checkbox is selected where Resident has provided documents as proof of Date of birth.
Field 6 **ADDRESS**	Write complete address. Please bring the original Proof of Address (POA) document. (See list B below). Please note that the Aadhaar letter will be delivered at the given address only. • To include Parent / Guardian / Spouse name as part of the address, select the appropriate box and enter the name of the person. • Minor Corrections / Enhancements are permissible to make the address complete without altering the base address as mentioned in the POA document.
Field 7 **RELATIONSHIP**	• In case of children below 5 years, it is mandatory to provide father/mother/guardian details with their Aadhaar or EID number. • If the resident is not holding a Proof of Identity & using the Head of the Family identity for enrolment, it is mandatory to provide Head of the family's details with his/her Aadhaar or EID number. Please refer illustration below for filling EID. Please bring the original Proof of Relationship (POR) document. (See list C below). • For other cases, it is optional for the resident to fill up the relationship details.
Field 8 **DOCUMENTS**	Write the name of Documents for PoI and PoA. In case proof of Date of Birth is available, then write the name of Date of Birth document. If the resident is not holding a Proof of Identity & using the Head of Family based enrolment, then write the name of Proof of Relationship document. For Valid list of documents, please refer list of Documents below.
Field 9 **INTRODUCER/HoF**	Resident who does not have POI and POA may get enrolled through an Introducer/ Head of Family. Pl contact nearest enrolment centre or your Registrar, for further details.

List A. POI documents

1. Passport
2. PAN Card
3. Ration/ PDS Photo Card
4. Voter ID
5. Driving License
6. Government Photo ID Cards/ service photo identity card issued by PSU
7. NREGS Job Card
8. Photo ID issued by Recognized Educational Institutio n
9. Arms License
10. Photo Bank ATM Card
11. Photo Credit Card
12. Pensioner Photo Card
13. Freedom Fighter Photo Card
14. Kissan Photo Passbook
15. CGHS / ECHS Photo Card
16. Address Card having Name and Photo issued by Department of Posts
17. Certificate of Identify having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
18. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations

List B. POA documents

1. Passport
2. Bank Statement/ Passbook
3. Post Office Account Statement/Passbook
4. Ration Card
5. Voter ID
6. Driving License
7. Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
8. Electricity Bill (not older than 3 months)
9. Water bill (not older than 3 months)
10. Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
11. Property Tax Receipt (not older than one year)
12. Credit Card Statement (not older than 3 months)
13. Insurance Policy
14. Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
15. Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
16. Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Instruction on letterhead
17. NREGS Job Card
18. Arms License
19. Pensioner Card
20. Freedom Fighter Card
21. Kissan Passbook
22. CGHS / ECHS Card
23. Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
24. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas)
25. Income Tax Assessment Order
26. Vehicle Registration Certificate
27. Registered Sale / Lease / Rent Agreement
28. Address Card having Photo issued by Department of Posts
29. Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt.
30. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months)
32. Passport of Spouse
33. Passport of Parents(in case of Minor)
34. Allotment letter of accommodation issued by Central/State Govt. of not more than 3 years old
35. Marriage Certificate issued by the Government, containing address.

List C. POR documents

1. PDS Card
2. MNREGA Job Card
3. CGHS/State Government/ECHS/ESIC Medical card
4. Pension Card
5. Army Canteen Card
6. Passport
7. Birth Certificate issued by Registrar of Birth, Municipal Corporation and other notified local government bodies like Taluk, Tehsil etc.
8. Any other Central/State government issued family entitlement document
9. Marriage Certificate Issued by the Government..

List D. DOB documents

1. Birth Certificate
2. SSLC Book/Certificate
3. Passport
4. Certificate of Date of Birth issued by Group A Gazetted Officer on Letterhead
5. PAN Card
6. Marksheet issued by any Govt. Board or University
7. Govt. Photo ID Card/Photo Identity card issued by PSU containing DoB.
8. Central/State Pension payment order.
9. Central Govt. Health Service Scheme photo card or Ex-Servicemen

Illustration for filling up EID No.

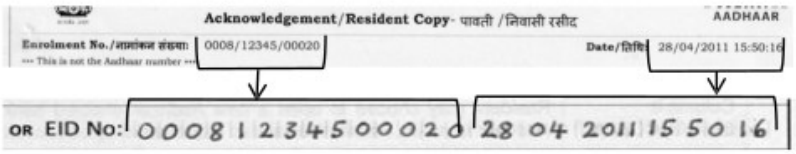

*In instances where original documents are not available, copies attested / certified by a public notary / gazetted officer will be accepted.

7. आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र (पृष्ठ 54 देखें)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

FORM-6

(See Rules 13(1) and 26) of Registration of Electors Rule-1960

Acknowledgement No._____

(To be filled by office)

Application for Inclusion of Name in Electoral Roll for First time Voter OR on Shifting from One Constituency to Another Constituency.

To, The Electoral Registration Officer, ...Assembly / Parliamentary Consitituency

I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. (Tick appropriate box)

As a first time voter ☐ **or due to shifting from another constituency** ☐

Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:-

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

Mandatory Particulars

(a) Name	
(b) Surname(if any)	
(c) Name and surname of Relative of Applicant [see item (d)]	
(d) Type of Relation (Tick appropriate box)	Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Wife ☐ Other ☐
(e) Age [as on 1st January of current calendar year.....]	Years ☐☐ Months ☐☐
(f) Date of Birth (in DD/MM/YYYY format)(if known)	☐☐/☐☐/☐☐☐☐
(g) Gender of Applicant (Tick appropriate box)	Male ☐ Female ☐ Third Gender ☐
(h)Current address where applicant is ordinarily resident	House No.
Street/Area/Locality	
Town/Village	
Post Office	Pin Code ☐☐☐☐☐☐
District	State/UT
(i) Permanent address of applicant	House No.
Street/Area/Locality	
Town/Village	
Post Office	Pin Code ☐☐☐☐☐☐
District	State/UT
(j)EPIC No. (if issued)	

Optional Particulars

(k) Disability (if any) (Tick appropriate box)	Visual impairment ☐ Speech & hearing disability ☐ Locomotor disability ☐ Other _____
(l) Email id (optional)	
(m) Mobile No. (optional)	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DECLARATION - *I hereby declare that to the best of knowledge and belief –*

(i) I am a citizen of India and place of my birth is Village/Town.....District.....State.....

(ii) I am ordinarily resident at the address given at (h) above since .....(date, month, year).

(iii)I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency.

**(iv)My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly/* parliamentary *constituency*

OR

**My name may have been included in the electoral roll for_____ Constituency in _____ State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.*

** strike off the option not appropriate*

Address of earlier place of ordinary residence (if applying due to shifting from another constituency)			
House No.		Street/Area/Locality	
Town/Village			
Post Office		Pin Code	☐☐☐☐☐☐
District		State/UT	

I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

Place……

Date…… Signature of Applicant……

Remarks of Field Level Verifying Officer:

Details of action taken
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of Shri / Shrimati/ Kumari ……..for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted/ rejected. Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are given below:

Place:

Date: Signature of ERO Seal of the ERO

Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant)

The application in Form 6 of Shri/Shrimati/Kumari……

Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

Current address where applicant is ordinarily resident		House No.	
Street/Area/Locality			
Town/Village			
Post Office		Pin Code	☐☐☐☐☐☐
District		State/UT	

Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari……

Has been registered at Serial No……in Part No…… of AC No……

(b) rejected for the reason……

Date: Electoral Registration Officer

Address……

Acknowledgement/Receipt

Acknowledgement Number _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Received the application in form 6 of Shri / Smt. / Ms. _____ _____
[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

Name/Signature of ERO/AERO/BLO

8. आवेदन पत्र – पैन कार्ड (पृष्ठ 59 देखें)

Form No. 49A

Application for Allotment of Permanent Account Number

[In the case of Indian Citizens/Indian Companies/Entities incorporated in India/ Unincorporated entities formed in India]

See Rule 114

To avoid mistake (s), please follow the accompanying instructions and examples before filling up the form

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Sign / Left Thumb impression across this photo

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Assessing officer (AO code)

Area code	AO type	Range code	AO No.

Signature / Left Thumb Impression

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below necessary particulars:

1 Full Name (Full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity/date of birth/address documents: initials are not permitted)

Please select title, ☑ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

2 Abbreviations of the above name, as you would like it, to be printed on the PAN card

3 Have you ever been known by any other name? ☐ **Yes** ☐ **No** **(please tick as applicable)**

If yes, please give that other name

Please select title, ☑ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

4 Gender (for Individual applicants only) ☐ **Male** ☐ **Female** ☐ **Transgender** **(please tick as applicable)**

5 Date of Birth/Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of individuals or Association of Persons

Day Month Year

6 Details of Parents (applicable only for individual applicants)

Father's Name (Mandatory. Even married women should fill in father's name only)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Mother's Name (optional)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Select the name of either father or mother which you may like to be printed on PAN card (*Select one only*)

(In case no option is provided then PAN card will be issued with father's name)

☐ Father's name ☐ Mother's name *(Please tick as applicable)*

7 Address

Residence Address

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory Pincode / Zip code Country Name

Office Address

Name of office

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory | Pincode / Zip code | Country Name

8 Address for Communication ☐ Residence ☐ Office (Please tick as applicable)

9 Telephone Number & Email ID details

Country code | Area/STD Code | Telephone / Mobile number

Email ID

10 Status of applicant

Please select status, ✓ as applicable

☐ Individual ☐ Hindu undivided family ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Government

☐ Trusts ☐ Body of Individuals ☐ Local Authority ☐ Artificial Juridical Persons ☐ Association of Persons ☐ Limited Liability Partnership

11 Registration Number (for company, firms, LLPs etc.)

12 In case of a person, who is required to quote Aadhaar number or the Enrolment ID of Aadhaar application form as per section 139 AA

Please mention your AADHAAR number (if allotted)

If AADHAAR number is not allotted, please mention the enrolment ID of Aadhaar application form

Name as per AADHAAR letter or card or as per the Enrolment ID of Aadhaar application form

13 Source of Income *Please select, ✓ as applicable*

☐ Salary

☐ Income from Business / Profession Business/Profession code ☐☐ [For Code: Refer instructions]

☐ Income from House property

☐ Capital Gains

☐ Income from Other sources

☐ No income

14 Representative Assessee (RA)

Full name, address of the Representative Assessee, who is assessible under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in the column 1-13.

Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please select title, ✓ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Address

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory | Pincode

15 Documents submitted as Proof of Identity (POI), Proof of Address (POA) and Proof of Date of Birth (POB)

I/We have enclosed _____ as proof of identity, _____ as proof of address and _____ as proof of date of birth.

[Please refer to the instructions (as specified in Rule 114 of I.T. Rules, 1962) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable]

[Annexure A, Annexure B & Annexure C are to be used wherever applicable]

16 I/We _____, the applicant, in the capacity of _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

Place :

Date : D D M M Y Y Y Y

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (inside the box)